दश माला, खंड 13, अंक 24

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 2000
30 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 13 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

त्रयोदश माला खंड 13 पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)

अंक 24, गुरुवार, 21 दिसंबर, 2000/30 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 480	2-20
अतारांकित प्रश्न संख्या 5014 से 5243	20-191
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	191-192
सभा पटल पर रखे गए पत्र	192-206
राज्य सभा से संदेश	206
लोक लेखा समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन	207
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	207
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	207
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
(एक) चौथा प्रतिवेदन	207-208
(दो) विवरण	208
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
पंद्रहवां प्रतिवेदन	208
उद्योग संबंधी स्थाई समिति	
तैंतालीसवां और चवालीसवां प्रतिवेदन	208
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	209-212
वन (संरक्षण) अधिनियम के कारण विभिन्न राज्यों में विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी न देना	
श्री नरेश पुगलिया	209
श्री टी.आर. बालू	209-212

विषय		कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले		212-218
(एक)	दिल्ली के झुग्गी वासियों का दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता श्री लाल बिहारी तिवारी	212
(दो)	राजस्थान में अलवर और हरियाणा में नारनौल के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता डा. जसवंत सिंह यादव	212-213
(तीन)	देश में जाली करेंसी नोटों के मुद्रण/चलन के संबंध में श्वेत पत्र निकाले जाने की आवश्यकता श्री चंद्रेश पटेल	213
(चार)	राजस्थान में रणथम्भौर बाघ अभयारण्य के विकास के लिए आवंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता श्रीमती जसकौर मीणा	213
(पांच)	राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति हेतु आरक्षण का प्रावधान करने वाले कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता श्री मान सिंह पटेल	213-214
(छह)	राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लि. सहित सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों में विनिवेश न किए जाने की आवश्यकता श्री भैरूलाल मीणा	214
(सात)	कर्नाटक में मैसूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार	214-215
(आठ)	उड़ीसा में जेपारे-मोट्टु सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता श्रीमती हेमा गमांग	215
(नौ)	पश्चिम बंगाल में अहमदपुर-कटवा सेक्शन पर रेल सेवाओं में कमी करने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता डा. रामचंद्र डोम	215-216
(दस)	देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी लाए जाने की आवश्यकता श्री रामजीलाल सुमन	216
(ग्यारह)	वाशिम जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली	216
(बारह)	उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री राम सजीवन	216-217
(तेरह)	बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता श्री नवल किशोर राय	217
(चौदह)	मणिपुर के जनजाति बहुल पहाड़ी जिलों के लिए जिला परिषदों की व्यवस्था करने हेतु मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता श्री होलखोमांग हौकिप	217-218
(पंद्रह)	महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना में एनरॉन कंपनी को गारंटी प्रदान करने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता श्री हरीभाऊ शंकर महाले	218

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरूवार, 21 दिसम्बर, 2000/30 अग्रहायण, 1922 (शक)
का
शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
35	3	श्रीमती रानी चौधरी	श्रीमती रीना चौधरी
213	7	मुद्रणपालन	मुद्रण चलन

लोक सभा

गुरुवार, 21 दिसम्बर, 2000/30 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(इस समय कुँवर अखिलेश सिंह, श्री राशिद अलवी, श्री सकुदेव पासवान, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 461

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है, किसी बिल पर चर्चा नहीं हो रही है इसलिए आप अपनी सीट्स पर जाएँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। पहले प्रश्न काल चलने दें। बिल पर बाद में चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन का प्रसारण बंद किया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ प्रश्न काल है। कृपया इस बात को समझें। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझें, यह प्रश्न काल है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें, यह प्रश्न काल है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपवा अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम विधेयक पर चर्चा बिलकुल नहीं कर रहे हैं। यह सिर्फ प्रश्न काल है।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पेट्रोनेट के अंतर्गत निर्मित पाइपलाइनें

***461. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश में पेट्रोनेट और इसकी सहायक कंपनियों के अंतर्गत उन विभिन्न पाइपलाइनों की स्थिति क्या है जिनका प्रस्ताव किया जा रहा है, जिनकी योजना बना ली गई है और जिनका निर्माण कर लिया गया है;

(ख) विभिन्न सहायक कंपनियों में इक्विटी भागीदारी का ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितने प्रतिशत इक्विटी मंजूर की गई है;

(ग) इक्विटी का आवंटन करने में पेट्रोनेट में किस बुनियादी सिद्धांत का पालन किया जा रहा है;

(घ) भागीदारी का चयन करने के लिए मानदंड का पालन किया गया है; और

(ङ) इस पाइपलाइन के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) देश में पेट्रोनट इंडिया लिमिटेड (पी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों के संरक्षणाधीन प्रस्तावित, योजनाबद्ध एवं निर्मित की जा रही पाइपलाइनों की स्थित संलग्न विवरण-I में दी गई है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड की इक्विटी इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (16 प्रतिशत), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (16 प्रतिशत), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (16 प्रतिशत), आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड (2 प्रतिशत), रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (10 प्रतिशत), इस्सार आयल लिमिटेड (10 प्रतिशत), आई.सी.आई.सी.आई. (10 प्रतिशत), आई.एल. एंड एफ.एस. (10 प्रतिशत) तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (10 प्रतिशत) द्वारा धारित है। पी.आई.एल. की विभिन्न परियोजना कंपनियों में इक्विटी साझेदारी, उनके लिए अनुमोदित इक्विटी प्रतिशत सहित का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

परियोजना कंपनियाँ संघटित करने वाले इक्विटी धारकों में ये सम्मिलित हैं :

(i) पेट्रानेट इंडिया लिमिटेड (पी.आई.एल.)

(ii) परिशोधन कंपनी (कंपनियाँ) जिसके (जिनके) उत्पाद पाइपलाइन के जरिए परिवहन किए जाने हैं।

(iii) हितबद्ध तेल विपणन कंपनी (कंपनियाँ) तथा अन्य तेल कंपनियाँ।

(iv) वित्तीय संस्थाएँ

पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड की स्थापना के विषय में अप्रैल, 1996 में सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक परियोजना कंपनियों के अंतर्गत 26 प्रतिशत इक्विटी पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित है। शेष इक्विटी हितबद्ध तेल विपणन कंपनी (कंपनियों) तथा वित्तीय संस्थाओं को विनिहित की गई हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	पाइपलाइन परियोजना का नाम	स्थान		परियोजना कंपनी का नाम	अनुमानित/अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए)	वर्तमान स्थिति	निर्धारित संपूर्ति तारीख
		से	तक				
1.	वाडीनार-कौंडला पाइपलाइन (117 किलोमीटर)	वाडीनार	कौंडला	पेट्रोनट वी.के लिमिटेड	410.00	100 किलोमीटर चालू हो गई	17 किलोमीटर संपूर्ति ई.ओ.एल रिफाइनरी के साथ साथ होनी है।
2.	कोचनी-कोयम्बटूर-करूर पाइपलाइन (292 किलोमीटर)	कोच्चि	करूर	पेट्रोनेट सी.सी.के. लिमिटेड	535.00	कार्य प्रगति में	मार्च, 2001
3.	मैंगलौर-हसन-बैंगलौर-पाइपलाइन (364 किलोमीटर)	मैंगलौर	बैंगलौर	पेट्रोनेट एम.एच.बी. लिमिटेड	666.70	कार्य प्रगति में	मार्च, 2002
4.	चेन्नई-त्रिची-मदुरै (520 किलोमीटर)	चेन्नई	मदुरै	पेट्रोनेट सी.टी.एम. लिमिटेड	538.70	परियोजना पूर्व क्रियाकलाप प्रगति में	–
5.	सेंट्रल-इंडिया पाइपलान (1615 किलोमीटर)	जामनगर	ग्वालियर और नागपुर	पेट्रोनेट सी.आई. लिमिटेड	अंतिम रूप नहीं दिया गया	परियोजना पूर्व क्रियाकलाप प्रगति में	–
6.	बीना-झाँसी-कानपुर पाइपलाइन (361 किलोमीटर)	बीना	कानपुर	–	453.00	परियोजना कंपनी संघटित होनी है।	– –
7.	पारादीप-कटक-राऊरकेला पाइपलाइन (418 किलोमीटर)	पारादीप	राऊरकेला	–	581.00	परियोजना कंपनी संघटित होनी है।	–
8.	भटिंडा-पठानकोट पाइपलाइन (250 किलोमीटर)	भटिंडा	पठानकोट	–	अंतिम रूप नहीं दिया गया	परियोजना कंपनी संघटित होनी है।	–

विवरण-II

कंपनी का नाम	पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुमोदित प्रतिशत इक्विटी धारिता				
	पेट्रोनेट वीके लि.	पेट्रोनेट सीसीके लि.	पेट्रोनेट एमएचबी लि.	पेट्रोनेट सीटीएम लि.	पेट्रोनेट सीआई लि.
पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड जेवी पार्टनर	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
– आई ओ सी	26.0	–	–	26.0	26.0
– एच पी सी	–	–	26.0	–	–
– बी पी सी	–	26.0	–	–	11.0
– ई ओ एल	–	–	–	–	11.0
– आर पी एल	–	–	–	–	26.0
कार्यनीतिक निवेशक					
– आर पी एल	13.0	–	–	–	–
– ई ओ एल	13.0	–	–	–	–
– एम आर पी एल	–	–	19.4	–	–
– कोच्चि रिफाइनरीज लि.	–	23.0	–	–	–
– चेन्नई पेट्रोलियम लि.	–	–	–	25.0	–
वित्तीय/संस्थागत निवेशक/ अन्य	22.0	25.0	28.6	25.0	–
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा दक्षिणी क्षेत्र में कुओं को बंद किया जाना

*462. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम को दक्षिणी क्षेत्र के दो दर्जन कुएँ बंद करने पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कुओं के बंद करने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस निगम को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के द्वारा कावेरी बेसिन (तमिलनाडु) के अंतर्गत नारीमनम ग्रिड में 13 कूप तथा कोविलकलप्पल में 4 कूप बंद रखे गए हैं क्योंकि जिन उपभोक्ताओं को गैस का आवंटन किया गया था वे आपूर्तियाँ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनकी परियोजनाएँ पूरी नहीं हुई हैं।

(ग) उपभोक्ताओं की अनुपलब्धता के कारण आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को कोई हानि नहीं है।

(घ) गैस उपयोग को सुधारने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. कुछ एक ऐसे विद्यमान संयंत्रों, जो ग्रास रूट परियोजनाओं से अपेक्षाकृत पहले गैस की खपत आरंभ कर सकते हैं, के संबंध में फालबैक आधार पर आबंटनों के विषय में विचार किया जा रहा है।

2. आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन को ऐसे पृथक् कूपों, जो प्रतिदिन 1 लाख घन मीटर तक उत्पादन कर रहे हैं, से प्राप्त कम दबाव वाली गैस का सीधे विपणन करने की अनुमति दी गई है।

3. सामान्यतया आवंटन गैस की उपलब्ध मात्रा की तुलना में इसकी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा के लिए किए जाते हैं। इससे उस स्थिति में, जब यह आवंटन नहीं हो पाते हैं, दीर्घावधि में गैस उपयोग को नुकसान नहीं होगा।

विदेशी कंपनियों को विपणन अधिकार

*463. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी और विदेशी कंपनियों द्वारा तेल की खोज और तेल शोधन क्षेत्र में निवेश करने पर उन्हें विपणन अधिकार देने की पेशकश करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सितम्बर, 2000 में तेल की खोज और उत्पादन के बारे में नई दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस संगोष्ठी में की गई चर्चा का क्या परिणाम निकला;

(घ) उन गैर-सरकारी और विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो विपणन अधिकारों के बदले में तेल की खोज के क्षेत्र में निवेश करने पर सहमत हो गई हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप तेल उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) भारत सरकार ने नवंबर, 1997 में प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति पर कार्यक्रम घोषित किया था। उपर्युक्त घोषणा में अन्य बातों के

साथ-साथ कम से कम 2,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ रिफाइनरियों का स्वामित्व और प्रचालन करने या तेल अन्वेषण और उत्पादन कम्पनियों द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम 9 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन करने की शर्त पर परिवहन ईंधनों अर्थात् मोटर स्पिरिट (एम.एस.) हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) और एविएशन टर्बाइन ईंधन (ए.टी.एफ.) के लिए विपणन अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था थी। पेट्रोलियम क्षेत्र की पूर्ण नियंत्रणमुक्ति 1 अप्रैल, 2002 से लक्षित है।

सरकार ने एम.एस., एच.एस.डी., ए.टी.एफ., एल.पी.जी. (घरेलू) और मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.) के अलावा सारे पेट्रोलियम उत्पादन पहले ही नियंत्रणमुक्त कर दिए हैं।

(ख) और (ग) फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) द्वारा "अन्वेषण और उत्पादन; पिछले अनुभव और भविष्य की प्रवृतियाँ" विषय पर 28 सितम्बर, 2000 को एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में सामान्य चर्चा हुई और विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

(घ) और (ङ) विपणन अधिकारों के बदले तेल अन्वेषण में निवेश के लिए अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पेट्रोल और अन्य स्नेहक लेने पर करों में छूट

*464. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री चंद्र भूषण सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी एयरलाइनों की भारत से बाहर जाने वाली और भारत आने वाली और देश से होकर गुजरने वाली उड़ानों के लिए भारत में पेट्रोल और अन्य स्नेहक लेने पर सभी लेवियों और शुल्कों के भुगतान से छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसे प्रभावी बनाने हेतु वायुयान अधिनियम, 1939 में संशोधन भी करने जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस निर्णय के कारण कुल कितना राजस्व घाटा उठाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) विभिन्न देशों के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित विमान सेवा करारों के अधीन दायित्वों को पूरा करने तथा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के संकल्पों का अनुपालन करने की दृष्टि से, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन एक विधायन लाने की दृष्टि से एक बिल पेश किया जिससे भारत के लिए और भारत से होकर प्रचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का अन्य राष्ट्रों में पंजीकृत विमानों द्वारा लिये जाने वाले ईंधन और स्नेहकों को सभी प्रकार के ड्यूटी और करों से छूट दी जा सके। प्रस्तावित छूट देने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जब नया विधायन तैयार हो जाता है, राज्य सरकारें और संघ शासन जहाँ से विदेशी विमान कंपनियों द्वारा विमानन टर्बाइन इत्यादि इत्यादि लिया जाता है, वे विक्रय कर और अन्य स्थानीय करों के संबंध में राजस्व की हानि सहेंगी। कुल हानि उठाए जाने वाले ईंधन इत्यादि की मात्रा पर निर्भर करेगी।

केरल में रेल का विकास

*465. **श्री के. मुरलीधरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल राज्य से रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियों में देश के अन्य राज्यों की प्राप्तियों की तुलना में पिछले कुछ वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या किसी राज्य में रेलवे के विकास में निवेश उस राज्य से हुई सकल प्राप्तियों के अनुपात में किया जाता है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा केरल में रेलवे अवसंरचना का विकास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) 1999-2000 के दौरान जोनवार यातायात प्राप्तियाँ इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए में)

जोन	राशि
मध्य	5409.49
पूर्व	3643.14
उत्तर	6042.43
पूर्वोत्तर	1042.33
पूर्वोत्तर सीमा	683.85
दक्षिण	2336.43
दक्षिण मध्य	3240.01
दक्षिण पूर्व	5949.94
पश्चिम	4564.26

(ख) सकल यातायात प्राप्तियाँ राज्य-वार नहीं रखी जाती हैं।

(ग) से (ङ) रेलवे एक एकीकृत प्रणाली है और निवेश संबंधी निर्णय लेने का मापदंड राज्यों की भौगोलिक सीमाएँ नहीं हैं। अतः नई लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएँ समग्र महत्त्व के आधार पर शुरू की जाती हैं इस प्रक्रिया में, नई लाइनें, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और रेल विद्युतीकरण की कुछ परियोजनाएँ कई राज्यों के अंतर्गत आ जाती हैं और इस कारण रेल निवेश के राज्यवार ठीक-ठीक ब्यौरे प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा मितव्ययिता के उपाय

*466. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष की अवधि के दौरान और आज तक भारतीय तेल निगम ने सरकार के निर्देशों के अनुसार मितव्ययिता के उपायों का पालन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों से अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने यह सूचित किया है कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 5 अगस्त, 1999 के का.ज्ञा. संख्या–7(3)ड (समन्वय)/99 और दिनांक 24 सितम्बर, 2000 के का.ज्ञा. संख्या 7(4) ड-समन्वय/2000 में उल्लिखित मितव्ययिता उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

यह सूचित किया गया है कि कारपोरेशन ने एक वर्ष अर्थात् 1.10.1999 से 30.9.2000 के दौरान कुल लगभग 55.75 करोड़ रुपए की बचत की है।

वस्त्रों का निर्यात

*467. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजी लाल सुमन

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अनेक देशों को वस्त्रों का निर्यात अभी भी आयातकर्ता देशों द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर नियत किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या वे देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य नहीं हैं;

(घ) यदि हाँ, तो खुले बाजार की वर्तमान व्यवस्था में व्यापार में ऐसे प्रतिबंध किस हद तक न्यायोचित हैं;

(ङ) क्या इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए यह मामला विश्व व्यापार संगठन के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (च) 31 दिसम्बर, 1994 तक कुछ विकसित देशों (नामतः संयुक्त राज्य अमरीका; यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश; कनाड़ा) को वस्त्रों के निर्यात सामान्य प्रभार और व्यापार करार (गाट) के नियमों से बाहर बहु-फाइबर व्यवस्था (एम.एफ.ए.) के तत्वावधान में भारत और इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वस्त्र करारों द्वारा अधिशासित थे। 1 जनवरी, 1995 से बहु फाईबर व्यवस्था के अंतर्गत द्विपक्षीय करारों में मात्रा संबंधी प्रतिबंध (आयात कोटे), गाट की उरुग्वे दौर की वार्ताओं के अंतिम अधिनियम में निहित वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (ए.टी.सी.) द्वारा अधिशासित हो रहे हैं। इस समय हमारी वस्त्र और क्लोदिंग की मदें डब्ल्यू.टी.ओ. के कुछ सदस्य देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कनाडा में प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। ए.टी.सी. के अनुसार ये कोटे चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएँगे और 1 जनवरी, 2005 तक वस्त्र क्षेत्र डब्ल्यू.टी.ओ. में पूर्णतः एकीकृत हो जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना

*468. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
चौधरी तेजवीर सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले कपड़ा श्रमिकों को कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव पिछले अनेक वर्षों से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुँचने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानियों द्वारा शिकागो विमानपत्तन पर एअर इंडिया का प्रबंधन संभाला जाना

*469. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री शिवाजी माने :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार मिला है कि पाकिस्तानी मूल के लोग शिकागो के ओ. आरे विमानपत्तन पर एयर इंडिया का प्रबंधन सँभाल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह मामला संबद्ध सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जाँच कराई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, हाँ। एअर इंडिया के सुरक्षा निदेशक ने एअर इंडिया के विमानों के लिए सुरक्षा प्रबंध के निरीक्षण के लिए अगस्त/सितम्बर, 1999 में न्यूयार्क और शिकागो का दौरा किया था जिसके दौरान उन्होंने स्टेशन प्रबंधकों और ग्राउन्ड हैंडलिंग एजेंटों के साथ भी व्यापक चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने एअर इंडिया की उड़ानों को हैंडिल करने के लिए पाकिस्तानी कर्मचारियों की तैनाती पर चिंता जताई। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंटों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रिकों के

साथ कुछ देशों के मूल नागरिकों को अलग रखने से अमेरिकी कानून के तहत गंभीर कानूनी उलझनें हो सकती हैं जो पक्षपातपूर्ण साबित हो सकती हैं। फिर भी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यथासंभव वे एअर इंडिया की उड़ानों की हैंडलिंग के लिए पाकिस्तान मूल के राष्ट्रिकों को न रखने का प्रयास करेंगे। एअर इंडिया के स्टेशन एवं सुरक्षा प्रबंधक, जो एअर इंडिया के कर्मचारी हैं, को स्थिति पर निरंतर नजर रखने तथा इस मुद्दे पर एअर इंडिया को ग्राउंड हैंडलिंग एजेंटों की गतिविधियों पर निरंतर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

रक्षा प्रबंधन संबंधी अरुण सिंह समिति

*470. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाडूडे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर रक्षा प्रबंधन संबंधी अरुण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार का प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना द्वारा विजन 2020 तैयार कर लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों और दिए गए सुझावों तथा "विजन 2020" पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) मुख्य सिफारिशें उच्चतर रक्षा प्रबंधन की पुनर्संरचना, अधिप्राप्ति संगठन और प्रक्रियाओं में बदलाव लाने, अनुसंधान तथा विकास, रक्षा उत्पादन, अनुसंधान नीति, मानव संसाधन विकास, जनशक्ति और लागत प्रभावकारिता से संबंधित हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय वायुसेना विजन 2020 रक्षा के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए स्थापित कार्य बल के वास्ते भारतीय वायुसेना द्वारा तैयार की गई प्रस्तुतियों का संग्रह था। मंत्री समूह, जिसने यह कार्य बल गठित किया था, विभिन्न सिफारिशों पर विचार करने के बाद कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करेगा।

पर्यटकों के प्रति हिंसा

*471. **श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :**
श्री कोलुर बसवनागौड़ :

क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के प्रति हिंसा और छल-कपट की घटनाएँ बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस समस्या से निपटने के लिए अलग कानून बनाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) विदेशी पर्यटकों के प्रति हिंसा एवं धोखाधड़ी की रोकथाम, राज्य/संघ राज्य प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आने वाला कानून एवं व्यवस्था संबंधी विषय है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान पर्यटकों के प्रति अपराधों से संबंधित शिकायतें निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1997	117
1998	100
1999	103

(ग) से (ङ) विदेशी पर्यटकों के लिए भारत को एक बाधामुक्त गंतव्य स्थल के रूप में संवर्धित करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों को उपयुक्त पर्यटन कानून अधिनियमित करने तथा पर्यटक पुलिस स्थापित करने के लिए लिखा है। जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों ने पहले ही पर्यटक पुलिस स्थापित कर ली है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्यों की सरकारें ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रही हैं।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की मांग

*472. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिट्टी के तेल की उपलब्धता इसकी जरूरत से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल की राज्यवार माँग और आपूर्ति कितनी है; और

(घ) मिट्टी के तेल की माँग पूरी करने के लिए कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया और मिट्टी का तेल किस दर पर आयात किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के लिए मिट्टी के तेल की उपलब्धता देश में इसकी आवश्यकता से कम नहीं है। आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन और आयात से पूरी की जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को किया गया मिट्टी के तेल का आवंटन संलग्न विवरण में दिया

गया है। इसके अलावा गैर-सार्वजनिक वितरण प्रणाली माँग को पूरा करने के लिए समानान्तर विपणनकर्ताओं द्वारा भी मिट्टी के तेल का आयात किया जाता है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आयातित मिट्टी के तेल की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	आयातित मात्रा (हजार मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1998-99	5421	3002
1999-2000	5144	4518
योग	10565	7520

विवरण

1997-98 से 1999-2000 की अवधि के लिए मिट्टी के तेल का राज्यवार आवंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 (मी.ट.)	1998-99 (मी.ट.)	1999-2000 (मी.ट.)
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	4743	7155	6736
आंध्र प्रदेश	650785	675056	679848
अरुणाचल प्रदेश	9948	10240	10295
असम	263760	271235	272623
बिहार	679329	863745	870036
चंडीगढ़	21562	21778	15408
दादरा और नगर हवेली	3202	3237	3238
दिल्ली	245768	248325	204672
दमन/दीव	3033	3064	2438
गोवा	27954	28257	28075
गुजरात	822339	831600	832432
हरियाणा	164653	170563	171731
हिमाचल प्रदेश	58984	60737	61067
जम्मू और कश्मीर	88828	91433	91921
कर्नाटक	513054	528301	531167
केरल	289540	300006	302078
लक्षद्वीप	906	919	921
मध्य प्रदेश	532741	661812	666632
महाराष्ट्र	1558397	1576298	1577953
मणिपुर	22064	22670	22781
मेघालय	20245	20847	20960
मिजोरम	7868	8102	8146
नागालैंड	13797	14207	14284
उड़ीसा	239501	316597	318903
पांडिचेरी	15329	15342	15363
पंजाब	337118	342376	343127
राजस्थान	361736	440060	443265
सिक्किम	7794	7885	7895
तमिलनाडु	698837	716830	720076
त्रिपुरा	31451	32386	32562
उत्तर प्रदेश	1178862	1391123	1401255
पश्चिम बंगाल	785065	808013	812309
योग	9659193	10490199	10490197

[अनुवाद]

रेलवे में समय की पाबंदी और सुरक्षा

*473. **श्री रामदास आठवले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में समय की पाबंदी और सुरक्षा में सुधार करने के लिए राज्य सरकार की सहायता से रेल विभाग कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उन संवेदनशील रेलवे जोनों की भी पहचान की है जहाँ रेल सेवाएँ प्रायः अस्त-व्यस्त रहती हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारें इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित योजनाओं को कार्यान्वित करने में रेलवे की सहायता करने पर सहमत हो गई हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (च) भारतीय रेलें, राज्य सरकारों की सहायता से समयपालन और संरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :

1. मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालय स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ समन्वय बैठकें।

2. अप्राधिकृत तरीके के खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइप अलग करने तथा क्लैपेट वाल्व ऑपरेशन के साथ-साथ शरारती तत्वों की गतिविधियों से उत्पन्न बुराइयों से निपटन के लिए राज्य की पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त जाँच।

3. गाड़ियों के समय पर तथा सुरक्षित संचलन में होने वाली बाधा को न्यूनतम करने के लिए आंदोलन/बंद, बम विस्फोट की आशंका होने पर कानून और व्यवस्था से संबंधित तंत्र के साथ निकट समन्वय।

4. कुछ राज्यों के उन क्षेत्रों में, जहाँ तोड़फोड़ की आशंका होती है, राज्य की पुलिस के साथ समन्वय रखकर स्पेशल पायलट गाड़ियाँ चलाना।

5. राज्य सरकार के समन्वय से समपारों के पहुँच मार्गों पर उपयुक्त सड़क चिह्न लगाए गए हैं ताकि सड़क वाहनों के ड्राइवरों को यह पता चल सके कि आगे समपार है।

6. चूँकि बिना चौकीदार वाले समापारों पर दुर्घटनाएँ सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं इसलिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय, विशेष रूप से ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए, कड़ाई से जाँच करके सहायता प्रदान करें। सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे सड़क उपयोगकर्ताओं को समपारों से वाहन गुजारते समय अपनाए जाने वाले नियमों से अवगत कराने के लिए सहयोग करें।

7. मोटर यान अधिनियम, 1998 तथा रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत सड़क वाहनों के लापरवाह ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ घात लगाकर संयुक्त जाँच करना।

8. सुरक्षा से संबंधित मामलों पर रेलों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई थी। रेल यात्रियों और रेल प्रणाली को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के उपाय सुझाने के लिए रेलों पर सुरक्षा संबंधी उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें रेलों और राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हैं।

गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रेलें और राज्य सरकारें आपस में समन्वय बनाए रखती हैं। इन क्षेत्रों में रेलें राज्य सरकारों के साथ मिलकर निवारक और एहतियाती उपाय करती हैं ताकि गाड़ियों के सुरक्षित चालन और उनके समय पालन में आने वाली बाधा को न्यूनतम किया जा सके।

उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों को हानि

*474. **श्री टी. गोविंदन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ानें रद्द होने के कारण विदेश जाने वाले यात्री बड़ी कठिनाइयों में फँस जाते हैं जिनमें रोजगार का नुकसान और आजीविका के अधिकार से वंचित होना शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) तकनीकी समस्याओं, खराब मौसम आदि जैसे कुछ अपरिहार्य कारणों से कभी-कभी उड़ानों को रद्द किया जाता है। जब इस प्रकार से उड़ानों को रद्द किया जाता है तो यात्रियों को अन्य उड़ानों में स्थानांतरित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं जिसमें अन्य विदेशी एयरलाइनें भी सम्मिलित होती हैं जो उसके तुरंत बाद उपलब्ध होती हैं अथवा उन्हें उनके अंतिम गंतव्य स्थानों को अन्य स्थानों से होकर री-रूट किया जाता है।

निधियों का सृजन

*475. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को किए जाने वाले निधियों के आवंटन के वर्तमान स्तर से नई रेल लाइन परियोजनाओं के पूरा होने में पैंतीस वर्ष से अधिक और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के पूरा होने में और पंद्रह वर्ष लगेंगे;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे को सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु रेल पटरियों को बदलने और उनका उन्नयन करने तथा चल स्टॉक को बदलने के लिए अगले पाँच वर्षों तक प्रति वर्ष तीन हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो रेलवे द्वारा अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए स्वयं निधियों का सृजन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) रेलों के लिए किए गए निधियों के आवंटन के मौजूदा स्तर को देखते हुए बजट में पहले से शामिल नई लाइन परियोजनाओं को पूरा करने में 97 वर्ष से अधिक समय लगेगा और बजट में शामिल आमान परिवर्तन संबंधी कार्यों को पूरा करने में 15 वर्ष लगेंगे। इसमें मुद्रा स्फीति को हिसाब में नहीं लिया गया है।

(ख) कई वर्षों के बजट में 81 नई लाइन परियोजनाएँ शामिल हैं जिनकी अद्यतन लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इन पर 22,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। 600 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए इन्हें पूरा करने में 37 वर्ष लगेंगे। इसी प्रकार लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 73 आमान परिवर्तन परियोजनाएँ हैं जिसमें से अब तक 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इन्हें ही पूरा करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए और अपेक्षित हैं। प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए के आवंटन से इन्हें पूरा करने में 15 वर्ष लगेंगे।

(ग) जी नहीं। गतायु रेलपथ अर्थात् बदलाव संबंधी बकाया कार्य और अगले 5 वर्षों में अपेक्षित होने वाले बदलाव कार्य के लिए कुल आवश्यकता लगभग 25,000 करोड़ रुपए की होगी। इसके अलावा, भारतीय

रेलों की गतायु रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और मालडिब्बों के बदलाव के लिए 95,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, इससे अगले पाँच वर्षों में वार्षिक आवश्यकता प्रतिवर्ष 69,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। तथापि खन्ना समिति ने संरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान की सिफारिश की है।

(घ) अतिरिक्त यातायात प्राप्त करने तथा रेलों की बकाया धनराशि की वसूली करने के मौजूदा प्रयासों के अलावा, रेलवे भूमि और आकाश क्षेत्र के उपयोग, ऑप्टिक फाइबर संचार चैनलों के मार्गाधिकार को पट्टे पर देने, रेलवे स्टेशनों और चल स्टॉक पर विज्ञापन के अधिकार पट्टे पर देने इत्यादि जैसे विभिन्न नए तरीकों से संसाधन जुटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। रेल परियोजनाओं के निष्पादन और वित्तपोषण में राज्य सरकारों और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र से निवेश प्राप्त करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रेशम का उत्पादन

*476. **श्री पी.आर. खुंटे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम के उत्पादन के क्षेत्र में विनियमित क्षेत्रीय सहभागिता हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेशम उत्पादन को खुले सामान्य लाइसेंस की श्रेणी के अंतर्गत लाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेशम उत्पादन में प्रौद्योगिकी के विकास हेतु निवेश को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) रेशम के उत्पादन के क्षेत्र में विनियमित क्षेत्रीय सहभागिता के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, रेशम के घरेलू उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड अनेक योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके/अथवा सहायता देकर तथा उसके विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में किए गए अनुसंधान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के अंतरण से राज्य रेशम उत्पादन विभागों के प्रयासों को पूरा करता है। मुख्य योजनाएँ हैं :

- 36 उत्प्रेरक विकास योजनाएँ जिनके अंतर्गत खाद्य पादपों की कृषि से लेकर रेशम उत्पादों के विपणन तक के समग्र रेशम उत्पादन और रेशम विकास के जटिल क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा तैयार और क्रियान्वित की गई सूक्ष्म परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है।
- विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि की वित्तीय सहायता से रेशम उत्पादन के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश और मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजनाएँ।
- यू.एन.डी.पी. सहायित गैर-शहतूती रेशम उत्पादन परियोजना आदि।

(ग) और (घ) देश में रेशम के उत्पादन के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। केवल अपरिष्कृत रेशम, रेशम यार्न, रेशम फैब्रिक और रेशमकीट कोसों के आयात के लिए ही लाइसेंस जरूरी हैं।

(ङ) रेशम उत्पादन में प्रौद्योगिकी का विकास करने में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रमों के भाग के रूप में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य अधिक उत्पादकता वाली कोटि की रेशम की रीलिंग, कताई, रंगाई और प्रसंस्करण के लिए नई प्रौद्योगिकियों और मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है। इनमें मुख्यतः शामिल हैं :

(i) मल्टी एंड रीलिंग मशीन और रेशम रीलिंग पैकेज को बढ़ाना;

(ii) कोटि की रेशम के उत्पादन के लिए विकास केंद्रों का सृजन;

(iii) हथकरघा रेशम प्रसंस्करण केंद्रों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र;

(iv) रीलिंग एककों को सहायता;

(v) रेशम क्षेत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहायता; और

(vi) किफायती चूल्हों द्वारा संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन।

इनके अतिरिक्त, रेशम उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन के लागू दर से 5% बिंदु कम पर ऋण उपलब्ध है।

तेल उत्पादक देशों के साथ समझौते

*477. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न तेल उत्पादक देशों के साथ अनेक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने 11 जून, 2000 को कनाड़ा में हुई बैठक में भाग लिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसमें कौन से मुख्य निर्णय लिए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) करारों या समझौता ज्ञापनों पर हमारी राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा अपने क्रियाकलापों के रूप में हस्ताक्षर किए जाते हैं और चालू वर्ष के दौरान कवर किए गए प्रमुख देश अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, रूस, वेनेजुवेला और वीयतनाम हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे तेल की खरीद के लिए 2000-01 के लिए ईरान, इराक, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आवधिक ठेके किए गए हैं।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल जिसमें मंत्रालय और पेट्रोल क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यूज.) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे ने केलगरी, कनाडा में 11 से 15 जून, 2000 के दौरान 16वें विश्व पेट्रोलियम सम्मेलन में भाग लिया।

इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भावी निवेशकों से भेंट की और विशेषकर पेट्रोलियम उद्योगों के सेवा क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भारतीय हाईड्रोकार्बन के समग्र आकर्षणों को उजागर करने में समर्थता दिखाई।

एन.सी.सी. में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन

*478. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों को एन.सी.सी. की गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिए जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो एन.सी.सी. का अनुभव रखने वाले छात्रों के लिए स्थान और नौकरियाँ आरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या एन.सी.सी. की भूमिका का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर में शामिल होने के लिए देश के युवकों को प्रोत्साहित करने के वास्ते केंद्र सरकार और विभिन्न सरकारें पात्र कैडेटों को रोजगार, शैक्षिक क्षेत्र में रियायतें, व्यक्तिगत अवार्ड, ट्राफियाँ, नकद पुरस्कार आदि के रूप में अनेक प्रोत्साहन देती हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर की भूमिका को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महिला वकीलों की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति

*479. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में महिला वकीलों की नियुक्ति हेतु विधि आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सरकार को, महिला अधिवक्ताओं की उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की बाबत विधि आयोग की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जिनमें किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण की बाबत कोई उपबंध नहीं है। जाति या वर्ग आदि की बाबत कोई जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, सरकार ने समय-समय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखे हैं, जिनमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बार में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएँ जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हैं।

पक्षियों के कारण गंभीर समस्याएँ

*480. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विमानपत्तनों के नजदीक पक्षियों के कारण गंभीर समस्याएँ पैदा हो रही हैं;

(ख) क्या पहले भी पक्षियों के टकराने से कई दुर्घटनाएँ हुई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विमानपत्तनों को पक्षियों की समस्या से मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विमानों से पक्षी टकराव की घटना चिंता का विषय है। तथापि, विगत तीन वर्षों के आँकड़ों से पता चलता है कि पक्षी टकराव की दुर्घटना में कमी आई है :

1997	-	150
1998	-	136
1999	-	121

(ख) और (ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान पक्षी टकराव के कारण कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है।

(घ) हवाई अड्डे के आस-पास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है और पक्षियों को आकर्षित करने के स्रोत को रोकने के लिए विमान क्षेत्र पर्यावरण प्रबंधन समितियों द्वारा उपयुक्त उपाए किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पक्षियों को दूर भगाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है साथ ही विमान क्षेत्र के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर पक्षियों के आकर्षण स्रोतों को हटाने का भी प्रयास किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें

5014. **श्रीमती रीना चौधरी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के निदेशकों द्वारा विदेशी मुद्रा की हेराफेरी से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान विगत तीन विमानों की खरीद हेतु उक्त क्लब द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया है और तुलन पत्र में कितनी धनराशि दर्शाई गई;

(घ) सरकार द्वारा इस मामले की जाँच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हाँ। 2 प्रशिक्षु विमानों की खरीद के संबंध में यू.एस.ए. को 36.25 करोड़ रुपए की मूल्यवान विदेशी मुद्रा के तथाकथित गबन के बारे में मैसर्स मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) मैसर्स मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड के अनुसार 3 प्रशिक्षु विमानों की खरीद के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान विदेशी मुद्रा का भुगतान नहीं किया गया था। विमान और इंजन के मूल्य की खरीद पर कुछ मतभेद होने के कारण क्लब ने अभी तक वित्त पोषक/निदेशक को कोई भुगतान नहीं किया है और क्लब ने इस राशि को तुलनपत्र में इस प्रकार 'देयता' के रूप में दिखाया है :

(i) क्लब द्वारा स्वीकृत देयता : 41,19,647 रुपए

(ii) विवादित देयता : 33,14,677 रुपए।

(घ) और (ङ) उपयुक्त स्तर पर मामले की जाँच की जाएगी।

डीजल से प्रदूषण

5015. श्री पुष्प जैन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल में निलंबित कणों की मौजूदगी के कारण होने वाला प्रदूषण खतरनाक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऑटोमोबाइल्स हेतु यूरो-1 और यूरो-2 मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ट्रैक्टरों के लिए भी कोई उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यूरो-1 मानक 1.4.2000 से सारे देश में सभी प्रकार के वाहनों के लिए लागू कर दिया गया है। भारत चरण-2 मानक (यूरो-2 के समकक्ष) सभी मोटर कारें और पैसेंजर वाहन जिनका सकल गाड़ी भार (जी.वी.डब्ल्यू.) 3,500 कि.ग्रा. तक है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली में 1.4.2000 से लागू कर दिया गया है तथा 1.1.2001 से मुंबई में तथा 1.7.2001 से चेन्नई तथा कलकत्ता में लागू कर दिया जाएगा।

(घ) से (च) ट्रैक्टरों के लिए भी उत्सर्जन मानक, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 627 (ई.) दिनांक 8 सितम्बर, 1999 के द्वारा तय कर दिए गए हैं और इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 444 नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 1999/भाद्र 17, 1921

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1999

सा.का.नि. 627(अ)—केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 तथा 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 762 (अ) तारीख 22 दिसम्बर, 1998 के साथ भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22 दिसम्बर, 1998 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव माँगे गए थे;

और भारत के उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 23 दिसम्बर, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय से परामर्श करके केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 1999 है।

(ii) ये 1 अक्तूबर, 1999 को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में, नियम 115 क पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात् : 115 क. डीजल इंजिनों द्वारा चालित कृषि ट्रैक्टरों से धुएँ और वाष्प का उत्सर्जन–

(1) इस नियम के प्रारंभ की तारीख से ही विनिर्मित प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर को उसके स्वामी द्वारा ऐसी दशा में रखा जाएगा और

उसका इस प्रकार उपयोग किया जाएगा कि उसके द्वारा उत्सर्जित दृश्यमान और गैसयुक्त प्रदूषक इस नियम में यथाविहित मानक के अनुरूप हो।

(2) कृषि ट्रैक्टर का प्रत्येक विनिर्माता उसके द्वारा उत्सर्जित दृश्यमान प्रदूषकों के मानकों का पालन करेगा जब उनका भारतीय मानक भा.मा. 12062 : 1987 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जाता है।

(3) दृश्यमान प्रदूषकों का उत्सर्जन नीचे दिए गए मानों की सीमा से अधिक नहीं होगा जब उनका छह बराबर अंतर की गति पर अस्सी प्रतिशत भार के आधार पर इंजन डाइनमोमीटर पर परीक्षण किया जाता है अर्थात्–

(क) विनिर्माता द्वारा घोषित पचपन प्रतिशत दर की गति या एक हजार आर.पी.एम. इनमें से जो भी अधिक हो; या

(ख) विनिर्माता द्वारा घोषित दर की गति।

(धुएं की अधिकतम सघनता)

प्रकाश अवशोषण गुणांक (1 मि.)	हार्ट्रिज इकाई
3.25	75

(4) प्रत्येक डीजल चालित ट्रैक्टर उसके विनिर्माता द्वारा इस प्रकार विनिर्मित और उत्पादित किया जाएगा कि वह उसके द्वारा उत्सर्जित गैस युक्त प्रदूषकों के मानकों का, उपनियम (2) में यथा उपबंधित दृश्यमान प्रदूषकों के अतिरिक्त पालन करता है जब उसका आई.एस.ओ. 8178-4 'सी 1' 8 रीति चक्र के अधीन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षण किया जाता है, अर्थात्–परीक्षण के दौरान उत्सर्जित कार्बन मोनोआक्साइड (सी.ओ.), हाइड्रोजन (एच.सी.) का भार किया गया औसत द्रव्यमान और नाइट्रोजन (एन.ओ.एक्स.) ग्राम या कि.वा. प्रतिघंटे का द्रव्यमान आक्साइड नीचे दी गई सीमाओं से, किस्म अनुमोदन और उत्पादन अनुरूपता परीक्षण; दोनों से अधिक नहीं होगा अर्थात्–

कार्बन मोनोआक्साइड (सी.ओ.) का द्रव्यमान - 14.0 ग्राम या किलोवाट घंटा

हाइड्रोकार्बन (एच.सी.) का द्रव्यमान - 3.5 ग्राम या किलोवाट घंटा

नाइट्रोजन (एन.ओ.एक्स.) के आक्साइडों का द्रव्यमान - 18.0 ग्राम या किलोवाट घंटा

(फा.सं.आर.टी.-11011/13/98-एम.वी.एल.)

के.आर. भाटी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02.06.1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और जिनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक–द्वारा किया गया।

[अनुवाद]

कराकोरम के साथ पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ने हेतु राजमार्ग

5016. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के साथ कराकोरम को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे हमारी सुरक्षा विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य को खतरा पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो पाकिस्तान की इस पहल का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर से जोड़ने वाले कराकोरम राजमार्ग का निर्माण कर लिया है। यह राजमार्ग हैवेलियन थाकोट-गिलगिट-खुनजेराब दर्रे की सीध में है। यह राजमार्ग जून 1978 में पूरा हुआ था।

(ग) और (घ) हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर लगातार नजर रखी जाती है तथा हमारे देश की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करने के लिए सभी समुचित कदम उठाए जाते हैं।

सस्ती दरों पर स्नेहक

5017. श्री नरेश पुगलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निगम खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों की तुलना में सस्ती दरों पर अपने ल्यूब वितरकों को स्नेहक बेच रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीलरों का वर्तमान कमीशन ढाँचा डीलरों के पारिश्रमिक हेतु कोई प्रावधान मुहैया नहीं कराता;

(घ) यदि हाँ, तो क्या मुक्त व्यापार उत्पादों का लाभ ए.पी.एम. के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पादों के लागत ब्यौरे में से निकाला जा सकता है; और

(ङ) इस पद्धति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन में एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना

5018. श्री सुरेश कुरूप : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित एल.एन.जी. टर्मिनल्स किस चरण में हैं;

(ख) क्या टर्मिनल की स्थापना में काफी विलंब हो रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो टर्मिनल कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पी.एल.एल.) ने स्वतः निर्माण, प्रचालन एवं अंतरण करो (बी.ओ.ओ.टी.) आधार पर कोच्चि में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) टर्मिनल के निर्माण के लिए पूर्व योग्यता हेतु बोलियाँ आमंत्रित की हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोच्चि टर्मिनल पर एल.एन.जी. आपूर्तियाँ वर्ष, 2003-04 के दौरान आरंभ होने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

नवसृजित राज्यों में पर्यटन विकास

5019. श्री पुन्नू लाल मोहले :
डा. वी. सरोजा :

क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विकास हेतु नवसृजित छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों से कौन-कौन सी परियोजनाएँ/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं और परियोजनावार इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संबंधित राज्यों में सभी पर्यटन स्थलों के न्यास गठित करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं, जो अब नयनिर्मित राज्यों में पड़ती हैं, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

राज्य	परियोजना की संख्या	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
छत्तीसगढ़	3	131.00
झारखंड	6	212.00
उत्तरांचल	18	322.03

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित टिकटों का दुरुपयोग

5020. श्री जय प्रकाश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण की पुष्टि/आर.ए.सी./प्रतिक्षा-सूची में यात्रियों के नामों की सूची दर्शाने वाली कंप्यूटरी चार्ट रेलगाड़ी के स्टेशन से छूटने के केवल दो घंटे पहले जारी की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आरक्षण की पुष्टि वाले टिकड़ों को रद्द करने का लाभ ऐसे चार्ट जारी करने के पश्चात् प्रतीक्षा-सूची में दर्ज यात्रियों को नहीं दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस तरह के टिकटों की जानकारी रखने वाले कुछ काउंटर क्लर्क रद्द किए गए टिकटों को पुनः बेच देते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) आरक्षण चार्ट सामान्यतः गाड़ी के निर्धारित समय से 2 से 4 घंटे पहले ही जारी किया जाता है। बहरहाल, जिन गाड़ियों के प्रस्थान का समय प्रातःकाल में होता है, उनके चार्ट पिछली रात को ही जारी कर दिए जाते हैं।

(ख) आरक्षण चार्ट के छपने के पश्चात् रद्द हुई बर्थ/सीट, गाड़ी में कंडक्टर/गाड़ी टिकट परीक्षक द्वारा आर.ए.सी. यात्रियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाती है।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत नोटिस में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल फाटक परियोजनाएँ

5021. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने तुमकुर शाखा नहर और इसकी सहायक नहरों के अंतर्गत रेल फाटकों के निर्माण हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ, निक्षेप शर्तों पर कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 7 कंनल क्रासिंग/पुलों के लिए प्रस्ताव किया गया था। दो पुलों का कार्य एक

तुमकुर-मलासांद्रा स्टेशनों के बीच कि.मी. 71/8-9 पर और दूसरा गुब्बी-नित्तुर स्टेशनों के बीच कि.मी. 92/1-2 पर पूरे हो गए हैं। गुब्बी-नित्तुर के बीच कि.मी. 89/14-15 पर दूसरे पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शेष 3 पुलों का कार्य मलासांद्रा-गुब्बी-नित्तुर के बीच कि.मी. 84/14-15, 87/7-8 पर और बानासांद्र-अम्मासांद्र के बीच कि.मी. 115/2-3 पर शुरू नहीं किया गया है चूँकि इन पुलों की अनुमानित लागत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अभी जमा नहीं की गई है।

गुब्बी और मलासांद्र के बीच कि.मी. 85/14-15 पर पुल योजना स्तर पर है चूँकि हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिशत प्रभार जमा किए गए हैं।

कंप्यूटर एडिड डिजाइन केंद्र

5022. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंप्यूटर एडिड डिजाइन केंद्र की स्थापना के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई केन्द्र दक्षिणी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार) : (क) से (ङ) सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र को डिजाइन विकास और विनिर्माण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में वस्त्र अनुसंधान संघों के प्रशासनिक नियंत्राधीन 16 कंप्यूटर सहायित डिजाइन केंद्र (सी.ए.डी.) स्थापित किए हैं। इनमें से 4 कंप्यूटर सहायित डिजाइन केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थापित किए गए हैं। कंप्यूटर सहायित डिजाइन केंद्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	विद्युतकरघा सेवा केंद्र	राज्य
1.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
2.	करूर	तमिलनाडु
3.	कोमारपलयम	तमिलनाडु
4.	सोमानुर	तमिलनाडु
5.	बंगलौर	कर्नाटक
6.	डोडाबल्लापुर	कर्नाटक
7.	सोलापुर	महाराष्ट्र
8.	इचलकरंजी	महाराष्ट्र
9.	मुंबई	महाराष्ट्र
10.	भीलवाड़ा	राजस्थान
11.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
12.	पानीपत	हरियाणा
13.	अहमदाबाद	गुजरात
14.	सूरत	गुजरात
15.	भीवंडी-(1)	महाराष्ट्र
16.	बुरहानपुर	मध्य प्रदेश

इसी प्रकार सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए बेबसाइट के माध्यम से रंग और डिजाइन के पूर्वानुमान, डिजाइन पूर्व और उद्देश्यों संबंधी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइनिंग केंद्र (एन.सी.टी.डी.) स्थापित किया है। 5 बुनकर सेवा केंद्रों को इंटरनेट के माध्यम से एन.सी.टी.डी. के साथ जोड़ा गया है। हथकरघा विकास और सवंर्द्धन के लिए 1.4.2000 से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कंप्यूटर सहायित वस्त्र डिजाइन प्रणाली की स्थापना करने और वस्त्र डिजाइनों के लिए राष्ट्रीय केंद्र के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत करघा क्षेत्र को कठिनाई

5023. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वस्त्र उद्योग से विशेषकर सोलापुर विद्युत करघा उद्योग से उन कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो सरकार द्वारा घोषित वस्त्र उन्नयन कोष योजना के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ उठाने में आ रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को प्रभावी बनाने और असंगठित विद्युत करघा और हस्त करघा क्षेत्र को उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (घ) सरकार को सोलापुर जिला यांत्रामग धारक संघ, सोलापुर सहित विभिन्न उद्योग संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सुझावो में वित्तीय और प्रौद्योगिकीय मानदंडों, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के प्राचलों में संशोधन तथा पात्र मशीनों की सूची में अतिरिक्त मशीनों को शामिल करना आदि निहित है।

अन्तर मंत्रालयी संचालन समिति, जो कि आवधिक आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की पुनरीक्षा और मॉनीटर करती है, ने योजना के कुछ मानदंडों में ढील दी है, जिनमें प्रौद्योगिकी और वित्तीय मानदंडों में संशोधन/ढील देना और पात्र मशीनों की सूची में अनेक मशीनों को शामिल करना निहित है।

[हिन्दी]

फ्रांस द्वारा रक्षा परियोजना का वित्तपोषण

5024. कुमारी भाक्ना पुंडलिकराव गवली : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस द्वारा वित्त-पोषित की जाने वाली रक्षा क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे भारत की रक्षा तैयारी किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) फ्रांस किसी भी भारतीय रक्षा परियोजना में धन नहीं दे रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब

5025. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और अन्य राज्यों में फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक क्लब में कितने विमान हैं; और

(ख) नागर विमानन निदेशालय द्वारा प्रत्येक क्लब को क्या दर्जा दिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे के समक्ष आ रहा वित्तीय संकट

5026. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल निगम अपनी परियोजना को जारी रखने के लिए वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोंकण रेल निगम के पास ब्याज और ऋण किस्त की पुनः अदायगी के लिए धन नहीं है;

(घ) क्या राज्य सरकारें इक्विटी और ऋण से संबंधित अपने शेयर का अंशदान नहीं करती;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कोंकण रेल निगम की किस तरह उनके द्वारा जुटाई गई बांड धन को लौटाने की योजना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) यह निगम 26.01.1998 को इस निगम का निर्माण चरण पूरा हो चुका है और उसके बाद से यह परिचालन चरण में है।

(ग) जी हाँ, बहरहाल, रेल मंत्रालय ऋणों पर ब्याज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस निगम को सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) और (ङ) महाराष्ट्र सरकार और गोवा सरकार ने इक्विटी के अपने हिस्से के प्रति पूर्ण अंशदान नहीं किया है और इन सरकारों द्वारा अभी देय शेष इक्विटी की राशि क्रमशः 21.77 करोड़ रुपए और 7.24 करोड़ रुपए है। इसके कारणों के संबंध में उनके साथ कार्रवाई की जा रही है।

(च) कोंकण रेल को आंतरिक संसाधन के सृजन को अधिकतम बनाने के सभी प्रयास करने के लिए कहा गया है ताकि यह अपनी दायित्वाओं की पूर्ति करने में समर्थ हो सके।

इस दौरान, रेल मंत्रालय इसकी दायिताओं की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान कर रहा है। इस निगम को इसकी ऋण दायिताओं की पूर्ति के लिए 1999-2000 में 200 करोड़ रुपए और 2000-2001 के दौरान 324 करोड़ रुपए का ऋण पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। रेल मंत्रालय अलग से एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में वित्तीय पैकेज मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करने पर विचार कर रहा है।

मुख्य पत्तनों द्वारा कारगो की हैंडलिंग

5027. श्री अनंत नायक : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पत्तन-वार भिन्न-भिन्न मुख्य पत्तनों द्वारा कितने कार्गो हैंडल किए गए;

(ख) क्या परादीप पत्तन ने 2000-2001 के कारगो हैंडलिंग बढ़ाई है;

(ग) यदि हाँ, तो 2000-2001 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और चालू वर्ष के पहले 6 महीने के दौरान पारादीप पत्तन द्वारा कितने कारगो हैंडल किए गए;

(घ) इस पत्तन में इस समय कौन-कौन सी कारगो हैंडलिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं;

(ङ) क्या इस पत्तन में अतिरिक्त कारगो बर्थ उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न महापत्तनों द्वारा हैंडल किया गया कार्गो निम्न प्रकार है :

(मिलियन टन में)

पत्तन	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
कलकत्ता	7.95	9.16	10.31
हल्दिया	20.21	20.22	20.71

1	2	3	4
पारादीप	13.30	13.11	13.64
विशाखापट्टनम	36.01	35.65	39.51
चेन्नई	35.53	35.20	37.44
तूतीकान	9.98	10.15	9.99
कोचीन	12.32	12.67	12.80
नव मंगलूर	15.28	14.21	17.60
मंगलूर	21.18	18.02	18.23
जवाहर लाल नेहरू	8.90	11.72	14.98
मुंबई	32.10	30.97	30.41
कांडला	38.90	40.64	46.30
जोड़	251.66	251.72	271.92

(ख) और (ग) जी हाँ। चालू वित्त वर्ष के लिए परादीप पत्तन के लिए निर्धारित किया गया ट्रैफिक का वार्षिक लक्ष्य 16.45 मिलियन टन है। वर्ष 2000-2001 के पहले छह महीनों (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान पत्तन द्वारा कुल 9.71 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया था।

(घ) पारादीप पत्तन में उपलब्ध कार्गो हैंडलिंग सुविधाएँ इस प्रकार हैं :

(i) अयस्क हैंडलिंग संयंत्र सहित एक लौह अयस्क बर्थ,

(ii) चार बहुप्रयोजनीय कार्गो बर्थ,

(iii) एक पी.ओ.एल. बर्थ, और

(iv) दो आबद्ध बर्थ। इन आबद्ध बर्थों में कार्गो हैंडलिंग प्रचालन स्वचालित अनलोडरों/तट आधारित अनलोडरों सहित पूर्णतः यंत्रीकृत हैं।

(ङ) और (च) जी हाँ। पारादीप पत्तन में तीन बहु प्रयोजनीय कार्गो बर्थ, दो कोयला बर्थ और एक आयल बर्थ निर्माणाधीन हैं।

आई.सी.ए.आई. अधिकारियों को अतिरिक्त परिलब्धियां

5028. डा. मन्दा जगन्नाथ :
डा. बी.बी. रमैया :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के वेतन और भत्तों का अनुसरण करता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वाउचर प्रस्तुत किए बिना वरिष्ठ अधिकारियों को यात्रा भत्ता और निःशुल्क पेट्रोल जैसी कर मुक्त परिलब्धियों का भी भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस विषय पर कितनी लेखा परीक्षा आपत्तियां प्राप्त हुईं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) जो कि चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिकीय स्वायत्त निकाय है, ने सूचित किया है कि संस्थान को इसके अधिकारियों और स्टाफ की नियुक्ति करने तथा उनके वेतन, फीस, भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की सांविधिकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान ने सूचित किया है कि वह अपने कर्मचारियों का देय वेतनमान तथा अन्य भत्तों को निर्धारित वह संशोधित करते समय सामान्य तौर पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि जैसे प्रतिष्ठित तथा प्रमुख शैक्षणिक निकायों द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतनमानों को भी ध्यान में रखता है।

(ख) और (ग) संस्थान ने सूचित किया है कि यह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यय/प्राप्ति का खर्च दिखाने के लिए वाउचर/घोषणा प्रस्तुत किए बिना वाहन और निःशुल्क पेट्रोल जैसे कर मुक्त भत्ते की अनुमति नहीं देता। संस्थान ने आगे रिपोर्ट किया है कि यह अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित भुगतान करता है जिन्हें आयकर अधिनियम तथा उनके नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त है :

1. मैगजीन/पत्र पत्रिकाएँ आदि की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति।

2. अकादमिक अनुसंधान तथा व्यवसायिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित का अनुसरण करने के लिए दिए गए भत्ते।

3. कार्यालय में ड्यूटी पर रहते समय पहनी जाने वाली वर्दियों की खरीद व रख-रखाव के लिए दिए गए भत्ते।

4. प्रतिमाह-प्रति बच्चे के लिए अधिकतम 100/- रु. तक बाल शिक्षा भत्ता।

5. कार्यालय की ड्यूटी करने के लिए यात्रा पर आए खर्च को पूरा करने के लिए यात्रा भत्ते (संस्थान में यातायात सहायता) के रूप में दी गई राशि। संस्थान ने आगे कहा है कि संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों को वाहन के रख-रखाव के लिए प्रतिमाह 2000/- रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। संस्थान के अनुसार सरकार से भिन्न इसके वरिष्ठ अधिकारियों को किसी भी स्तर पर कार्यालय वाहन नहीं दिया जाता है।

(घ) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में इस विषय पर कोई लेखा परीक्षा आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

यात्री सुविधाएँ

5029. श्री अनादि साहू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लेटफार्म, रेल डिब्बे, शौचालय, व्हील चेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों सहित अपंग व्यक्तियों की पहुँच में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपंग व्यक्तियों की पहुँच वाले सवारी डिब्बों का डिजाइन और विनिर्माण करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, रेल मंत्रालय ने 155 बड़े रेलवे स्टेशनों पर अपंग व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त कम से कम एक शौचालय मुहैया कराने तथा स्टेशन इमारतों में प्रवेश हेतु ढलान रास्ता मुहैया कराने का विनिश्चय किया है। बहरहाल, बीमार/विकलाँग यात्रियों के उपयोग के लिए महत्त्वपूर्ण स्टेशनों मास्टरों के पास व्हील चेयर्स उपलब्ध रहती है।

(ग) से (ङ) निधियों की उपलब्धता के दृष्टिगत व्हील चेयर वाले यात्रियों को सीधा प्रवेश देने के लिए अधिक चौड़े दरवाजे वाले 20 प्रोटाटाइप गार्ड एवं स्लीपर टाइप सवारी डिब्बों तथा आशोधित शौचालयों का विकास एवं विनिर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

5030. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री के. येरननायडू :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों, सहायक सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारियों ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) जो चार्टर्ड एकांउटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान (1997-98 से 1999-2000 तक) सहायक सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के निम्नलिखित व्यक्तियों ने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया है :

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती राजेश्वरी त्यागराजन	उप निदेशक
2.	श्री मोहन मिश्रा	सहायक सचिव
3.	डा. कमल गुप्ता	तकनीकी निदेशक
4.	श्री डी.एन. पांडा	उप सचिव
5.	श्री आशीष भट्टाचार्य	तकनीकी निदेशक

आई.सी.ए.आई. ने सूचित किया है कि उनके छोड़ने के विभिन्न कारण हैं, जैसे बाध्य करने वाले घेरलू समस्याएँ/गृहातुरता, शैक्षिक/व्यावसायिक हितों का अनुसरण आदि आदि।

रसोई गैस सिलिंडरों में गैस भरने वाली कंपनियां

5031. श्री सुरेंद्र सिंह बरवाला :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने रसोई गैस सिलिंडरों में गैस भरने हेतु लिंकेज दिया था;

(ख) उन निजी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बुटेन, प्रोपेन और सीप का लिंकेज दिया गया था;

(ग) क्या ये कंपनियाँ लगातार बुटेन खरीद रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन कंपनियों में सीप गैस का वास्तविक प्रयोग कितना है; और

(ङ) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड से इन कंपनियों द्वारा खरीद किए जा रहे सीप और बुटेन का मूल्य कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा उत्पादित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) को बेची जाती है।

(ख) फिलहाल गेल द्वारा ब्यूटेन और सी 4 मिश्रण की बिक्री नहीं की जा रही है। एल.पी.जी. का उत्पादन करने के लिए प्रोपेन का ईंधन और मिश्रण के रूप में उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रोपेन बेची जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गैर-अनुसूचित प्रचालन और विमानन प्रशिक्षण कंपनियां

5032. श्री अशोक अर्गल : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्य कर रही गैर-अनुसूचित प्रचालन और विमानन प्रशिक्षण कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कंपनीवार और वर्षवार उनके पास कितने विमान उपलब्ध हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों के उड़ान घंटे कितने हैं;

(घ) किन-किन कंपनियों के पास इनके रख-रखाव के लिए हैंगर नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कंपनीवार कितना लीज होल्ड प्रभार वसूल किया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानक निर्धारित किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में पहल

5033. श्री साहिब सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और प्रगति के संबंध में कुछ पहल की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना और अगले पाँच वर्षों में विश्व में प्रतिस्पर्धा करने के संबंध में वस्त्र उद्योग के विकास हेतु इन पहल का क्या प्रभाव पड़ा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने 1.4.1999 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है।

सरकार ने 21.2.2000 को कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना, वस्त्र मिलों को कोटि की कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके चार लघु मिशन हैं जिनमें से लघु मिशन-I और II जो कि अनुसंधान और किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रचार करने से संबंधित हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं और लघु मिशन-III और IV जो कि बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने और जिनिंग व प्रैसिंग एककों के आधुनिकीकरण से संबंधित हैं, वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

सरकार ने भी वस्त्र उद्योग की अर्थक्षमता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कुछेक महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :

(i) वस्तुओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन में उद्योग को सहायता देने के लिए वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं की शृंखला स्थापित की गई है।

(ii) पूँजीगत माल के आयात के लिए पूँजीगत माल निर्यात संवर्द्धन (ई.पी.सी.जी.) योजना को सरल बनाया गया है।

(iii) आवश्यक कोटि की अपरिष्कृत कपास का आयात करने में उद्योग को सहायता देने के लिए कपास के आयात को भी ओ.जी.एल. के अंतर्गत रखा गया है।

(iv) उद्योग और अन्य संबंधित संगठनों के परामर्श से वित्तीय शुल्क ढाँचे को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(v) वस्त्र व्यापार और उद्योग में आसूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए उपाय शुरू करना।

(vi) विद्युत करघा विशिष्ट योजनाएँ—विद्युत करघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण; विद्युत करघा सेवा केंद्रों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन; विद्युत करघा कामगारों के लिए सामूहिक बीमा योजना; कंप्यूटर सहायित डिजाइन केंद्रों की स्थापना; तथा विद्युत करघा निर्यातक हकदारी कोटों को 10% से बढ़ाकर 15% करने की प्रक्रिया प्रचालन में है।

वस्त्र उद्योग के इन योजनाओं से विशेषकर उत्पादकता में सुधार लाने और कार्य निष्पादन के विश्वव्यापी रूप से प्रतियोगी बनने की दृष्टि से अत्यधिक लाभान्वित होने की संभावना है।

कपास की खपत

5034. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कपास की घरेलू खपत कितनी थी;

(ख) देश में इसका कितना अतिरिक्त भंडार है; और

(ग) 2000-2001 के दौरान कपास की संभावित खपत कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कपास की घरेलू खपत निम्नानुसार है :

कपास वर्ष (अक्टूबर-सितम्बर)	खपत (170 कि.ग्रा. प्रत्येक वाली लाख गांठ में)
1998-1999	165.36
1999-2000	173.36

(स्रोत : कपास सलाहकार बोर्ड)

(ख) कपास वर्ष 1999-2000 से अग्रेणित स्टॉक 40.50 लाख गांठ है और कपास वर्ष 2000-2001 के लिए अनुमानित फसल का आकार 158 लाख गांठ है।

(ग) कपास वर्ष 2000-01 के दौरान कपास की अनुमानित खपत 173 लाख गांठ है।

[हिन्दी]

हज यात्रियों के लिए उड़ान

5035. श्री भालचंद्र यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को लखनऊ से उड़ान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ताकि मुंबई अथवा देश के किसी अन्य स्थान तक तय की जाने वाली लंबी दूरी यात्रा से बचा जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। हज का संचालन बड़े विमान से किया जाता है। चूँकि लखनऊ हवाई अड्डे से प्रचालन केवल छोटे विमान से ही किया जा सकता है, इसलिए लखनऊ में हज उड़ानों का प्रचालन करना व्यवहार्य नहीं होगा।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में वर्षा के जल संग्रहण के लिए कार्य-योजना

5036. श्री राजैया मल्याला :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय ने उसके नियंत्रणाधीन भूमि पर वर्षा का जल एकत्र करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य भूमि जल विभाग के तकनीकी दल के साथ सहयोग करने के लिए आंध्र सब एरिया कमांडर, सिकंदराबाद और एयर कमोडोर, एयर फोर्स स्टेशन, हाकिमपेट, सिकंदराबाद को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन निर्देशों को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) इस मामले में राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए सेना/वायुसेना के संबंधित प्राधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। यह बताया गया है कि कार्य योजना के अंतर्गत 'पैकेज डील' के एक भाग के रूप में राज्य सरकार को सिकंदराबाद में रक्षा भूमि अंतरित की जानी अपेक्षित होगी। इस संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उस पर उपयुक्त निर्णय लेने हेतु विचार किया जाएगा।

'कैम्पिंग टूरिज्म' को बढ़ावा देना

5037. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कैम्पिंग टूरिज्म' को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम में 1991-92 के दौरान पर्यटन कार्य बल गठित किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो आई.टी.डी.सी. के पर्यटन कार्य बल डिवीजन द्वारा किए गए ऐसे कार्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्य पर शीर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई और प्रत्येक कार्य पर आई.टी.डी.सी. को कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या प्रत्येक पर्यटन शिविर की समाप्ति पर पर्यटन कार्य बल डिवीजन का अप्रयुक्त सामान दिल्ली वापस ले जाया जाता था; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक शिविर से समय-समय पर दिल्ली भेजे गए ऐसे सामान का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक की लागत क्या थी और आज की तारीख के अनुसार ऐसा सामान कहाँ है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) जी हाँ। भारत पर्यटन विकास निगम में, निगम के विकास संबंधी क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में मुख्यतया 'कैम्पिंग टूरिज्म' के बढ़ावा देने के लिए मई, 1991 में एक पर्यटन कार्य बल का गठन किया गया था। इस कार्यबल ने अपने कार्यकाल के दौरान जो दिसंबर, 1994 में समाप्त हुआ था, 7 कैम्पों का आयोजन किया। इन कैम्पों के कार्य के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। कैम्प सामग्री को प्रत्येक मामले में दिल्ली वापिस नहीं लाया गया था। कार्यबल ने केंद्रीय पर्यटन विभाग/राज्य सरकारों की ओर से मूल उपकरण/कैम्प सामग्री की खरीद की थी तथा उनका इस्तेमाल दूसरे कैम्पों के आयोजन के लिए किया था तथा अंत में उन्हें सम्बद्ध राज्य सरकारों को लौटा दिया था। पर्यटन कार्य बल दिसम्बर, 1994 में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद कोई भी सामान अपने साथ नहीं लाया।

विवरण

कैम्पवार आय एवं व्यय का विवरण

(लाख रुपयों में)

कैम्प स्थल	कारोबार	व्यय	शुद्ध	लाभ/हानि
नारवार (मध्य प्रदेश)	5.53	23.42	(-)	17.89
जैसलमेर (राजस्थान)	2.48	10.94	(-)	8.46
कांगड़ा वैली (हिमाचल प्रदेश)	25.77	35.94	(-)	10.17
दीव (संघ राज्य)	4.90	11.78	(-)	6.88
अंडमान (संघ राज्य)	2.46	5.86	(-)	3.40
कुर्ग (कर्नाटक)	2.98	11.60	(-)	8.62
सोलांग नालाह (हिमाचल प्रदेश)	3.92	8.93	(-)	5.01
कुल	48.04	108.47	(-)	60.43

ग्राम पर्यटन परियोजना

5038. श्री निवेदिता माने : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राम पर्यटन परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को राज्यवार किन स्थानों पर लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त परियोजना को लागू करने के लिए संचार और परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजना से जनता को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए तथा ग्राम पर्यटन के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं के लिए सुविधाएँ परियोजना के कार्यान्वयन कार्य से संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(च) ऐसी परियोजनाओं से परंपरा का संरक्षण तथा स्थानीय संस्कृति का संवर्धन होता है तथा विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।

विवरण

ग्राम पर्यटन से जुड़ी वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत तथा वर्ष 2000-2001 के लिए प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं राज्य	स्वीकृत राशि
1999-2000		
1.	लंगखुम, नागालैंड में ग्रामीण सुविधाओं का विकास	20.00
2.	खोनोमा ग्राम, नागालैंड में ग्राम पर्यटन के तहत पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	20.00
3.	त्रिपुरा में सोनामुरा के बगबासा गाँव में हैरिटेज ग्राम की स्थापना	30.00
2000-2001		प्राथमिकता प्रदत्त राशि
1.	शिल्प रमम, आंध्र प्रदेश में हैरिटेज ग्राम	58.00
2.	महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के हाली में पर्यटन ग्राम	95.00
3.	कर्नाटक के बागलकोट में हैरिटेज ग्राम का विकास	74.00
4.	ग्राम मेला, केरल	10.00
5.	गुवाहाटी, असम में शिल्प ग्राम और रिजार्ट (प्रथम चरण)	180.00
6.	माघे विलेज क्राफ्ट सैंटर, दक्षिण सिक्किम	19.20
7.	हिमाचल प्रदेश में कल्पा में ग्राम पर्यटन का विकास	10.00
8.	खंडगिरि, उड़ीसा में शिल्प ग्राम का विकास	40.00
9.	पुष्कर, राजस्थान के पर्यटक ग्राम में शिल्प ग्राम	13.75
10.	उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, कछपुरा (आगरा के निकट) और मथुरा में पर्यटक ग्राम की स्थापना	95.00

सहकारी समितियों को राजसहायता

5039. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सहकारी समितियों को जो कि राजसहायता के अनुदान की शर्तों को पूरा नहीं कर सकी थीं और जिनके अनुरोध को 1996-97 में अस्वीकृत कर दिया गया था, राजसहायता जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो जारी की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सड़क संगठन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात सैन्य अधिकारी

5040. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सीमा सड़क संगठन में भेजा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या इन अधिकारियों के पास सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण जैसे सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता/योग्यता होती है;

(घ) यदि नहीं, तो इन अधिकारियों को सीमा संगठन (बी.आर.ओ.) में भेजने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों की प्रतिभा को उन कार्यों, जिनके लिए न तो उनकी भर्ती हुई है और नहीं वे प्रशिक्षित किए गए हैं, पर प्रतिनियुक्ति करके व्यर्थ में न गँवाया जाए, क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सीमा सड़क संगठन में सेना अफसरों की तैनाती सेना तथा जनरल रिजर्व इंजीनियर बल के अफसरों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित तैनाती संबंधी नीति के अनुसार पदकाल के आधार पर की जाती है तथा उन पर इस सेवा के वही नियम व शर्तें लागू होती हैं जो सेना में उन पर लागू होती हैं। इस सेवा के लिए इंजीनियर कोर के वे अफसर लिए जाते हैं जो सिविल/यान्त्रिक इंजीनियरी के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी अर्हताएँ तथा विशेषज्ञता रखते हैं। इन अफसरों की प्रतिभा तथा विशेषज्ञता का समुचित इस्तेमाल किया जाता है और इनकी उपस्थिति से सीमा सड़क संगठन की समग्र प्रचालनात्मक प्रभावशालिता में सुधार हुआ है।

खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए राज्यस्तरीय समन्वयकर्ताओं की शक्तियां

5041. श्री बलराम सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्तरीय समन्वयकर्ताओं की शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य क्या हैं; और

(ख) खुदरा बिक्री केंदों, एल.पी.जी. एजेंसी और मिट्टी के तेल के डिपो के आवंटन के संबंध में इसके नियंत्रक प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) राज्य स्तर का समन्वयक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और तेल कंपनियों/तेल समन्वय समिति के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। राज्य स्तर के समन्वयक के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न भंडारण स्थानों पर पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण और भंडारण, पेट्रोलियम उत्पादों की माँग का पूर्वानुमान करना, विपणन योजनाओं की तैयारी के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने जैसे विकास कार्य, कदाचार रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना आदि सम्मिलित है।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार तेल विपणन कंपनी डीलर चयन बोर्डों, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश होते हैं, की सिफारिशों पर खुदरा बिक्री केंद्र/एस.के.ओ. डीलरशिप, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित करती हैं।

दिल्ली में क्रेडिट कार्डों द्वारा टिकटों का आरक्षण

5042. श्री राजेश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी गैर-सरकारी बैंकों के क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी दिल्ली में अपने क्रेडिट कार्ड से आरक्षण नहीं करा सकते जबकि इन्हें देश के अन्य शहरों में स्वीकार किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का एकरूपता बनाए रखने के लिए दिल्ली में भी अन्य शहरों की भाँति क्रेडिट कार्ड पर रेलवे टिकट जारी करने की अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। यह सुविधा दिल्ली में अस्थाई तौर पर स्थगित कर दी गई है क्योंकि संबंधित बैंकों ने उत्तर रेलवे के साथ लिखित करार नहीं किया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) उत्तर रेलवे ने पहले ही संशोधित करारों पर हस्ताक्षर करने और रेलवे को समयानुसार देय राशि का भुगतान करने और यात्रियों को टिकटों की धन वापसी शीघ्र क्रेडिट करने के संबंध में बैंकों से संपर्क कर लिया है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय के अधिकारियों के लिए सेवा के अवसर

5043. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण की एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन्हें सेवा में शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो सशस्त्र सेना मुख्यालय में अधिकारियों को केंद्रीय कर्मचारी योजना तथा तुलनात्मक पदोन्नति के अवसरों के लाभ से वंचित करने के क्या कारण हैं;

(ग) सेवा में नई भर्ती सुधार लाने के विचार से इस सेवा के अधिकारियों के सेवा अवसरों में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेवा के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अवरोधों को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) सभी संगठित सेवाएँ केंद्रीय कर्मचारी योजना में भाग नहीं ले रही हैं। चूँकि एक सेवा में भर्ती का स्रोत एक सेवा को केंद्रीय कर्मचारी योजना में भाग लेने के लिए पात्र मानने के वास्ते ही आधार नहीं है, इसलिए सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा को केंद्रीय कर्मचारी योजना से बाहर रखा गया है।

(ग) से (ङ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों के कैरियर अवसरों में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 163 सिविलियन स्टाफ अधिकारियों को उक्त प्रयास की दिशा में 'स्वस्थाने' पदोन्नतियां दी गई हैं।

पटसन उद्योग पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) की रिपोर्ट

5044. श्री एम.वी. चंद्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसघं (सी.आई.आई.) ने श्री भौमिक की 'जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल–ए डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी' पर एक रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी हाँ।

(ख) रिपोर्ट में की गई सिफारिशें उपायों के संबंध में हैं :

(i) कच्चे पटसन की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार को समर्थन देना तथा सुकर बनाना;

(ii) सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि/सहायता/राहत और गैर-अर्थक्षम पटसन मिलों के लिए प्रक्रियाओं, बार-बार तालाबंदी तथा स्वामित्व बदलना आदि;

(iii) कार्यबल को सुदृढ़ बनाना;

(iv) मिलों के आधुनिकीकरण को शामिल करना;

(v) बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेजों को समय पर मॉनीटर तथा प्रोत्साहित करना;

(vi) क्षेत्र को संस्थागत सहायता का पुनर्गठन करना; तथा

(vii) पटसन के उत्पादों का विविधीकृत करना।

(ग) राज्य सरकार सी.आई.आई. रिपोर्ट की सभी सिफारिशों से सहमत नहीं है। पटसन उद्योग पर सरकार की नीति निर्माणाधीन है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना

5045. श्री गुनीपाटी रामैया क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हैदराबाद सर्किल में पिछले काफी वर्षों से कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों की सेवाएँ नियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) और (ख) निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र आकस्मिक कामगारों को अस्थाई दर्जा दिया गया है।

पाकिस्तानी जेलों में युद्धबंदी

5046. श्री चंद्रनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी जेलों में बंद युद्ध-बंदियों के परिवारों को कतिपय सुविधाएँ और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) वर्ष 1965 तथा 1971 के युद्धों के सभी गुमशुदा रक्षा कार्मिकों को 7 वर्ष के अंतराल के बाद, मृतक मान लिया गया है तथा उनके परिवारों को उदारीकृत परिवार पेंशन, उपदान, संतान भत्ता तथा संतान शिक्षण भत्ता आदि जैसे उदारीकृत पेंशन संबंधी लाभ प्रदान कर दिये गए हैं।

ब्रह्मपुत्र पर खोज कार्य

5047. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सीमा पर खोज कार्य प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) ने ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे में अपने प्रचालन के क्षेत्र में जून, 1997 में अन्वेषण वेधन आरम्भ किया और लखीमपुर और धीमाजी जिलों में चार अन्वेषण कूपों का वेधन किया है। धीमाजी जिले में साइमन चापोरी स्थान पर अन्वेषण वेधन प्रगति पर है। सितम्बर, 2000 तक अन्वेषण क्रियाकलापों पर ओ.आई.एल. द्वारा व्यय की गई धनराशि 137.20 करोड़ रुपए है। अब तक इन कूपों से ओ.आई.एल. द्वारा हाईड्रोकार्बन की कोई वाणिज्यिक खोज नहीं की गई है।

ठेके के आधार पर नियुक्ति

5048. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मंत्रालय में ठेके पर कुछ नियुक्तियाँ की गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मंत्रालय में कुछ नियुक्तियाँ परामर्शदाता के रूप में भी की गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में निर्धारित शर्तें क्या हैं और प्रत्येक मामले में वर्ष-वार परिलब्धियों के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान परामर्श संविदा/ठेके के आधार पर निम्नलिखित नियुक्तियां की गई थीं :

(i) श्री बी.डी. चंद्रवानी, सेवानिवृत्त उप-रजिस्ट्रार, भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, अध्यक्ष, रेल संरक्षा समीक्षा समिति को सहायता और परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए 5,000/- रुपए प्रति माह के शुल्क पर परामर्श संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है।

(ii) श्री टी.के. घोष, सेवानिवृत्त सांख्यिकीय निरीक्षक, रेलवे बोर्ड को रेल संरक्षा समीक्षा समिति को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 4850/- रुपए प्रति माह के शुल्क पर परामर्श संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है।

(iii) श्री एस.एल. कटारिया, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. का जहाजरानी बीमा दावों के मामलों के निपटान में रेलवे की सहायता करने, दावा दायर करने के लिए फील्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और कार्यविधि के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराने आदि के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु 3 लाख रुपए के पेशेवर शुल्क पर ठेके के आधार पर नियुक्त किया गया है।

तेल रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण

5049. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की घाटे में चल रही रिफाइनरियों को अपनी इकाइयों को आधुनिक बनाने के लिए सहायता देने हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन रिफाइनरियों को अपनी मध्यम तथा अल्पावधि वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओ.आई.डी.बी. अथवा जो.सी.सी. द्वारा धन प्रदान करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या रिफाइनरियों द्वारा उठाए जा रहे भारी घाटे से बचने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी रिफाइनरी को वर्ष 1999-2000 में वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(ख) से (घ) तेल उद्योग विकास बोर्ड, पेट्रोलियम क्षेत्र कंपनियों को आधुनिकीकरण समेत उनके परिशोधन क्रियाकलापों के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के योजनागत परिव्यय की वित्तपोषण पद्धति के अनुसार दीर्घावधिक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता देता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्सल की चोरी

5050. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान उतारे गए पार्सलों का लेखा-जोखा है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने पार्सल पार्टियों को सौंपे गए और कितने चोरी हुए;

(ग) रेलवे पुलिस द्वारा पार्सल चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए;

(घ) इन चोरियों के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने कितनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतारे गए पार्सलों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	पैकेजों की संख्या
1997	2689916
1998	2604114
1999	3606349

(ख) (1) पार्टियों के सुपुर्द किए गए पार्सल पैकेजों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	पैकेजों की संख्या
1997	2585205
1998	2605163
1999	3604148

(2) चोरी गए पार्सल पैकेजों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	पैकेजों की संख्या
1997	15
1998	23
1999	28

(ग) सभी पार्सल पैकेज की चोरी के सभी मामले रेल सुरक्षा बल द्वारा दर्ज किए जाते हैं न कि राजकीय रेल पुलिस दिल्ली द्वारा।

(घ) इन चोरियों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ङ) इन पार्सलों पर निगरानी रखने के लिए नई दिल्ली स्टेशन के प्रत्येक कोने और प्रत्येक प्लेटफार्म पर चौबीस घंटे निगरानी रखने के लिए रेल सुरक्षा बल कर्मी तैनात किए गए हैं।

न्यायाधीशों का दर्जा

5051. श्री उत्तमराव पाटील : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय ने विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों के दर्जे को निर्धारित करने वाले पदक्रम में न्यायाधीशों को राज्यपालों तथा मंत्रियों की तुलना में कम दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) तारीख 26.07.1979 के अग्रता-अधिपत्र को चुनौती देने वाली एक सिविल रिट याचिका सं. 5758/2000-पी. कुमार बनाम भारत संघ, दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल की गई है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 12.12.2000 को हुई थी और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13.02.2001 है।

इस प्रकार, यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों के लिए धनराशि निर्धारित करना

5052. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न तेल निगमों के लिए दृश्य-श्रव्य माध्यम के लिए किए गए आवंटन का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मीडिया-वार इन पर वार्षिक बजट की कितनी राशि खर्च की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में तेल की खोज हेतु सर्वेक्षण

5053. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 से बिहार में तेल और गैस की खोज हेतु केवल एक भू-सर्वेक्षण पार्टी 'पी.जी.आई.' ही सर्वेक्षण कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस हेतु आवश्यक 'रिंग ड्रिलिंग मशीन' को पश्चिम चंपारण (बिहार) से क्षीरसागर (असम) भेज दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सर्वेक्षण कार्य बंद हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बिहार में सर्वेक्षण कार्य करने हेतु 'रिंग ड्रिलिंग मशीन' उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने एक विभागीय भूकंपीय दल, जी.पी.-1 के साथ 1986 से 1997 तक बिहार में भूकंपीय आँकड़े एकत्र किए थे। उन्होंने बिहार राज्य में अब तक 6,566 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जी.एल.के.) द्विआयामी भूकंपीय आँकड़े और गुरुत्व चुंबकीय आँकड़ों के 17,595 स्टेशन एकत्र किए हैं और छह अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया है। तथापि, कोई उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अंतर-बेसिन प्राथमिकता के अनुसार अन्य संभावनाजनक क्षेत्रों में उपस्कर लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने मैसर्स अल्फा जियो के साथ संयुक्त उद्यम संभावना सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को शामिल करने के अलावा बिहार राज्य में लगभग 66 लाइन किलोमीटर शामिल करते हुए इस राज्य के कुछ भागों में फैले ब्लाक वी.एन.ओ.एन.-90/5 में 1997 और 1998 में द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किए। तथापि, एन.ई.एल.पी-2 के बाद भविष्य की नई अन्वेषण लाइसेन्सिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के तहत राज्य सरकार से एन.ई.ए. के प्रति सहमति की प्राप्ति पर बिहार के कुछ भागों में अन्वेषण ब्लाक प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

लोक सभा चुनावों पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति

5054. श्री भान सिंह भौरा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को 1996 से हुए लोक सभा चुनावों के संबंध में विभिन्न राज्यों को बड़ी मात्रा में धनराशि की प्रतिपूर्ति करनी है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य को कुल कितनी देय राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) उक्त राशि की प्रतिपूर्ति राज्यों को कब तक कर दी जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि केंद्रीय सरकार को 1996 और उसके बाद के साधारण निर्वाचनों की बाबत राज्य सरकारों को निर्वाचन-व्यय से संबंधित भारत सरकार के हिस्से की बड़ी रकम की प्रतिपूर्ति करनी है, क्योंकि वर्ष 1996-97 के दावा की गई रकम का लगभग 92% विभिन्न राज्य सरकारों को पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकार वर्ष 1999 के साधारण निर्वाचनों के पश्चात् उन्मोचित किए जाने वाले दायित्व मामूली हैं और उनके ब्योरे देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा निर्वाचन संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1999 के साधारण निर्वाचनों के पश्चात् राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को संदेय अनंतिम और अनुमानित रकम
1	2
आंध्र प्रदेश	40,99,88,000 रु.
अरुणाचल प्रदेश	5,89,88,000 रु.
असम	2,39,34,000 रु.
बिहार	3,52,21,000(-) रु.*
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	3,40,45,000(-) रु.*
गोवा	65,59,000(-) रु.
गुजरात	2,95,70,000 रु.
जम्मू-कश्मीर	2,98,03,000(-) रु.*
हरियाणा	4,70,61,000 रु.
हिमाचल प्रदेश	57,99,000 रु.
कर्नाटक	12,01,74,000 रु.
केरल	7,15,44,000 रु.
मध्य प्रदेश	1,46,21,000 रु.
मेघालय	3,85,29,000 रु.
मिजोरम	1,56,77,000 रु.
मणिपुर	1,55,55,000 रु.
महाराष्ट्र	64,61,64,000 रु.
नागालैंड	1,28,97,000 रु.
उड़ीसा	15,94,32,000 रु.
पंजाब	6,77,99,000 रु.
राजस्थान	4,20,07,000 रु.
पांडिचेरी	2,61,000 रु.
सिक्किम	81,10,000 रु.
त्रिपुरा	72,61,000 रु.
तमिलनाडु	17,26,56,000 रु.
उत्तर प्रदेश	3,06,16,000(-) रु.*
पश्चिम बंगाल	21,45,34,000 रु.
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल के बिना)	
अंडमान और निकोबार द्वीप	शून्य
दादरा और नागर हवेली	शून्य
लक्षद्वीप	शून्य
चंडीगढ़	शून्य
दमन और दीव	शून्य
कुल योग	205,94,35,000 रु.

*पश्चात्वर्ती वर्षों के दावों के प्रति समायोजित किया जाना है।

भारत-रूस परियोजना

5055. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एशियाटिक सोसाइटी ने तीन विख्यात विद्वानों को बतलाया है कि भारत और रूस के बीच संबंधों के विकास संबंधी एक प्रतिष्ठित भारत-रूस परियोजना स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मामलों के निपटान में लापरवाही

5056. श्री रवींद्र कुमार पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को मामलों के निपटान में लापरवाही के लिए दंडित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) यह सत्य है कि माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/नई दिल्ली ने एक मुकदमें विशेष में महाप्रबंधक/उत्तर रेलवे के विरुद्ध फैसला दिया है। बहरहाल, यह किसी मामले के निपटान में महाप्रबंधक की ओर से किसी लापरवाही के कारण नहीं था।

(ख) और (ग) आ.ए. सं. 2143/97 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 29.11.99 के आदेश के अनुपालन में दो प्रार्थियों (श्री सुबोध कुमार और श्री सुल्तान सिंह) को 21.9.2000 के पत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक विभाग में सफाई वाले के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। दोनों प्रार्थियों ने इसे स्वीकार कर लिया है और चिकित्सा जाँच, कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक पूर्वापेक्षा, हेतु शुल्क भी जमा करवा दिया है।

सफाई वाले के पद के अपनी स्वीकारोक्ति के तथ्य को छिपाते हुए श्री सुबोध कुमार और श्री सुल्तान सिंह ने दिनांक 29.11.99 के फैसले के गैर-अनुपालन के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर कर दी।

दाखिला चरण में ही 16.11.2000 को माननीय अधिकरण ने यह मत ले लिया कि प्रशासन ने दिनांक 29.11.1999 एवं 24.10.2000 के इसके आदेशों की अवहेलना की है और महाप्रबंधक उत्तर रेलवे के विरुद्ध न्यायालय के खुलने तक साधारण कारावास तथा 5,000 के जुर्माना जिसका भुगतान उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से करना था और उसके विभाग को नहीं, के साथ आदेश पारित कर दिए।

माननीय अधिकरण ने 16.11.2000 को यह भी आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से खलासी के रूप में नियुक्त किया जाए। इसका अनुपालन 16.11.2000 को ही कर दिया गया था।

यह विभाग को ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय अधिकरण ने महाप्रबंधक को दंड दिए जाने के लिए दिनांक 16.11.2000 के आदेश न्यायालय अवमानना (केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण) नियम, 1992 के नियम 13 के अंतर्गत अवमानना याचिका के उपयुक्त कार्यविधि का पालन किए बिना, स्पष्टीकरण के लिए कोई अवसर दिए बिना और स्पष्टीकरण के लिए गौण याचिका जो स्वयं इसी पीठ द्वारा 13 नवंबर, 2000 को दायर की गई थी, को भी निपटाए बिना दिए थे।

इसलिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/नई दिल्ली के दिनांक 16.11.2000 के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर कर दी गई है। यह मुकदमा उच्च न्यायालय में 5.2.2001 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

'एअर टरबाइन फ्यूल' की खरीद

5057. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइंस को घाटे की स्थिति से उबारने के लिए इसे बिक्री कर से मुक्त करने की कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, छोटे और गैर-महानगरों को जोड़ने के लिए छोटे विमान (टर्बो-प्रॉप) प्रचालनों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, जनवरी, 2000 में यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के विमानों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विमानन टरबाइन ईंधन उपलब्ध कराया जाए और बिक्री कर की अधिकतम सीमा 4 प्रतिशत तक रखते हुए केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अनुसार इस प्रकार के विमानन टरबाइन ईंधन को 'घोषित सामान' माना जाए। इन निर्णयों के कार्यान्वयन की रीतियों की जाँच चल रही है।

[अनुवाद]

बीना रिफाइनरी परियोजना

5058. श्री रामजी माँझी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीना रिफाइनरी प्रोजेक्ट को गुजरात मैरीटाइम नेशनल पार्क में मूँगे की चट्टानों से होकर गुजरने की वजह से स्वीकृति नहीं दी, जबकि रिलायंस पाइपलाइन को अनुमति दे दी जो उसी क्षेत्र से गुजरती है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार की नीति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले

5059. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय न्यायालयों में महिला अपराधियों से संबंधित राज्यवार कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) उन्हें शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय में तारीख 12.12.2000 की स्थिति के अनुसार, महिला अपराधियों से संबंधित 54 मामले ग्रहण किए जाने के लिए और 139 आपराधिक मामले नियमित

सुनवाई (फाइलों की वास्तविक संख्या) के लिए लंबित हैं। जहाँ तक उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का संबंध है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) मामलों के जिनमें महिला अपराधियों के मामले भी सम्मिलित हैं, शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करना, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करना आदि हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 संसद के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, मामलों के अन्वेषण और अभियोजना में तेजी लाने के लिए विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों को अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, 502.90 करोड़ रुपए की रकम देश में 1734 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन के लिए मंजूर की गई है जिनसे अगले पाँच वर्ष के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में सारवान् रूप से कमी आएगी।

[अनुवाद]

वाहनों पर व्यय

5060. श्री एन.आर.के. रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय/विभाग के अधीन संबंधित वाहन चालकों को किए गए समयोपरि भत्ते/अनुग्रह राशि आदि के भुगतान सहित स्टाफ कारों को चलाने और इनके रख-रखाव पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : पिछले तीन वर्षों के दौरान, पर्यटन मंत्रालय/विभाग में वाहन चालकों को अदा किए गए समयोपरि भत्ते/अनुग्रह राशि सहित स्टाफ कारों को चलाने और उनके रख-रखाव पर किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	स्टाफ कारों/समयोपरि भत्ते आदि पर व्यय
1997-98	13,45,5000.00 रुपए
1998-99	10,68,000.00 रुपए
1999-2000	19,78,000.00 रुपए

समूह 'घ' पदों के लिए शैक्षिक प्रमाणपत्र

5061. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे ने समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा पास करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किया था;

(ख) यदि हाँ, तो पूर्व आदेश और सरकारी विभाग में प्रचलित प्रथा किन परिस्थितियों के अंतर्गत बदले गए;

(ग) क्या समूह 'घ' में कोई भर्ती गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमाणपत्रों पर विचार करके की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) दिसंबर, 1998 से भारतीय रेल की सभी कोटियों और विभागों में समूह 'घ' पदों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण के रूप में निर्धारित की गई है। यह अर्हता निर्धारित करते समय रेल मंत्रालय द्वारा यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान का होना चाहिए।

दक्षिण पूर्व रेलवे ने प्रारंभ में इस रेलवे में संबंधित प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी किए थे कि गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा जारी किए गए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रों को अधिप्रमाणित नहीं माना जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ये अनुदेश प्रमाणपत्रों की प्रमाणिकता के बारे में आश्वस्त होने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। बहरहाल चूँकि ग्रामीण इलाकों में असंख्य विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं और ऐसे विद्यालयों के अभ्यर्थियों को नुकसान हो जाता, इसलिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा बाद में यह स्पष्ट किया गया था कि गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय के अस्तित्व का सत्यापन और कथित विद्यालय के शिक्षा स्तर की जाँच करके भावी अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सकती है।

प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम पैकेजूस

5062. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 1997-98 में स्वीकृत होने के बावजूद प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम पैकेजूस आंध्र प्रदेश में रेशम कीट पालन संस्थाओं, रेशम बुनकर संस्थाओं और हथकरघा बुनकर संस्थाओं तक नहीं पहुँच रहे हैं; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 1997-98 के दौरान सिल्क बुनाई समितियों तथा हथकरघा बुनकर समितियों हेतु जारी की गई राशि समितियों को बांट दी गई है।

हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा

5063. श्री प्रसन्न आचार्य : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उड़ीसा में हथकरघा बुनकरों की दुर्दशा से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी दशा में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक बुनकरों को लाभ पहुँचाने के लिए आरंभ की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों से नई योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनके अंतर्गत राज्यवार और प्रस्तावावार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ। केंद्र सरकार नई स्कीमों जैसे कार्यशाला-सह-आवास, स्वास्थ्य पैकेज, बीमा स्कीमों, थ्रिफ्ट फंड तथा विकासात्मक स्कीम अर्थात् दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके बुनकरों की दुर्दशा में सुधार लाया जाता है।

(ग) नई बीमा स्कीम 1997-98 में हथकरघा बुनकरों हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। एक एकीकृत तथा व्यापक विकासात्मक स्कीम अर्थात दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बुनकरों के लाभ के लिए नई क्रियाकलापों जैसे सहायता, मूलभूत सुविधाएँ, डिजाइन विकास तथा विपणन प्रोत्साहन आदि के लिए आरंभ की गई थीं।

(घ) राज्य सरकारों से दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपने प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। पिछले 3 वर्षों तथा 2000-2001 के दौरान नई बीमा स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई राशि का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आंध्र प्रदेश	32.98	12.28	15.19	–
2.	असम	–	–	0.25	–
3.	बिहार	–	2.34	3.59	0.36
4.	गुजरात	–	2.79	2.63	2.73
5.	केरल	3.00	–	–	–
6.	मध्य प्रदेश	–	2.55	1.83	0.67
7.	उड़ीसा	–	18.00	–	18.00
8.	राजस्थान	–	1.68	1.36	2.56
9.	तमिलनाडु	–	0.36	–	–
10.	त्रिपुरा	–	–	0.14	0.60

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति/तैनाती

5064. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रालय के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के संगठनों सांविधिक निकायों के प्रमुख/मुख्य कार्यकारी/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और निदेशकों तथा प्रबंधन मंडलों के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति/तैनाती करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधीन उक्त पदों पर वर्षवार कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती की गई; और

(घ) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ)सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सस्ते एक्रिलिक यार्न की डम्पिंग

5065. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश भारत में सस्ते एक्रिलिक यार्न की डम्पिंग कर रहे हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन देशों की पहचान की है और क्या सरकार का विचार एक्रिलिक फाइबर के आयात पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी आपूर्तिकर्ताओं ने भारत-नेपाल संधि का लाभ उठाते हुए भारत में प्रवेश करने के लिए नेपाल मार्ग की पहचान की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात क्रमशः 0.06, 1.41 और 1.62 रहा है।

(ख) और (ग) एक्रिलिक फाईबर के आयात पर लगे पाटनरोधी शुल्क के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्र.सं.	देश का नाम	अधिसूचना संख्या	शुल्क की राशि (रु. प्रति कि.ग्रा.)
1.	यू.एस.ए. (सभी निर्यातक)		11.59
2.	कोरिया गणराज्य (सभी निर्यातक)	86/2000-कस्टम दिनांक 08.06.2000	21.81
3.	थाईलैंड		
	(क) मै. थाई एक्रिलिक फाइबर कं.लि.		9.14
	(ख) अन्य निर्यातक		33.18
4.	जापान		
	(क) असाही केमिकल इंड. लि.	53/1999-कस्टम दिनांक 04.05.1999	81.36
	(ख) मितसुबिशी रेयन		79.57
	(ग) टोयोबो इंक.		77.09
	(घ) अन्य निर्यातक		81.36
5.	स्पेन (सभी निर्यातक)		82.00
6.	पुर्तगाल (सभी निर्यातक)		74.22
7.	इटली (सभी निर्यातक)		81.12
8.	मैक्सिको (सभी निर्यातक)	94/1999-कस्टम दिनाक 16.07.1999	83.70
9.	तुर्की (सभी निर्यातक)	125/1999-कस्टम दिनांक 15.11.1999	71.00
10.	ताईवान		
	(क) मै. फोरमोसा प्लास्टिक कारपो.	3/2000-कस्टम दिनांक 12.01.2000	3.37
	(ख) अन्य निर्यातक		10.35

(घ) और (ङ) नेपाल से एक्रिलिक यार्न के आयात के प्रवाह के बारे में शिकायतें रही हैं। वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में नेपाल से आयात क्रमशः 0.03, 0.71 और 0.01 रहे हैं। भारत-नेपाल नीति के उपबंधों के अंतर्गत उद्योग की चिंताओं का निवारण करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव

5066. श्री बीर सिंह महतो : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के अनेक प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लंबित प्रस्तावों पर चर्चा हेतु सरकार द्वारा कितनी सर्वदलीय बैठकें बुलाई गईं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) जी, हाँ। सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजनीतिक दलों की दो बैठकें हुई हैं, एक बैठक लंबित प्रस्तावों पर जिनमें दिनेश गोस्वामी समिति की अक्रियान्वित सिफारिशें भी सम्मिलित हैं, विचार करने के लिए 22.05.1998 को हुई थी और दूसरी बैठक निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी विद्यमान रोक का आगे विस्तार करने तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए 13.05.2000 को हुई थी।

विवरण

सरकार को भेजे गए निर्वाचन आयोग के 'निर्वाचन सुधार' संबंधी प्रस्ताव

I. ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए संविधान में संशोधन करने होंगे

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ-साथ अधिकतम दो निर्वाचन आयुक्त होने चाहिए।

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए नियुक्ति का ढंग और नियुक्ति के पश्चात् सांविधानिक संरक्षण एक समान होना चाहिए।

3. निर्वाचन आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय होना चाहिए।

4. दल परिवर्तन विरोधी विधि का संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह बात राष्ट्रपति और संबद्ध राज्यपालों पर छोड़ दी जाए कि निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात् दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता के मामलों का विनिश्चय वे स्वयं करें।

II. ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने होंगे

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 संशोधित की जानी चाहिए ताकि ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास या उससे अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसे अधिरोपित दंडादेश की अवधि में अतिरिक्त छह वर्ष जोड़कर जो कुल अवधि आए, उसमें निर्वाचन लड़ने से निरर्हित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसा व्यक्ति, जो पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, निरर्हित किया जाना चाहिए भले ही उसका विचारण लंबित ही क्यों न हो परंतु यह तब जब कि सक्षम न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हों।

2. निर्वाचनों के संबंध में, आयोग में प्रतिनियुक्त निर्वाचन आफिसरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को नियम

बनाने के लिए सशक्त बनाने वाले स्पष्ट उपबंध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15ग और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28क संशोधित की जानी चाहिए। (इस संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है)।

3. राजनीतिक दलों से अपने लेखाओं को प्रतिवर्ष प्रकाशित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए और इनकी संपरीक्षा निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा की जानी चाहिए।

4. राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण और अरजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाले आदेशों को जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग को स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क संशोधित की जानी चाहिए।

5. मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावकों की संख्या भी दस होनी चाहिए जैसा कि निर्दलीय अभ्यर्थियों और अमान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों की दशा में है।

6. परोक्षी मतदान की सुविधा सभी सेवा नियोजित मतदाताओं और उनके पतियों या पत्नियों को दी जानी चाहिए।

7. राजनीतिक दलों द्वारा उपगत व्यय को संबद्ध अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों में [धारा 77(1) के अधीन स्पष्टीकरण (1) का लोप करके] सम्मिलित किया जाना चाहिए।

8. धारा 78 के अधीन यथा अपेक्षित, निर्वाचन व्ययों का सही लेखा न रखे जाने या उसकी सही प्रति फाइल न किए जाने को कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाया जाना चाहिए और दोषसिद्धि पर अभ्यर्थी को 6 वर्ष के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

9. ऐसे अभ्यर्थी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अधीन यथाअपेक्षित विहित समय के भीतर, अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहता है, को 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचनों से स्वतः निरर्हित समझा जाना चाहिए।

10. निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों के अधीन नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

11. निवार्चन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58क के अधीन रिटर्निंग आफिसर की रिपोर्ट न होने पर भी बूथों पर बलात् कब्जा करने के कारण निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

12. निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के संचालन के संबंध में, किसी अधिकारी को अनुदेश जारी करने और किसी मामले को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अभिकरण को अन्वेषण करने के लिए निर्दिष्ट करने की सिफारिशें करने तथा किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने किसी निर्वाचन से संबंधित अपराध किया है, के अभियोजन के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

13. निर्वाचनों के दौरान पुलिस व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन आफिसरों से परामर्श करना कानूनी तौर पर जरूरी होना चाहिए।

14. निर्वाचनों से पूर्व निर्वाचन आफिसरों के स्थानांतरण पर कानूनी रोक होनी चाहिए।

15. मतपेटियों या इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के अप्राधिकृत कब्जे और मतपत्रों के अप्राधिकृत मुद्रण को संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए।

16. निर्वाचनों के संबंध में मिथ्या घोषणा करने को निर्वाचन संबंधी अपराध बनाया जाना चाहिए।

17. भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की निरर्हता संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण--संबद्ध विधानमंडलों के सचिवों के लिए विद्यमान उपबंध के बजाय भारत निर्वाचन आयोग के सचिव को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपखंड धारा (1) के अधीन, राष्ट्रपति को उस धारा के अधीन निरर्हता के मामले प्रस्तुत करने के लिए, प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए।

18. परिसीमन आयोग गठित करने के बजाय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपना।

19. आदर्श आचार संहिता और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से उसके प्रवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करना ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हो सकें।

20. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के आदेशों के विरुद्ध जिलों में अपील प्राधिकारी की नियुक्ति।

अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास हेतु व्यापक नीति

5067. श्री तिरूनावकरसू : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास हेतु कोई व्यापक नीति है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन स्थानों पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन तत्काल आरंभ किया जाएगा?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के उद्देश्य से किए गए नीतिगत उपायों में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) अधिनियमित करना और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित करना शामिल है ताकि राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास, अनुरक्षण और बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके और राष्ट्रीय जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाएँ भी स्थापित की जा सकें। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति, 1980 ने ऐसे दस जलमार्ग अभिज्ञात किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संभावना है। अब तक तीन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है और नौवहन तथा नौचालन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा इनका विकास किया जा रहा है। शेष सात जलमार्गों पर तकनीकी-आर्थिक

साध्यता अध्ययन भी किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उनकी घोषणा और तत्पश्चात् उनका विकास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राज्य सरकारों द्वारा निकर्षण, नौचालन-योग्य नदी कार्यों, तट चिह्न के जरिए मौजूदा जलमार्गों को सुधार करने, अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराने और अंतर्देशीय जल परिवहन बेड़े में वृद्धि करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार 50% भागीदारी आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है।

इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास करने के लिए एक नीतिगत ढांचा और कार्यनीति तैयार करने हेतु कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नीतिगत ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्देशीय जल परिवहन बेड़े के स्वामित्व और प्रचालन, नदी टर्मिनलों के निर्माण और प्रचालन, यंत्रीकृत कार्गो हैंडलिंग प्रणाली, सयुक्त उद्यम भागीदारी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की सहभागिता सरल बनाने की परिकल्पना भी की गई है।

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन प्रचालन आई.डब्ल्यू.टी. प्रचालकों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे प्रचालक अर्थात् सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय असम, केरल नौवहन एवं अंतर्देशीय नौचालन कंपनी तथा निजी प्रचालक तीन राष्ट्रीय जलमार्गों और गोवा तथा मुंबई में जलमार्गों पर पहले से ही प्रचालन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की बैठकें

5068. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की बैठकों का तिथिवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें यदि कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेशी मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलाकर किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की औपचारिक बैठक अब तक केवल एक बार हुई है किंतु यह उल्लेखनीय है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था की समग्र रूप से समीक्षा करने के लिए गत छह माह में इस परिषद् के सदस्यों में से चार सदस्यों की लगभग 20 बैठकें हुई हैं। इसके अतिरिक्त, इस परिषद के पांच सदस्य सुरक्षा संबंधी मंत्रमंडल समिति के सदस्य भी हैं। सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इसकी बैठकें अकसर होती रहती हैं तथा इनमें देश के रक्षा बलों के बारे में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

भारतीय पत्तन

5069. डा. बी.बी. रमैया : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता स्थित भारतीय पत्तनों में माल और यात्री उतारने की सुविधा अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाध्यताओं और कठिनाइयों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता पत्तनों में माल और यात्री उतारने की सुविधाएँ जैसे कि विकलांग यात्रियों के लिए रैम्प सहित जलयानों की बर्थिंग, टर्मिनल और प्रतीक्षा क्षेत्र, जलापूर्ति और प्रसाधन इत्यादि तथा सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बुलेट-प्रूफ जैकेटों की खरीद

5070. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने 1999 में जम्मू और कश्मीर में युद्धरत सैनिकों के लिए लगभग 20,000 बुलेट-प्रूफ जैकेटों की खरीद का प्रस्ताव भेजा था;

(ख) क्या मंत्रालय ने अधिकारियों के बीच बुलेट-प्रुफ जैकेटों की खरीद को लेकर विवाद है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ। सेना ने जम्मू व कश्मीर में युद्धरत सैनिकों के लिए 20,000 बुलेट प्रूफ जैकेटें खरीदने का एक प्रस्ताव दिसंबर, 1999 के तीसरे सप्ताह में भेजा था। इस मामले को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगा है क्योंकि बुलेट-प्रूफ जैकेट एक महत्त्वपूर्ण जीवनरक्षक मद है और इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त सावधानी बरती जानी होती है कि केवल ऐसी जैकेटें ही खरीदी जाएँ जो जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता में निर्धारित तकनीकी विनिर्दिष्टियों तथा कार्य-निष्पादन मानकों को पूर्णतः पूरा करती हों। तथापि, जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे तथा नियंत्रण रेखा के आसपास तैनात सैन्य बलों के पास पर्याप्त संख्या में बुलेट-प्रूफ जैकेटें हैं। खरीद संबंधी कार्रवाई अंतिम चरण में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

भिंड-महोबा रेल मार्ग का सर्वेक्षण

5071. डॉ. रामलखन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिंड-महोबा बरास्ता उरई रेल मार्ग के सर्वेक्षण के संबंध में सर्वेक्षण की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा और इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सर्वेक्षण के संदर्भ में शर्तें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं तथा सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ख) सर्वेक्षण संभवतः 31.3.2002 तक पूरा हो जाएगा। सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 13.9 लाख रुपए है। इस सर्वेक्षण के लिए बजट 2000-01 में आवंटित राशि 9.23 लाख रुपए है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों का अवसंरचनात्मक विकास

5072. योगी आदित्यनाथ : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर डिवीजन के अवसंरचनात्मक विकास हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार ने इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ग) क्या प्रमुख बौद्ध स्थलों और रामगढ़ ताल में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आधारभूत सुविधाओं का सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से विचार-विमर्श करके, प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

(घ) नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, 96.93 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता से चार आधारभूत परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थलों पर स्वीकृत की गई हैं।

राजस्थान को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

5073. श्री भेरुलाल मीणा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में सेरामिक के विशाल भंडार को देखते हुए इसके औद्योगिक विकास हेतु राज्य को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) का अधिक कोटा आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ग) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूरत-भुसावल रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

5074. श्री मानसिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सूरत-भुसावल रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सूरत-उधना और भुसावल-जलगाँव खंडों पर पहले से ही दोहरी बड़ी लाइन विद्यमान है। इसके अलावा, अधना-जलगाँव खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

जलगांव-उधना खंड पर विद्युतीकरण का कार्य जो कि सूरत-भुसावल लाइन का गैर विद्युतीकृत भाग है, पर कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि निधियाँ उपलब्ध हों।

विमान दुर्घटना टालने हेतु योजना

5075. श्री नागमणि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया के विमान ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एअर इंडिया विमानों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। विगत तीन वर्ष अर्थात् नवंबर, 1997 से दिसंबर, 2000 (आज तक) एअर इंडिया का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निरंतर संरक्षा मानक अपनाए जाते हैं यथा फ्लाइट रिकार्डरों का शत-प्रतिशत प्रबोधन, एयरलाइनों की संरक्षा लेखा-परीक्षा, नागर विमानन महानिदेशालय के उड़ान निरीक्षकों द्वारा उड़ानगत जांच, दुर्घटना के कारण उद्भवित संरक्षा सिफारिशों का कार्यान्वयन, हवाई अड्डों का निरीक्षण, विमान परिवहन नियंत्रण राडारों पर न्यूनतम सुरक्षित तुंगता चेतावनी प्रणाली का संस्थापन, विमान में विमानों के टकराने को रोकने की प्रणाली और स्थल सामीप्यता चेतावनी प्रणाली इत्यादि का संस्थापन।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस के आवंटन हेतु आरक्षण कोटा

5076. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस के आवंटन हेतु कोई कोटा आरक्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निजी तेल कंपनियाँ जैसे रिलायंस इस नियम का पालन कर रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में आरक्षण प्रदान करने हेतु प्रावधान बनाने का है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक आदेश जारी किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अवैध रसोई गैस सिलेंडरों का निर्माण

5077. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवैध रसोई गैस सिलेंडरों के निर्माण वाली इकाइयां चल रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अवैध इकाइयों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस तरह के सिलेंडरों के विस्फोट की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां ऐसे अनुमोदित सिलेंडर निर्माताओं से सिलेंडर प्राप्त कर रही है जिन्हें सी.सी.ओ.ई. तथा बी.आई.एस. से सांविधिक स्वीकृतियाँ प्राप्त हैं। तथापि, इस मंत्रालय को मेरठ (उ.प्र.) में छोटे सिलेंडरों के अवैध निर्माण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा अन्य राज्य सरकारों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ऐसे अवैध निर्माताओं के परिसरों पर औचक छापे डालने तथा उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी।

एकमात्र बिक्री एजेंटों की नियुक्ति

5078. श्री के. येरननायडू : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट, कागज और भारी मात्रा में दवाओं के विपणन हेतु एकमात्र बिक्री एजेंट की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हाँ।

(ख) केंद्रीय सरकार की राय है कि सीमेंट, कागज और भारी औषध के संबंध में मांग और आपूर्ति की स्थिति ऐसी है कि एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की सेवाएँ ऐसी वस्तुओं का बाजार बनाने के लिए आवश्यक नहीं है।

क्राउन एक्सप्रेस को एयरलाइंस शुरू करने की अनुमति

5079. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन कंपनी 'क्राउन एक्सप्रेस' ने देश में एयरलाइंस शुरू करने हेतु अनुमति पाने के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनी द्वारा अनुमानतः कुल कितने पूँजी परिव्यय का अनुमान लगाया गया था;

(घ) क्या कंपनी ने छः विमान की खरीद के लिए ए.सी.सी. को आवेदन किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विमान की कीमत क्या है;

(च) क्या कंपनी के आवेदन/प्रस्ताय में कोई कमी पाई गई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवेदन/प्रस्ताव को अस्वीकृत न करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) जी, हाँ। ड्राई-लीज आधार पर 6 बी 737 के विमानों के साथ अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएँ प्रचालन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मैसर्स क्राउन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने 19 जुलाई, 2000 को आवेदन किया था। इस कंपनी की प्राधिकृत और अंशदाई इक्विटी पूँजी एक लाख रुपए है जिसे 111.39 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताय है। दिनांक 24.8.2000 को उद्योग मंत्रालय ने 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी (44.55 करोड़ रुपए) और 60 प्रतिशत अनिवासी भारतीय इक्विटी (66.83 करोड़ रुपए) के एफ.आई.पी.बी. के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

(च) और (छ) दिनांक 10 नवंबर, 2000 को विमान अर्जन समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया और इस पर विचार करने के लिए आस्थगित कर दिया क्योंकि :

(i) इसने कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है जो सांवधिक आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय राष्ट्रीक होना चाहिए;

(ii) विदेशी निवेशकों के नाम/पहचान और उनके विदेशी एयरलाइन के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, की घोषणा को न भेजा जाना; और

(iii) 40,000 किलोग्राम से अधिक भार वाले विमानों को प्रचालित करने के प्रस्ताव देने वाले प्रचालकों के लिए प्राधिकृत/अंशदायी इक्विटी पूँजी 30.00 करोड़ रुपए के निर्धारित स्तर से बहुत नीचे है।

भुवनेश्वर से बंगलौर के बीच विमान सेवा

5080. श्री के.पी. सिंह देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर और बंगलौर, भुवनेश्वर और चेन्नई और भुवनेश्वर तथा त्रिवेन्द्रम के बीच विमान सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन मार्गों पर विमान सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस पहले से ही दिल्ली के रास्ते होकर भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच दैनिक और भुवनेश्वर तथा चेन्नई के बीच सप्ताह में चार दिन विमान सेवा का प्रचालन करती है। तथापि वाणिज्यिक/प्रचालनात्मक कठिनाइयों से भुवनेश्वर और तिरूवनंतपुरम के बीच सीधी विमान सेवा जोड़ना संभव नहीं है। एयरलाइन प्रचालक अपने वाणिज्यिक निर्णय से किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु निश्चित रूप से उनको मार्गों पर विनिर्दिष्ट श्रेणी में न्यूनतम प्रचालन के लिए किए गए प्रावधान में उल्लिखित मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइंस उड़ान परिचालन

5081. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइंस के घाटे वाले मार्गों को निजी एयरलाइंस परिचालकों को सौंपने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। एयरलाइन प्रचालक अपने वाणिज्यिक निर्णय से किसी भी मार्ग पर प्रचालन के लिए स्वतंत्र है परंतु उन्हें निश्चित रूप से मार्गों की विनिर्दिष्ट श्रेणी में न्यूनतम प्रचालन के लिए किए गए प्रावधान में उल्लिखित मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा।

बुक किए हुए सामान की चोरी

5082. प्रो. दुखा भगत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार पार्टियों द्वारा ट्रेनों में बुक किए हुए सामान की चोरी के कितने दावे दाखिल किए गए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरानै जोनवार कितने दावे निपटाए गए और कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया;

(ग) इस संबंध में कितने कर्मचारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध जोनवार क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) ऐस अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

(घ) अपराधों की रोकथाम के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. भेद्यखंडों पर कीमती परेषण से जा रही गाड़ियों का मार्गरक्षण।
2. जहाँ तक संभव होता है भेद्यखंडों पर रे.सु.ब. सशस्त्र टुकड़ियाँ तैनात/लगाई जाती हैं।

3. अपराधियों को पकड़ने की दृष्टि से अपराध आसूचना एकत्रित करने के लिए सादी वर्दी में रे.सु.ब. कर्मियों को भी तैनात किया जाता है।

4. आपराधिक आसूचना के आधार पर अपराधियों/चुराई गई संपत्ति के प्रापकों को पकड़ने के उद्देश्य से उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और तलाशी ली जाती है।

5. भेद्य यार्डों और क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए कुत्ता दस्ते तैनात किए जाते हैं।

6. अपराधियों और चुराई गई संपत्ति के प्रापकों को पकड़ने के लिए रे.सु.ब., रा.रे.पु. और स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

विवरण

रेलवे	अवधि	चोरी के दर्ज दावों की सं.	निपटाए गए दावों की सं.	चुकाई गई धनराशि (लाख में)
मध्य रेलवे	1997-98	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1998-99	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूर्व रेलवे	1997-98	74	32	0.12
	1998-99	115	85	0.56
	1999-2000	91	88	0.85
उत्तर रेलवे	1997-98	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1998-99	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर रेलवे	1997-98	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1998-99	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	1997-98	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रेलवे	1998-99	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण रेलवे	1997-98	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1998-99	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण मध्य रेलवे	1997-98	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1998-99	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	1999-2000	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दक्षिण पूर्व रेलवे	1997-98	62	3	0.21
	1998-99	80	1	-
	1999-2000	67	2	0.03
पश्चिम रेलवे	1997-98	50	13	0.33
	1998-99	80	27	1.5
	1999-2000	50	9	0.6

[अनुवाद]

सिकंदराबाद छावनी में जनसुविधाएँ

5083. श्री बी. वेंकटेस्वरलु :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकंदराबाद छावनी बोर्ड ने अपने कार्यकरण को चुस्त-दुरुस्त बनाने और हैदराबाद नगर निगम की तर्ज पर जन सुविधाओं में सुधार हेतु कई उपाय किए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या क्षेत्र में खराब जलापूर्ति प्रणाली और सड़कों की खराब स्थिति की ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है; और

(घ) देश की सबसे बड़ी छावनी में अवसंरचनात्मक सुधार लाने हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सिकंदराबाद छावनी बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष में छावनी क्षेत्र में सड़क मरम्मत, जलापूर्ति/जल भंडारण सुविधा में वृद्धि करने तथा आधारभूत कार्यों सहित अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए अपना विस्तृत कार्यक्रम बनाया है।

चूँकि सिकंदराबाद छावनी बोर्ड वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर है इसलिए वह अपने ही संसाधनों से अपेक्षित खर्च को पूरा करने में समर्थ होगा।

नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक एयरबस सेवा

5084. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से भुवनेश्वर तक प्रतिदिन एयरबस सेवा के परिचालन हेतु कोई प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एयरबस सेवा से जुड़े देश के सभी मार्ग लाभ दे रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन मार्गों से होने वाली आय सहित मार्गों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) इंडियन एयरलाइंस के ए-320 विमान का उपलब्ध विमान इस समय पूर्ण रूप से सेवा में लगे हुए हैं और दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच ए 320 प्रचालनों में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) विभिन्न मार्गों पर विमानों का लगाया जाना समय-समय पर यातायात मार्गों और विमानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसी विशेष मार्ग पर विमान को कोई विशिष्ट आवंटन (लगाया जाना) नहीं किया जाता है।

अनंतिम आँकड़ों के अनुसार, इंडियन एयरलाइंस द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में प्रचालित 61 अंतर्देशीय मार्गों में से 45 मार्गों पर कैश सरप्लस (रोकड़ अतिरिक्त) अर्जित किया गया। ऐसा विमानन ईंधन लागत कीमत में वृद्धि और अन्य निवेश लागतों में वृद्धि के बावजूद भी हुआ।

भुवनेश्वर विमानपत्तन का परिचालन

5085. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र राउरकेला में घरेलू विमानपत्तन स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) राउरकेला का हवाई अड्डा भारतीय इस्पात प्राधिकरण का है। यह 50 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। किसी भी एयरलाइन ने राउरकेला से अनुसूचित उड़ानों के प्रचालन में रुचि नहीं दिखाई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हवाई अड्डे के स्तरोन्नयन की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी अधिवक्ताओं का प्रवेश

5086. श्री सुनील खां : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन की सिफारिश पर भारत में विदेशी अधिवक्ताओं को अपनी वकालत करने हेतु प्रवेश देने का कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(ग)इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

5087. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके पुनर्वास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस धनराशि को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो संबंधित ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देशभर में जिला सैनिक बोर्डों में 15.8 लाख भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में 2,74,037 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हैं। राज्यवार भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए अपने संसाधनों से विभिन्न योजनाएँ चलाती हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ सैनिक कल्याण विभागों तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण संबंधी 50% खर्च वहन करती है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	58,949
2.	अरुणाचल प्रदेश	206
3.	असम	17,085
4.	बिहार	60,931
5.	गोवा	1,551
6.	गुजरात	13,296
7.	हिमाचल प्रदेश	78,874
8.	हरियाणा	1,68,044
9.	जम्मू एवं कश्मीर	50,230
10.	कर्नाटक	46,883
11.	केरल	1,28,565
12.	मध्य प्रदेश	30,317
13.	महाराष्ट्र	1,45,449
14.	मणिपुर	3,740
15.	मेघालय	1,809
16.	मिजोरम	4,101
17.	नागालैंड	1,994
18.	उड़ीसा	15,826
19.	पंजाब	1,93,380
20.	राजस्थान	1,00,592
21.	सिक्किम	1,130
22.	तमिलनाडु	1,04,621
23.	त्रिपुरा	1,656
24.	उत्तर प्रदेश	2,74,037
25.	पश्चिम बंगाल	40,262
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	473
27.	चंडीगढ़	6,033
28.	दिल्ली	29,987
29.	पांडिचेरी	1,196

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई पट्टी

5088. श्री पी.आर. किंडिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितनी हवाई पट्टियाँ हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कहाँ स्थित हैं;

(ख) क्या ये हवाई-पट्टी परिचालन में हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन हवाई पट्टियों को परिचालनात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, लीलाबाड़ी और रूपसी तथा असम में सिल्चर, जोरहाट और तेजपुर में तीन सिविल एनक्लेवों; पासीघाट में एक हवाई अड्डा तथा अरुणाचल प्रदेश के अलंग, दपरिजो, जीरो तथा तेजू में चार सिविल एनक्लेवों; मणिपुर में इम्फाल हवाई अड्डा; मिजोरम में लेंगपुई हवाई अड्डा; मेघालय में शिलांग हवाई अड्डा; नागालैंड में दीमापुर हवाई अड्डा और त्रिपुरा राज्य में अगरतल्ला, कमालपुर, केलाशहर तथा खोवाल स्थित चारों अड्डों का रख-रखाव करता है। सिक्किम राज्य में कोई हवाई अड्डा नहीं है।

(ख) रूपसी, पासीघाट, कमालपुर, केलाशहर, खोवाल स्थित हवाई अड्डों और अलग, दपरिजो, जीरो, तेजू स्थित सिविल एनक्लेव गैर-प्रचालनात्मक हैं।

(ग) चूँकि किसी भी एयरलाइन ने इन हवाई पट्टियों से सिविल उड़ानों के प्रचालन के लिए अनुरोध नहीं किया है इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गैर-प्रचालनात्मक हवाई पट्टियों को प्रचालनात्मक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विमानपत्तन पर इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम

5089. श्री राम पाल सिंह :
श्री उत्तमराव ढिकले :
डा. अशोक पटेल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री ए. ब्रह्मनैया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने विमानपत्तन हैं जहाँ श्रेणी I, II और III के इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन अत्याधुनिक क्षेत्र II क इंस्ट्रुमेंट लैंडिंग सिस्टम की स्थापना से क्या लाभ-प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार के वर्ष 1999-2000 के दौरान हैदराबाद, दिल्ली और श्रीनगर विमानपत्तन पर कोहरे के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहित अपनी घरेलू उड़ानों को रद्द करने और स्थगित करने के कारण एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और विदेशी एयरलाइंसों को हुए वित्तीय घाटे का आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनके पायलटों को प्रशिक्षण देकर घने कोहरे में भी विमानों के उतरने की सुविधा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अगरतला, अमृतसर, अहमदाबाद, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, बंगलौर, भोपाल, खजुराहो, कलकता, चेन्नई, कोयम्बटूर, कालीकट, डिब्रूगढ़, दिल्ली (धावन पथ 28 और 10), गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मंगलौर, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, राजकोट, त्रिची, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाराणसी और वडोदरा हवाई अड्डों पर श्रेणी-I उपकरण अवतरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली हवाई अड्डे (धावनपथ 28 का अंतिम छोर पर) श्रेणी-II प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इस समय किसी भी हवाई अड्डे पर श्रेणी-III उपकरण अवतरण प्रणाली नहीं है।

(ख) श्रेणी-II उपकरण अवतरण प्रणाली से 350 मीटर से अधिक तक बेहतर दृश्यता स्थिति में विमान के प्रचालन को प्राधिकृत करती है। इस प्रकार काफी संख्या में उड़ानों में व्यवधान आता है।

(ग) और (घ) कोहरे के कारण, उड़ानों में व्यवधान से हुई वित्तीय हानि सुनिश्चित की जा रही है।

(ङ) सभी संबंधित एयरलाइनों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत को परिचालित किया गया है जिसमें श्रेणी II और श्रेणी ए III के प्रचालनों के लिए विमानचालकों को प्राधिकार स्वीकृत करने के लिए अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है। इंडियन एयरलाईंस, एअर इंडिया और जेट एयरवेज़ को श्रेणी II उपकरण अवतरण प्रणाली स्थिति में प्रचालन करने के लिए प्राधिकार की स्वीकृति दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अतिरिक्त भूमि की बिक्री

5090. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या वस्त्र मंत्री राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अतिरिक्त भूमि की बिक्री के बारे में 10 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2864 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की अप्रयुक्त और अतिरिक्त भूमि की बिक्री के लिए बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों से अनुमति ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र अनुमति प्राप्त करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा उन राज्यों सरकारों से अनुमति प्राप्त करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं जिन्होंने इस संबंध में अनुमति नहीं दी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) बिहार और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने एन.टी.सी. मिलों की अनप्रयुक्त तथा बेशी भूमि की बिक्री हेतु अपनी प्रतिक्रिया अभी देनी है। आंध्र प्रदेश सरकार को एन.टी.सी. मिलों की बेशी भूमि की बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उससे प्राप्त आय को बिना किसी परिवर्तन के राज्य में स्थित मिलों के पुनरुद्धार के लिए उपयोग में किया जाए तथा बिक्री राष्ट्रीय नीति के रूप में की जा रही है। असम सरकार ने कहा है कि एन.टी.सी. मिलों की भूमि बेशी भूमि की सीमा में है तथा इसीलिए बेची नहीं जा सकती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के साथ बेशी भूमि की बिक्री तथा भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए बिना शर्त अनुमोदन देने के लिए मामले को पुनः उठाया गया है।

[अनुवाद]

नासिक में ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

5091. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नासिक में ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियों ने रिपोर्ट भेजी है कि नासिक में ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के पास मनमाड में आक्टेन के परीक्षण के लिए सी.एफ.आर. इंजन सहित एक चल प्रयोगशाला है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने तेल ईंधन नमूनों के परीक्षण के लिए औरंगाबाद में एक चल प्रयोगशाला चालू की है। ये प्रयोगशालाएँ नासिक की आवश्यकताएँ भी पूरी करती हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएँ

5092. डा. अशोक पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक सहित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए जोनवार किन-किन रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है; और

(ग) ये चिकित्सा सुविधाएँ कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) नौ रेलवे स्टेशनों यथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सी.एस.टी.एम.) मुंबई सेंट्रल, हावड़ा, सियालदाह, नई दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, चेन्नई और सिकंदराबाद पर अनन्य कैमिस्ट दुकानों की व्यवस्था करने की एक पायलट परियोजना पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टरों के पास अब रेलवे स्टेशनों के परिसर में उपलब्ध सभी चिकित्सा सुविधाओं की सूची होती है जिसमें उनके पते और दूरभाष के नंबर भी होते हैं। इसके अतिरिक्त संवर्धित प्रथम उपचार की सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए आदर्श 'क' श्रेणी के 158 स्टेशनों की पहचान की गई है।

इन कैमिस्ट दुकानों के अनुज्ञप्ति-धारकों से व्यस्त घंटों के दौरान उनकी स्थापनाओं में एक अर्हक डॉक्टर की व्यवस्था कराने की आशा है। चूँकि यह एक पायलट परियोजना है इसलिए फिलहाल कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

कंपनी लॉ सैटलमेंट योजना

5093. डा. वी. सरोजा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनी लॉ सैटलमेंट योजना में राज्यवार कितने मामलों का निपटारा किया गया है; और

(ख) इससे कुल कितनी आय हुई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) कंपनी लॉ सेटलमेंट योजना में राज्यवार निपटाए गए मामलों की संख्या को दर्शाता एक विवरण संलग्न है।

(ख) इससे कुल आय 196.83 करोड़ रुपए हुई है।

विवरण-

राज्य (राज्यों)	कंपनियों की सं. जिन्होंने कंपनी लॉ सेटलमेंट योजना का लाभ उठाया
1	2
आंध्र प्रदेश	9,108
बिहार	1,455
दिल्ली एवं हरियाणा	22,605
गोवा	500
गुजरात	7,757
जम्मू और कश्मीर	383
कर्नाटक	7,049
केरल	3,864
मध्य प्रदेश	5,134

1	2
महाराष्ट्र	29,417
मेघालय तथा सभी उत्तर पूर्व राज्य	922
उड़ीसा	1,727
पांडिचेरी (यू.टी.)	301
पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश	3,654
राजस्थान	2,835
तमिलनाडु	12,374
उत्तर प्रदेश	4,049
पश्चिम बंगाल	13,949
योग	1,27,083

[हिन्दी]

रक्षकों पर होने वाला व्यय

5094. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत रक्षकों को राज्य के विभिन्न विमानपत्तनों पर तैनात किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और राज्य को उक्त प्रतिपूर्ति कब तक कर दी जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मध्य प्रदेश में भोपाल हवाई अड्डे को छोड़ कर सभी चालू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए राज्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। भोपाल हवाई अड्डे पर सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए 16.03.2000 से राज्य पुलिस को हटाकर वहाँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया है।

(ख) और (ग) हवाई अड्डों पर, सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य पुलिस की तैनाती पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए गए दावे के ब्यौरे को प्राप्त किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

गुजरात में रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार

5095. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर और अन्य जिलों के रेलवे स्टेशनों की हालत खराब है;

(ख) क्या उनके जीर्णोद्धार की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसमें किन-किन स्टेशनों को वरीयता दी जाएगी और इन पर कितना व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गुजरात राज्य में रेलवे स्टेशनों की हालत संतोषजनक है।

(ख) और (ग) रेलवे स्टेशनों की हालत में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में कार्यों को रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। गुजरात राज्य में विभिन्न स्टेशनों पर 13.24 करोड़ रुपए की लागत के कार्य शुरू किए गए हैं। उन स्टेशनों के नाम जहाँ पर महत्त्वपूर्ण कार्य शुरू किए गए हैं, स्वीकृत कार्यों की लागत सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्टेशन का नाम	कार्य की लागत (लाख रुपए में)	स्टेशन का नाम	कार्य की लागत (लाख रुपए में)
सूरत	193.88	वलसाड	38.59
वड़ोदरा	178.74	मणिनगर	42.49
अहमदाबाद	226.00	मेहसाणा	63.57
राजकोट	218.94	साबरमती	27.43
भावनगर	51.25	वेरावल	26.43
जूनागढ़	16.00	सुरेन्द्रनगर	18.91
बेटाड	19.50	सिद्धपुर	21.58

ए.सी.एस.ओ. और सहायकों की सेवा-शर्तें

5096. डा. रमेश चंद तोमर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के कर्मचारियों (सहायक और ए.सी.एस.ओ.) के स्थायीकरण, वरिष्ठता और पदोन्नति आदि सेना मुख्यालय सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं;

(ख) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी. एंड टी.) के दिनांक 28 मार्च, 1988 के निर्देशों को एक ही बार स्थायीकरण से संबंधित निर्देशों को भर्ती नियमों में संशोधन किए बिना सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में लागू किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो गत चौदह वर्षों से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 7 फरवरी, 1986 के निर्देशों को इस विभाग के 19 अक्टूबर, 1994 के अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 20021/1/94-ई.एस.टी.(डी.) में दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में ए.सी.एस.ओ. की वरिष्ठता निर्धारित करने में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। चूँकि सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 1968 में स्थायीकरण के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, अतः सशस्त्र सेना मुख्यालय में एक ही बार स्थायीकरण से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 मार्च, 1988 के निर्देशों को लागू किया जा रहा है।

(ग) सीधे भर्ती हुए कार्मिकों और प्रोन्नति प्राप्त कार्मिकों के बीच परम्पर वरिष्ठता विषयक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 फरवरी, 1986 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों को विभाग द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 में ऐसी वरिष्ठता को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया मौजूद है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों का विकास

5097. श्री वाई.जी. महाजन : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितने पर्यटन स्थल हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों की उपेक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) महाराष्ट्र में कई पर्यटक स्थल हैं। तथापि, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 51 स्थानों को विकसित किया है जिसमें हिल स्टेशन, समुद्र तट, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल आदि सम्मिलित हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यटक स्थलों/तीर्थ केंद्रों के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार संबंधित राज्यों/संघ राज्यों के परामर्श से, प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के आधार पर केंदीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र के लिए 1181.00 लाख रुपयों की 11 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

सरकार महाराष्ट्र राज्य सहित अपने विदेश स्थित 18 पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से, प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर, यात्रा मेलों में भाग लेकर, मीडिया एवं यात्रा एजेंटों को आमंत्रित करके, पर्यटन संवर्धन आदि में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा, भारत को संबंधित कर विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।

[अनुवाद]

रक्षा सेवाओं में हवाई करतबों को बढ़ावा देना

5098. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रक्षा सेवाओं में विभिन्न हवाई करतबों के विषयों को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) चालू वर्ष में इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) देश में तीनों सेनाओं और राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा विभिन्न 'एयरो-स्पोर्टस' को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इनमें ग्लाइडिंग, पावर्ड-फ्लाईंग, माइक्रोलाइट-फ्लाईग, पैरा-सेलिंग, पैरा-जम्पिंग, स्काई-डाइविंग, एक्वा-सेलिंग, पैरा-ग्लाइडिंग, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडिंग, पावर्ड-हैंग-ग्लाइडिंग और हॉट-एयर-बैलूनिंग भी शामिल हैं।

(ख) रक्षा मंत्रालय द्वारा एयरो-स्पोर्ट्स के वास्ते वर्ष 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित निधियों का प्रावधान किया गया है :

सेना	-	42 लाख रुपए
नौसेना	-	1.50 लाख रुपए
वायु सेना	-	85 लाख रुपए
राष्ट्रीय कैडेट कोर	-	17.94 करोड़ रुपए

तत्काल आरक्षण

5099. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन रेलों और स्टेशनों पर तत्काल आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को और अधिक रेलों और रेलवे स्टेशनों में प्रदान करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी/रेलवे स्टेशनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यात्रियों को तत्काल आरक्षण योजना से टिकट प्राप्त करने हेतु क्या-क्या प्रक्रिया और औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं;

(ङ) क्या सरकार को तत्काल आरक्षण योजना में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जिन गाड़ियों में तत्काल आरक्षण सुविधा उपलब्ध है, उन गाड़ियों का ब्यौरा दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तत्काल योजना के अंतर्गत आरक्षण किसी भी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) और (ग) किसी भी गाड़ी या किसी भी श्रेणी के लिए तत्काल योजना का विस्तार करना माँग के पैटर्न और परिचालनिक व्यावहार्यता पर निर्भर करता है।

(घ) तत्काल योजना में आरक्षण प्राप्त करने के लिए यात्री को या तो किसी बैंक का लेसर वाला या बिना लेसर का फोटोग्राफ वाला क्रेडिट कार्ड या समुचित क्रम संख्या वाला लेसर लैमिनेटेड पहचान पत्र या फोटो वाला मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट या लेसर लैमिनेटेड फोटोग्राफ वाला ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड प्रस्तुत करना होता है। यात्री को यात्रा के दौरान उस पहचान पत्र को साथ में रखना पड़ता है जिसके आधार पर उसने आरक्षण प्राप्त किया है।

(ङ) और (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	गाड़ी संख्या	गाड़ी का नाम	श्रेणी
1	2	3	4
1.	1013	लोक मान्य तिलक टर्मिनस–कोयम्बटूर एक्सप्रेस	शयनयान
2.	1015	लोक मान्य तिलक टर्मिनस–गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस	शयनयान
3.	1016	गोरखपुर-लोक मान्य तिलक टर्मिनस कुशीनगर एक्सप्रेस	शयनयान
4.	1019	मुंबई-भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस	शयनयान
5.	1020	भुवनेश्वर-मुम्बई कोणार्क एक्सप्रेस	शयनयान
6.	1027	लोक मान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर काशी एक्सप्रेस	शयनयान
7.	1028	गोरखपुर-लोक मान्य तिलक टर्मिनस काशी एक्सप्रेस	शयनयान
8.	1063	दादर-चेन्नई एक्सप्रेस	शयनयान
9.	1064	चेन्नई-दादर एक्सप्रेस	शयनयान
10.	2009	मुंबई-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस	कुर्सीयान
11.	2010	अहमदाबाद-मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस	कुर्सीयान
12.	2013	अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस	कुर्सीयान
13.	2101	कुर्ला-हावड़ा एक्सप्रेस	3 ए.सी. और 2 ए.सी.
14.	2102	हावड़ा-कुर्ला एक्सप्रेस	3 ए.सी.
15.	2105	मुंबई-नागपुर विदर्भ एक्सप्रेस	शयनयान
16.	2106	नागपुर-मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस	शयनयान
17.	2137	मुंबई-फिरोजपुर पंजाब मेल	3 ए.
18.	2165	लोक मान्य तिलक टर्मिनस-वाराणसी रत्नागिरि एक्सप्रेस	शयनयान
19.	2303	हवड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस	शयनयान
20.	2304	नई दिल्ली-हवड़ा पूर्वा एक्सप्रेस	शयनयान
21.	2381	हवड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस	शयनयान
22.	2382	नई दिल्ली-हवड़ा पूर्वा एक्सप्रेस	शयनयान
23.	2391	पटना-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस	शयनयान
24.	2392	नई दिल्ली-पटना मगध एक्सप्रेस	शयनयान
25.	2401	पटना-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस	शयनयान
26.	2402	नई दिल्ली-पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस	शयनयान
27.	2403	दिल्ली-जम्मू तवी जम्मू एक्सप्रेस	शयनयान
28.	2404	जम्मू तबी-दिल्ली जम्मू एक्सप्रेस	शयनयान
29.	2415	इन्दौर-हजरत निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस	शयनयान
30.	2416	हजरत निजामुद्दीन-इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस	शयनयान
31.	2421	भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	3 ए.सी.
32.	2422	नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस	3 ए.सी.
33.	2423	गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	3 ए.सी.
34.	2424	नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस	3 ए.सी.
35.	2471	मुंबई सेंट्रल-जम्मू तबी स्वराज एक्सप्रेस	शयनयान
36.	2472	जम्मू तवी-मुंबई सेंट्रल स्वराज एक्सप्रेस	शयनयान
37.	2473	अहमदाबाद-जम्मू तवी सर्वोदय एक्सप्रेस	शयनयान
38.	2475	हापा-जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस	शयनयान
39.	2477	जामनगर-जम्मू तवी एक्सप्रेस	शयनयान
40.	2621	चेन्नई-नई दिल्ली तमिलनाडु एक्सप्रेस	शयनयान
41.	2622	नई दिल्ली-चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस	शयनयान
42.	2627	बैंगलूर-नई दिल्ली कर्नाटका एक्सप्रेस	शयनयान
43.	2841	चेन्नई-हवड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस	शयनयान
44.	2842	हवड़ा-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस	शयनयान
45.	2859	मुंबई-हवड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस	शयनयान
46.	2860	हवड़ा-मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस	शयनयान
47.	2901	मुंबई-अहमदाबाद गुजरात मेल	3 ए.सी.

1	2	3	4
48.	2902	अहमदाबाद-मुंबई गुजरात मेल	3 ए.सी.
49.	2903	मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल	3 ए.सी.
50.	2904	अमृतसर-मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेंपल मेल	शयनयान
51.	2915	अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस	शयनयान
52.	2916	दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस	शयनयान
53.	2925	मुंबई सेंट्रल-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस	शयनयान
54.	2926	अमृतसर-मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस	शयनयान
55.	2927	मुंबई सेंट्रल-बड़ोदरा एक्सप्रेस	शयनयान
56.	2928	बड़ोदरा-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस	शयनयान
57.	2953	मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति एक्सप्रेस	शयनयान
58.	2954	हजरत निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति एक्सप्रेस	शयनयान
59.	2955	मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस	शयनयान
60.	2956	जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस	शयनयान
61.	3045	हवड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस	शयनयान
62.	3046	गुवाहाटी सरायघाट-हवड़ा एक्सप्रेस	शयनयान
63.	3073	जम्मू तवी-हवड़ा हिमगिरि एक्सप्रेस	शयनयान
64.	3074	हवड़ा-जम्मू तवी हिमगिरि एक्सप्रेस	शयनयान
65.	3231	हवड़ा-दानापुर एक्सप्रेस	शयनयान
66.	3232	दानापुर-हवड़ा एक्सप्रेस	शयनयान
67.	4257	वाराणसी-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस	शयनयान
68.	4645	नई दिल्ली-जम्मू तवी शालीमार एक्सप्रेस	शयनयान
69.	4646	जम्मू तवी-नई दिल्ली शालीमार एक्सप्रेस	शयनयान
70.	4707	बीकानेर-बांद्रा रणकपुर एक्सप्रेस	शयनयान
71.	4708	बांद्रा-बीकानेर रणकपुर एक्सप्रेस	शयनयान
72.	5651	गुवाहाटी-जम्मू तवी लोहित एक्सप्रेस	शयनयान
73.	6004	चेन्नई-हावड़ा मेल	शयनयान
74.	6007	बंगलौर-चेन्नई मेल	शयनयान
75.	6008	बंगलौर-चेन्नई मेल	शयनयान
76.	6039	चेन्नई-वाराणसी एक्सप्रेस	शयनयान
77.	6046	चेन्नई-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस	शयनयान
78.	6121	इगमोर-कन्याकुमारी एक्सप्रेस	शयनयान
79.	6122	कन्याकुमारी-इगमोर एक्सप्रेस	शयनयान
80.	6319	चेन्नई-तिरुवनंतपुरम मेल	शयनयान
81.	6320	तिरुवनंतपुरम-चेन्नई मेल	शयनयान
82.	6329	तिरुवनंतपुरम-मंगलौर मालाबार एक्सप्रेस	शयनयान
83.	6330	मंगलौर-तिरुवनंतपुरम मालाबार एक्सप्रेस	शयनयान
84.	6436	एर्णाकुलम-लोकमान्य तिलक टर्मिनल नेत्रवति एक्सप्रेस	शयनयान
85.	6508	बंगलौर-अजमेर एक्सप्रेस	शयनयान
86.	6502	बंगलौर-अहमदाबाद एक्सप्रेस	शयनयान
87.	6510	बंगलौर-जोधपुर एक्सप्रेस	शयनयान
88.	6525	कन्याकुमारी-बैंगलूर एक्सप्रेस	शयनयान
89.	6526	बैंगलूर-कन्याकुमारी एक्सप्रेस	शयनयान
90.	6605	चेन्नई-मेट्टूपालियम नीलगिरि एक्सप्रेस	शयनयान
91.	6606	मेट्टूपालियम-चेन्नई नीलगिरि एक्सप्रेस	शयनयान
92.	6669	चेन्नई-इरोड इयरकूल्ड एक्सप्रेस	शयनयान
93.	6670	इरोड-चेन्नई इयरकूल्ड एक्सप्रेस	शयनयान
94.	6717	चेन्नई-मदुरै मेल	शयनयान
95.	6718	मदुरै-चेन्नई एक्सप्रेस	शयनयान
96.	6804	तिरुचिपल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस	शयनयान
97.	7001	मुंबई-हैदराबाद हुसैनसागर एक्सप्रेस	शयनयान
98.	7031	मुंबई-हैदराबाद एक्सप्रेस	शयनयान
99.	8603	हटिया-दिल्ली-झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस	शयनयान
100.	8605	हटिया-दिल्ली-झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस	शयनयान
101.	9005	मुंबई सेंट्रल-ओखा सौराष्ट्रा मेल	शयनयान
102.	9006	ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्रा मेल	शयनयान
103.	9031	मुंबई सेंट्रल-गांधीधाम कुच एक्सप्रेस	शयनयान
104.	9032	गांधीधाम-मुंबई सेंट्रल कुच एक्सप्रेस	शयनयान
105.	9305	इंदौर-हवड़ा शिप्रा एक्सप्रेस	शयनयान

कर्नाटक स्थित फ्लाइंग क्लब को वित्तीय सहायता

5100. श्री एच.जी. रामुलू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निजी फ्लाइंग क्लबों और राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान बंगलौर स्थित सरकारी उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय और निजी क्लबों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निजी उड़ान क्लबों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता (आर्थिक सहायता) नहीं दी जाती है। राज्य सरकार के नियंत्रण वाली उड्डयन क्लबों/संस्थाओं तथा राजसहायता योजना के अंतर्गत आने वाली क्लबों/संस्थाओं को ही आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) चूँकि बंगलौर स्थित राजकीय उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय ने वर्ष 1999-2000 के दौरान आर्थिक सहायता के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी।

अधूरी तेल-शोधक परियोजनाएँ

5101. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन तेल कंपनियों के पास तेल-शोधक परियोजनाएँ अधूरी हैं;

(ख) प्रत्येक अधूरी तेल-शोधक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) ये परियोजनाएँ किन कारणों से अधूरी पड़ी हैं;

(घ) क्या इन अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन तेल-शोधक परियोजनाओं को पूरा करने हेतु लक्षित तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) निम्नांकित रिफाइनरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ विलंब हुए हैं :

(1) बीना (मध्य प्रदेश) में प्रतिवर्ष 6.0 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता की ग्रासरूट मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना भूमि अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी चयन एवं सभी पर्यावरणीय स्वीकृतियों की प्राप्ति पूरी कर ली गई है। कुछ पर्यावरणीय स्वीकृतियों की प्राप्ति में विलंब के कारण इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हो गया है। विभिन्न पर्यावरणीय स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए सतत् अनुवर्ती कार्यवाही एवं प्रयास किए गए थे। इस परियोजना की संपूर्ति के लिए अक्ष्यगत तरीका संयुक्त उद्यम साझीदार के द्वारा परियोजना के अंतर्गत प्रतिभागिता की अभिपुष्टि करने के निर्णय पर निर्भर करेगी। इस परियोजना के, परियोजना क्रियान्वयन की शुरूआत की तारीख से 48 माह के अंतर्गत पूरा होने की आशा है।

(2) अभयचंद्रपुर, पारादीप (उड़ीसा) में 9.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रासरूट रिफाइनरी भूमि का ज्यादातर भाग अधिग्रहीत किया जा चुका है, परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी का चयन और पर्यावरणीय अनुमोदन पूर्ण किए गए जा चुके हैं। परियोजना से संयुक्त उद्यम भागीदारी के निकलने के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है। संयुक्त उद्यम भागीदार के निकलने के बाद इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने बलबूते परियोजना का कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार परियोजना वर्ष 2003 में पूरी की जाने की संभावना है।

(3) पंजाब में भटिंडा में 9.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रासरूट रिफाइनरी परियोजना, परियोजना के लिए सारे पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त किए जा चुके हैं। परियोजना के लिए लगभग 2000 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। कुछ पर्यावरणीय अनुमोदनों की प्राप्ति में विलंब और परियोजना में संयुक्त उद्यम भागीदार के निकलने के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) को परियोजना के लिए वित्तपोषण जुटाने के बाद एच.पी.सी.एल. की शत प्रतिशत सहायक कंपनी के माध्यम से रिफाइनरी परियोजना का निष्पादन करने की अनुमति दे दी है। यदि बाद में आवश्यकता हुई, तो एच.पी.सी.एल. परियोजना में एक संयुक्त उद्यम भागीदार सम्मिलित करेगी। यह परियोजना वर्ष 2005 तक पूरी होने की संभावना है।

उड़ीसा में फोटो पहचान-पत्र जारी करना

5102. श्री भर्तृहरि महताब : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने मतदाता हैं;

(ख) उड़ीसा में कितने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस कार्य हेतु उड़ीसा की कुल लागत का 50 प्रतिशत जारी कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि मुख्य निर्वाचन आफिसर, उड़ीसा से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा में मतदाताओं की कुल संख्या 2,41,72,899 है और 1,81,88,207 व्यक्तियों को त्रुटिरहित पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) जी, हाँ। केंद्रीय सरकार ने फोटो पहचान पत्र तैयार करने के प्रयोजन के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक उपगत कुल व्यय का 50% से आधिक्य का अनंतिम अग्रिम संदाय कर दिया गया है।

(घ) वर्ष 1994-95 से उड़ीसा राज्य सरकार को, फोटो पहचान पत्र तैयार करने के लिए संभाव्य उपगत व्यय में भारत सरकार के हिस्से के रूप में 17,75,(0),244 रुपए का लेखागत अग्रिम संदाय अनुज्ञात किया गया है। राज्य महालेखाकार द्वारा 1944-95 से 1997-98 तक के वर्षों के लिए लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र यह उपदर्शित करते हैं कि उन वर्षों के दौरान इस मद्धे उपगत व्यय में भारत सरकार का हिस्सा 15,69,32,899 रुपए है। राज्य सरकार से प्राप्त, 1998-99 और 1999-2000 वर्षों के लिए व्यय में भारत सरकार के हिस्से के अनंतिम आँकड़े इस मद्धे उपगत किसी व्यय को उपदर्शित नहीं करते हैं। इस प्रकार, 1999-2000 तक, उड़ीसा राज्य सरकार को फोटो पहचान पत्रों को तैयार करने पर किए गए व्यय में भारत सरकार के हिस्से की 2,05,67,345 रुपए की उपयोग की गई रकम प्राप्त हो गई थी।

सशस्त्र बलों में रोजगार सृजन

5103. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेवाओं में रोजगार के कुल कितने अवसर सृजित किए गए;

(ख) जम्मू और कश्मीर में कितने प्रतिशत रोजगार के अवसर सृजित किए गए;

(ग) क्या रक्षा सेवाएँ कश्मीर डिवीजन के युवाओं को आकर्षित करने में वांछित सफलता हासिल नहीं कर पाई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सशस्त्र बलों में रोजगार के अवसर पैदा करने और इन्हें और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्य-योजना बनाई गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेवाओं में रोजगार के महत्त्वपूर्ण अवसर पैदा किए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेवाओं में 1,57,942 कार्मिक भर्ती किए गए हैं।

(ख) सरकार ऐसे आंकड़े नहीं रखती है।

(ग) और (घ) घाटी के युवाओं को आकर्षित करने के लिए जम्मू व कश्मीर में प्रतिवर्ष बार-बार भर्ती रैलियां आयोजित की गई हैं। यद्यपि, उम्मीदवारों की ओर से पर्याप्त रुचि न होने के कारण जम्मू तथा कश्मीर से अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व रहा है, तथापि गत वर्षों के दौरान घाटी में चलाए गए विशेष प्रचार/भर्ती अभियान के कारण वहाँ से प्रतिनिधित्व में लगातार वृद्धि हो रही है। युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने के लिये अभिप्रेरित करने के वास्ते उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन/प्रेरणाप्रद व्याख्यानों/प्रचार-माध्यमों/एन.सी.सी. के कार्यकलापों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाता है।

शेखावाटी के लिए हैरीटेज रेलगाड़ी

5104. श्री ताराचंद भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेखावाटी के लिए एक हैरीटेज शुरू करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना को तेजी से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) फिलहाल अपेक्षित किस्म के मी.ला. डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

5105. श्री अरुण कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड में क, ख, ग और घ श्रेणियों में कितने अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) इन सभी कर्मचारियों को किन-किन विभागों से लिया गया है और उन्हें प्रतिनियुक्ति पर लेने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) इन सभी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) क, ख, ग और घ कोटियों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

समूह क	=	34
समूह ख	=	19
समूह ग	=	01
समूह घ	=	कुछ नहीं
जोड़		54

(ख) (i) उन संगठनों/विभागों के नाम जहाँ से ये सभी कर्मचारी आए हैं :

विभाग	प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की संख्या
रेलवे	43
रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लि.	05
राजस्व विभाग/वित्त मंत्रालय	1

विभाग	प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों की संख्या
भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण लि.	1
रेल सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस)	1
राष्ट्रीय परियोजना, निर्माण निगम लि.	2
मध्य प्रदेश राज्य वेयर हाउसिंग नि.	1
जोड़	54

(ii) मानदंड जिनके आधार पर वे प्रतिनियुक्ति पर लिए गए—संबद्ध क्षेत्र में उनका अच्छा अनुभव और संगठनात्मक आवश्यकता।

(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि की सीमा 1 से 5 वर्ष है।

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. परियोजनाएँ

5106. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चल रही भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी. डी.सी.) की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) आई.टी.डी.सी. की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें समय पर पूरा कर लिया गया है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें खामियों भरा और दोषपूर्ण पाया गया है और सीटीई/सीबीआई/केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जिनकी ओर ध्यान दिलाया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) आजकल भारत पर्यटन विकास निगम की केवल एक परियोजना, अर्थात्, चंडीगढ़ में होटल, कार्यान्वयन के अधीन है और अभी तक लगभग 7.60 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने किसी नए होटल का निर्माण नहीं किया है।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान, सी.टी.ई/सी.बी.आई./केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कुल 8 परियोजना कार्यों जिनमें 2 सिविल एवं 6 इलैक्ट्रीकल हैं, का निरीक्षण/जांच की गई।

महाराष्ट्र में खुदरा बिक्री केंद्रों को नया रूप देना

5107. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ तेल कंपनियों ने देश में अपने खुदरा पेट्रोल और डीजल बिक्री केंद्रों के जीर्णोद्धार और नया रूप देने का काम शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र में अभी तक तेल कंपनी-वार किन-किन बिक्री केंद्रों को नया काम दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के कंपनी-वार बाकी केंद्रों को भी नया रूप देने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र में तेल कंपनियों द्वारा पिछले वर्षों (अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान 113 खुदरा बिक्री केंद्रों का नवीकरण/पुनः माडलीकरण किया गया है। कंपनीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

तेल कंपनी का नाम	नवीकृत/पुनः माडलीकृत खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	56
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	30
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	18
आई.बी.पी. कं. लिमिटेड	09

खुदरा बिक्री केंद्रों का नवीकरण/पुनः माडलीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो चरणबद्ध ढंग से चलाई जाती है।

जाली रेल टिकटों की बिक्री

5108. श्रीमती हेमा गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर हाथ से बनाए हुए जाली रेल टिकट बेरोकटोक बिक रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को इससे कुल कितना नुकसान हुआ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के एक स्टेशन पर केवल एक मामला पाया गया जिसमें एक रेल कर्मचारी संलिप्त था। उसे निलंबित कर दिया गया था और उसके विरुद्ध अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत बड़ी शास्ति की कार्रवाई की गई थी।

(ग) हानि की गणना नहीं की जा सकती।

(घ) नियमित जाँच के अलावा जाँच दल को विशेषकर जनरल सवारी डिब्बों में कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। उद्घोषणाओं के माध्यम से भी यात्रियों को बुकिंग काउंटरों के अतिरिक्त कहीं अन्य स्थान से टिकट न खरीदने की सलाह दी जाती है। यदि जाली टिकटों की बिक्री में किसी रेल कर्मचारी की मिलीभगत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

परमाणु वायु कमान

5109. श्री रामचंद्र बैंदा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संभावित शत्रु को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना के लिए एक परमाणु वायु कमान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विश्व के जिन देशों के पास परमाणु वायु कमान हैं उनका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) ये ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अभीष्ट नहीं होगा।

(घ) यह समझा जाता है कि संयुक्त राज्य वायुसेना के पास एक सामरिक वायु कमान है। यह भी समझा जाता है कि फ्रांस, चीन और रूस के पास एकल कमान के अंतर्गत सामरिक सेनाएं हैं।

रेलवे सैलून का दुरुपयोग

5110. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों द्वारा रेलवे के सैलून का उपयोग करने पर कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार शीर्ष अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर सैलूनों के दुरुपयोग से अवगत है;

(घ) यदि हाँ, तो गत एक वर्ष के दौरान अधिकारियों द्वारा जोनवार कितनी बार और किसी कार्य हेतु रेलवे सैलूनों का उपयोग किया गया; और

(ङ) रेलवे सैलूनों का दुरुपयोग रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, रेलवे सैलून (निरीक्षण यान) निरीक्षण ड्यूटी पर यात्रा करने तथा परिचालनिक व्यवहार्यता होने पर इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस बात के निर्देश दोहरा दिए गए हैं कि रेलवे सैलून का इस्तेमाल केवल निरीक्षण के लिए ही किया जाए।

मणिपुर में पेट्रोल पंपों एवं रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

5111. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मणिपुर राज्य में जिलेवार आवंटित की गई रसोई गैस की एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान मणिपुर में रसोई गैस की नई एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों (अर्थात, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000) के दौरान मणिपुर राज्य में 5 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई थी। इस अवधि के दौरान मणिपुर राज्य में कोई खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप आवंटित नहीं की गई थी।

वर्द्धित माँग को पूरा करने के लिए विपणन योजना 1996-98 के अंतर्गत मणिपुर राज्य के लिए 2 खुदरा बिक्री केंद्र तथा 15 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। सर्वेक्षणों के आधार पर और अधिक डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की जाएंगी।

[हिन्दी]

प्रबंध निदेशकों के रिक्त पद

5112. श्री विजय गोयल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशकों के पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन पदों पर नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पदों पर कब तक नियुक्तियां किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) 23.01.1998 से नियमित आधार पर एअर इंडिया लिमिटेड में पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के पद को भरा गया है।

जहाँ तक, इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का संबंध है वह 26.05.2000 से रिक्त है। एक संयुक्त सचिव जो इंडियन एयरलाइंस का प्रशासिनक संयुक्त सचिव भी है को इंडियन एयरलाइंस के

अंतरिम प्रबंध के रूप में हाल ही में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इस पद के चयन और नियुक्ति के संबंध में यह मामला लोक उद्यम चयन बोर्ड के साथ 3.1.2000 को उठाया गया है। चयन प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

मैसूर रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल का निर्माण

5113. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मैसूर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक और सड़क उपरि पुल के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं। माननीय सदस्य का प्रश्न संभवतः ऊपरी पैदल पुल के संबंध में है। मौजूदा ऊपरी पैदल पुल मौजूदा यात्री यातायात के स्तर को संभालने के लिए पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र की विमान परियोजनाएँ

5114. श्री अनंत गुढे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में विशेषतः विदर्भ क्षेत्र में विमानन नेटवर्क के आधारभूत ढाँचे के विकास, विस्तार उन्नयन और आधुनिकीकरण के कोई प्रस्ताव/परियोजनाएँ हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार मुंबई और देश के अन्य भागों के लिए विमान सेवा चालू करने हेतु अमरावती में हवाई अड्डा बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्राप्त विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है।

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं की योजना और कार्यनिष्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. नागपुर हवाई अड्डे पर तकनीकी खंड और नियंत्रण टावर के निर्माण के लिए कार्यस्थल संबंधी सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसका योजना आवंटन 5 लाख रु. है। जबकि 47 लाख रु. की लागत से ऐप्रन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है और इसके दिसंबर, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।

2. वर्ष 2000-01 के दौरान, पुणे में सिविल एनक्लेव में ऐप्रन के विस्तार के लिए 50 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है और 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने के लिए भारतीय वायु सेना से अनुरोध किया गया है।

3. औरंगाबाद हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के फेसलिफ्ट के लिए कार्य चल रहा है। चरण-II की परियोजनाएँ अर्थात् धावनपथ, ऐप्रन का विस्तार, नए टर्मिनल भवन और पार्किंग क्षेत्र के निर्माण का कार्य ओवरसीज आर्थिक सहयोग निधि जापान से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 67.11 करोड़ रु. की लागत से शुरू किया जाएगा। वर्ष 2000-01 के दौरान 1 लाख रु. का आवंटन किया गया है।

4. मुंबई हवाई अड्डे पर 20 करोड़ रु. की लागत से टर्मिनल चरण-II के निर्माण संबंधी परियोजना के लिए 10.07.2000 को पूर्व सार्वजनिक निदेश बोर्ड की बैठक हुई थी।

5. महाराष्ट्र राज्य सरकार से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें से एक है मुंबई में एक और हवाई अड्डे का निर्माण करना। नवी मुंबई के दूसरे हवाई अड्डे के लिए महाराष्ट्र के शहर और औद्योगिक विकास निगम को अध्ययन पूरा करने के लिए कहा गया है। दूसरा प्रस्ताव सिंधुदुर्ग में हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में है जिसके लिए राज्य सरकार से गोवा हवाई अड्डे पर चौबीस घंटे प्रचालन को देखते हुए फिर से परियोजना की साध्यता तैयार करने के लिए कहा गया है। तीसरा प्रस्ताव शिरडी में नए हवाई अड्डे के निर्माण से संबंधित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने साध्यता अध्ययन किया और हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि की पहचान की जो 50 सीटर विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। राज्य सरकार से शिरडी के नजदीक कोरहाल और कंलवाड गाँवों में भूमि की पहचान कर संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटक स्थलों पर प्रवेश शुल्क

5115. श्री दिन्शा पटेल : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों पर प्रवेश शुल्क लगा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या टूर ऑपरेटरों और अन्य व्यक्तियों ने शुल्क लगाए जाने का विरोध किया था;

(ग) क्या शुल्क लगाने के कारण राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु शुल्क वापसी के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) गुजरात राज्य सरकार ने गीर फारेस्ट में प्रवेश के लिए प्रवेश-शुल्क लगा दिया है।

(ख) यात्रा प्रचालकों ने गीर फारेस्ट में प्रवेश के लिए प्रवेश-शुल्क लगाने तथा भारत सरकार द्वारा कच्छ के बन्नी क्षेत्र के लिए 30 अमरीकी डालर प्रवेश-शुल्क लगाने का विरोध किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पर्यटक आगमन के जो ब्यौरे उपलब्ध हैं उनसे पर्यटक आगमन में गिरावट प्रतीत नहीं होती है। पर्यटक आगमन की बताई गई सूची इस प्रकार है :

1997		1998		1999(अनंतिम)	
घरेलू	विदेशी	घेरलू	विदेशी	घेरलू	विदेशी
118994	7994	217661	9002	215270	10185

(घ) भारत सरकार ने बन्नी क्षेत्र के लिए लगाए गए 30 अमरीकी डालर प्रवेश-शुल्क को पहले ही वापिस ले लिया है।

[हिन्दी]

तत्काल आरक्षण कोटा

5116. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषतः अहमदाबाद स्टेशन पर 'तत्काल' आरक्षण हेतु रखी गई आरक्षित सीटें विशेषतः अहमदाबाद स्टेशन यात्रियों की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार 'तत्काल' आरक्षण में शायिकाओं की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विभिन्न गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बा जोड़ने की गुंजाइश और माँग के स्वरूप पर निर्भर करते हुए तत्काल आरक्षण योजना का समय-समय पर तथा अन्य गाड़ियों में विस्तार किया जाता है। सामान्यता व्यस्त अवधि को छोड़कर अहमदाबाद से चलने वाली गाड़ियों सहित विभिन्न गाड़ियों में तत्काल योजना के अंतर्गत उपलब्ध शायिकाओं की संख्या मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) से (घ) 6045 अहमदाबाद-चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी में 6.1.2001 से तत्काल आरक्षण योजना को बढ़ाया जा रहा है।

[अनुवाद]

पुणे से मुम्बई के रास्ते चेन्नई को उड़ानें

5117. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुणे से मुंबई के रास्ते चेन्नई के लिए प्रायोगिक आधार पर उड़ानें शुरू करने का इरादा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के अनुसार जिसमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणी में न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है, एयरलाइन ऑपरेटर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पंजीकृत कंपनियां

5118. श्री वैको :
डा. सी. कृष्णन :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में कंपनी पंजीयक की सूची में क्षेत्रवार कितनी कंपनियाँ हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों का कोई सर्वेक्षण या सत्यापन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कंपनियों द्वारा उनके पंजीकृत और स्व-घोषित प्रशासनिक कार्यालयों की वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) 14.12.2000 तक कंपनी रजिस्ट्रारों की सूची में कंपनियों की क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार हैं :

उत्तरी क्षेत्र	1,73,950
पूर्वी क्षेत्र	91,212
पश्चिमी क्षेत्र	1,76,878
दक्षिणी क्षेत्र	1,23,151

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) लुप्त हो रही कंपनियों और प्रवर्तकों/निदेशकों को मानिटर करने और उन्हें ढूँढ निकालने के लिए तथा जो कंपनियाँ अपने अंतिम ज्ञात पतों पर अनुपलब्ध हैं, के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरंभ करने के लिए विभाग ने एक विशेष सैल स्थापित किया है।

पंजाब में प्राकृतिक गैस की मांग

5119. श्री जे.एस. बराड़ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में प्राकृतिक गैस/पुनः गैसीकृत तरल प्राकृतिक गैस की माँग का आकलन करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन दल के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (पी.एस.आई.डी.सी.) से प्राप्त हुए ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पी.एस.आई.डी.सी. को सम्बन्ध में किसी पेशेवर परामर्शदाता/एजेंसी की नियुक्ति करने का परामर्श दिया था। पी.एस.आई.डी.सी. ने यह कार्य मैसर्स टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (टी.ई.आर.आई.) को सौंप दिया है।

ए.एम.सी. लखनऊ से मल्टी मीडिया कम्प्यूटर प्रणाली का गायब होना

5120. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी मेडिकल कोरप्स, केन्द्रीय कमान मुख्यालय, लखनऊ से परम गुप्त जानकारी वाली आधुनिक मल्टी मीडिया कम्प्यूटर प्रणाली के गायब हो जाने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन ऐहतियाती प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है जो उक्त कम्प्यूटर की सुरक्षा के लिए किए गए थे;

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। आर्मी मेडिकल कोर सेन्टर एवं स्कूल, लखनऊ से केवल एक एल.सी.डी. मल्टी-मीडिया प्रोजेक्टर के गुम हो जाने की सूचना मिली है। यह उपस्कर एक कम्प्यूटर नहीं है और इसमें डाटा स्टोरेज की सुविधा नहीं है।

(ग) इस सम्बन्ध में जारी किए गये अनुदेशों के अनुसार सेना में कम्प्यूटर और सूचना की सुरक्षा के वास्ते पहले से ही सावधानियाँ बरती जा रही हैं और महँगे उपस्करों की अभिरक्षा के वास्ते मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

चेन्नई विल्लुपुरम-त्रिची-मदुरै रेल लाइन का आमान परिवर्तन

5121. डॉ. सी. कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई-विल्लुपुरम-त्रिची-मदुरै रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) इसमें से कितनी लम्बी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है;

(ग) पूरी रेल लाइन को बड़ी लाइन में कब तक बदल दिया जाएगा, और वर्तमान दर पर परियोजना की कुल लागत कितनी होगी;

(घ) क्या यह सच है कि चेन्नई विल्लुपुरम खण्ड का विद्युतीकरण उस समय किया गया था जब यह लाइन मीटर लाइन थी;

(ङ) यदि हाँ, तो आमान परिवर्तन के बाद उक्त लाइन का विद्युतीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 501 किलोमीटर।

(ख) और (ग) समूची लम्बाई का लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत पर पहले ही आमान परिवर्तन किया जा चुका है।

(घ) जी, हां।

(ङ) चेन्नई बीच और तिरुचिरापल्ली के बीच आमान परिवर्तन के भाग के रूप में चेन्नई बीच और विषुपुरम के बीच एक समानान्तर बड़ी लाइन को कमीशन किया गया है। चेन्नई बीच-तांबरम खण्ड, जो एक उपनगरीय खण्ड है, विद्युतीकृत नहीं किया गया था और तांबरम-विषुपुरम के गैर-उपनगरीय खंड होने के कारण इसको विद्युतीकृत नहीं किया गया था। विद्युतीकरण आमान परिवर्तन परियोजना का हिस्सा नहीं था।

(च) जी हाँ, तांबरम और विषुपुरम के बीच नई समानान्तर बड़ी लाइन को विद्युतीकृत करने का कार्य पहले से ही स्वीकृत और प्रगति पर है।

(छ) तांबरम-विषुपुरम के बीच समानान्तर बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का कार्य 1999-2000 के बजट में शामिल किया गया था। तांबरम-चेंगलपट्टू खण्ड मार्च, 2001 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। चेंगलपट्टू-विपुपुरम खण्ड पर कार्य द्वितीय चरण में आरम्भ किया जाएगा और इसे मार्च, 2003 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

राजापुर गांव का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

5122. श्री राम नगीना मिश्र : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संत कवि गोस्वामी तुलसी दास जी के जन्म स्थान राजापुर गाँव, जिला गोंडा (उत्तर प्रदेश) को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने को कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुप्रशिक्षित पायलटों की भर्ती

5123. श्री प्रभात सामंतराय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया हेतु सुप्रशिक्षित और अनुभवी पायलट भर्ती करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भर्ती के लिए क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) निकट भविष्य में पायलटों की भर्ती पर विचार करने के बारे में एअर इण्डिया का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, विमान बेडे की संख्या बढ़ने की स्थिति में, वे पायलटों की भर्ती करने पर विचार कर सकते हैं। जहाँ तक इण्डियन एयरलाइंस का सम्बन्ध है उन्होंने प्रशिक्षु पायलटों के 24 पदों को भरने के बारे में विज्ञापन दिया था। इन 24 पदों को भरने के बारे में भर्ती की कार्रवाई चल रही है। 10 दिसम्बर, 2000 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और ग्रुप डिसकसन तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। इण्डियन एयर लाइंस उक्त वर्णित संख्या के अलावा कुछ और पायलटों की भर्ती करने पर विचार कर रही है।

बालमेर लारी लिमिटेड के अरूड़ संयंत्र का पुनरुद्धार

5124. श्री टी. गोविन्दन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से राज्य के बालमेर लारी लिमिटेड के अरूड़ संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु राशि का निवेश करने के लिए सुझाव सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) केरल सरकार ने बामर लारी लिमिटेड के अरूर संयंत्र को दोबारा आरम्भ करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड हेतु मेट्रो रेल कार बाडी के निर्माण के लिए 50 करोड़ के वृद्धिशील निवेश और 184 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय का एक प्रस्ताव किया था। दोबारा आरम्भ करने के प्रस्ताव की कम्पनी द्वारा जांच की गई और विभिन्न कारणों से इसे अव्यवहार्य पाया गया।

कृत्रिम रेशे और धागे का उत्पादन

5125. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृत्रिम रेशा और धागा उद्योग में कितने उत्पादक हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान लाइसेंस युक्त क्षमता कितनी थी और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ और उत्पादकों ने कितनी बिक्री की; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादकों द्वारा किए अतिशय उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) रयायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग, रसायन तथा फर्टीलाईज़र मंत्री, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, सिंथेटिक फाईबर और सिंथेटिक फिलामेंट यार्न उद्योग के अन्तर्गत लगभग 48 उत्पादक हैं। इन एककों द्वारा मार्च, 2000 के साथ-साथ वर्ष 1997-98, 1998-1999, 1999-2000 के दौरान की अवस्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता तथा वर्ष 2000-2001 के लिए अनुमानित आँकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभाग द्वारा बिक्री के सम्बन्ध में दी गई सूचना को मॉनीटर नहीं किया जा रहा है।

(ग) विभाग द्वारा सिंथेटिक फाईबर/यार्न के उत्पादन को डैनियर-वार मॉनीटर नहीं किया जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	मद	मार्च 2000 की अवस्थिति के अनुसार स्थापित क्षमता	उत्पादन (टन में)			
			1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (अनुमानित)
1	एक्रेलिक फाईबर (ट्राई स्पन सहित)	1,29,000	79,509	79,420	94,993	1,10,000
2	नाईलोन फिलामेंट यार्न	28,040	29,983	28,700	26,058	27,000
3	नाईलोन औद्योगिक यार्न/टॉयर कॉर्ड	49,700	46,579	48,501	50,292	50,000
4	पॉलिएस्टर स्टैपल फाईबर	5,90,700	4,30,653	5,18,834	5,47,048	5,60,000
5	पॉलिएस्टर फिलामेंट फाईबर	11,30,300	6,59,734	7,15,623	7,77,189	8,00,000

अन्तर्देशीय जल परिवहन को कर लाभ

5126. श्री सुबोध मोहिते : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जल परिवहन को और तीन वर्ष तक कर लाभ देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के गत 15 वर्षों के दौरान कर में छूट देने के फलस्वरूप अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास पर पड़े अनुकूल प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आई.डब्ल्यू.ए.आई. ने जलमार्गों और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए क्या उपाय किए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) अन्तर्देशीय जल परिवहन को कर लाभ देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अन्तर्देशीय जल परिवहन को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अवसंरचना के रूप में घोषित कर दिया गया है और धारा 80-IA के अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिए अप्रैल, 1999 से कर लाभ उपलब्ध हैं।

(ङ) तीन जलमार्ग अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा (1620 कि.मी.), सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र (891 कि.मी.) और चम्पाकारा तथा उद्योगमंडल नहरों सहित पश्चिमी तटीय नहर (205 कि.मी.) को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के अतिरिक्त कुछ अन्य जलमार्गों जैसे डी.वी.सी. नहर, बराक नदी, पूर्वी तटीय नहर जिसके साथ गोदावरी और कृष्णा नदी प्रणाली शामिल हैं आदि पर जलराशिक सर्वेक्षण तथा तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन किए गए हैं। उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना और बाद में उनका विकास किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और नौचालन चेनल, टर्मिनलों तथा नौचालन उपकरणों आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने की विभिन्न योजना स्कीमों के जरिए यह कार्य भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

नैनीताल और देहरादून के बीच रेल सम्पर्क

5127. श्री जय प्रकाश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरांचल बनने के बाद नैनीताल और देहरादून के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेयजल की आपूर्ति

5128. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों के रेल विभाग सूखा प्रभावित राज्यों के जरूरतमन्द क्षेत्रों में विशेष जल कंटेनर सेवा चला रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से राज्यों में भारतीय रेल ऐसे टैंकर उपलब्ध करा रही है;

(ग) क्या यह टैंकर सेवा विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सेवा आन्ध्र प्रदेश में भी चलाई जा रही है, जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नही।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन सम्बन्धी मंत्री समूह

5129. श्री ए.डी.के. जयशीलन : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन सम्बन्धी मुद्दों की विवेचना हेतु पर्यटन, उद्योग और व्यापार सम्बन्धी एक मंत्री समूह का गठन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समूह ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मंत्री समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिनांक 16.10.2000 को पर्यटन उद्योग एवं व्यवसाय से सम्बन्धित एक मंत्री समूह का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित मंत्रीगण शामिल हैं :

1. श्री अनन्त कुमार, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री
2. श्री जगमोहन, शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्री
3. सुश्री ममता बनर्जी, रेल मंत्री

4. श्री शरद यादव, नागर विमानन मंत्री

5. श्रीमती सुषमा स्वराज, सूचना तथा प्रसारण मंत्री

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से नोटिस

5130. श्री रामदास आठवले :
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय को कारगिल संघर्ष में शहीद हुए एक सैनिक की विधवा की उसके ससुर द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के लिए की गई कथित हत्या के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कोई नोटिस प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कारगिल शहीदों की विधवाओं को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि वस्तुतः उनको ही मिले और उन्हें उनके जानमाल के सम्भावित खतरे से बचाया जा सके, कोई कदम उठाया गया है अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रक्षा मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस महानिदेशक को स्वप्रेरणा से नोटिस जारी करके लखनऊ डेटलाइन के साथ 09 अगस्त, 2000 के *इण्डियन एक्सप्रेस* में 'कारगिल विडो इज किल्ड, कंपेन्सेशन मोटिव' शीर्षक से छपे एक समाचार के सम्बन्ध में उनसे रिपोर्ट माँगी है।

जैसा कि सेना मुख्यालय द्वारा बताया गया है मामले की स्थिति यह है कि सुल्तानपुर जिले की रहने वाली, 1/3 गोरखा राइफल्स के स्वर्गीय राइफलमैन राम निहोर यादव की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिव कुमारी यादव की 07 अगस्त, 2000 को हत्या कर दी गई थी। पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, सुल्तानपुर में उसी दिन प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उसके ससुर श्री राम आधार तथा श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री दया शंकर को जांच कार्य के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया।

जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है यह सुनिश्चित किया जाता है कि कारगिल संघर्ष के शहीद सैनिकों की पत्नियों को मुहैया करवाई गई मुआवजा राशि वास्तव में उन तक पहुँचे। निकटतम सम्बन्धी को देय धनराशि के भगुतान से पूर्व बैंक में एकल बैंक खाता खुलवाने को कहा जाता है। तत्पश्चात् भारत सरकार से मिलने वाली पेंशन, उपदान, अनुग्रह तथा अन्य देय राशि निकटतम सम्बन्धी के एकल बैंक खाते में डाल दी जाती हैं। तथापि जान-माल की सम्भावित खतरे से संरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है।

हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजनाएँ

5131. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों के लिए शुरू की गई बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हथकरघा बुनकरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले बुनकरों की संख्या कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) हथकरघा बुनकरों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 2 बीमा स्कीमें आरम्भ की गई थीः

(i) **समूह बीमा स्कीम**—एक बुनकर को 120 रुपए की दर से वार्षिक किस्त पर प्राकृतिक मृत्यु पर 10,000 रुपए की बीमा सुरक्षा मुहैया कराई जाती हैं। किस्त की राशि लाभभोगी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से बाँट कर चुकाई जाती है।

(ii) **नई बीमा स्कीम**—मृत्यु या दो अंगों का बेकार होना या दोनों आँखें या पूर्ण निःसशक्तता होने पर 1.00 एक लाख रुपए मुहैया किया जाता है। यह एक अंग या एक आँख के बेकार होने पर 50,000 रुपए की बीमा भी मुहैया करता है। स्कीम के अन्तर्गत आवास इकाई तथा कच्चे माल की क्षति से सम्बन्धित बीमा भी शामिल है। 120 रुपए की वार्षिक किस्त, 20 रुपए बुनकर द्वारा, 40 रुपए राज्य सरकार द्वारा तथा 60 रुपए भारत सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अन्तर्गत लाभांवित हथकरघा बुनकरों का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	लाभांवित बुनकरों की संख्या	
	समूह बीमा स्कीम	नई बीमा स्कीम
1997-98	1,06,432	60,453
1998-99	1,47,637	66,662
1999-2000	1,96,604	41,666
2000-2001	3,917	41,556

(ग) और (घ)जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

भुज विमानपत्तन पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना

5132. श्री राजो सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भुज विमानपत्तन पर पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं एवं राडार सुविधाओं की कमी होने के कारण वहाँ विमानों के उतरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमानों के सुगमतापूर्वक उतरने हेतु भुज विमान पत्तन के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भुज हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल एअर टर्मिनल और सिविल एप्रेन का अनुरक्षण करती है। सिविल एप्रेन केवल एक बी-737 विमान को एक ही समय में रख सकती है।

(ग) 19.57 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नए सिविल इनक्लेव, आधुनिक यात्री सुविधाओं सहित एक नए सिविल एप्रेन और टैक्सी ट्रैक का निर्माण करने के द्वारा भुज में यात्री सुविधाओं को और बढ़ाने की योजनाएँ हैं। एप्रेन और टैक्सी ट्रैक का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो सितम्बर, 2001 तक पूरा हो जाएगा। टर्मिनल भवन का कार्य भी प्रगति पर है जिसकी पूरी हो जाने की अनुसूचित तारीख दिसम्बर, 2002 है।

[अनुवाद]

नई टिकट आरक्षण खिड़कियों को खोलना

5133. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलकनगर और कन्जूर मार्ग, मुम्बई में नई और अतिरिक्त खिड़कियों को खोलने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) तिलक नगर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त बुकिंग खिड़की का व्यवस्था के प्रस्ताव को निर्माण कार्यक्रम 2000-2001 में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है। जहाँ तक कन्जूर मार्ग रेलवे स्टेशन का सम्बन्ध है, मौजूदा बुकिंग खिड़कियां यातायात की वर्तमान मात्रा को सम्हालने के लिए पर्याप्त हैं। अतः इस स्टेशन पर अतिरिक्त बुकिंग खिड़की की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है।

पारादीप और हल्दिया के बीच पाइपलाइन बिछाना

5134. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने कच्चे तेल के आवागमन के लिए पारादीप और हल्दिया के बीच पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और इस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) इण्डियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) की हल्दिया एवं बरौनी स्थित रिफाइनरियों की कच्चे तेल जरूरतें पूर्णतया तथा बोंगाईगाँव स्थित बोंगाईगाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी. आर.पी.एल.) रिफाइनरी की ये जरूरतें आंशिक रूप से आयातों के माध्यम से पूरी की जानी है, जिसके लिए हल्दिया निकटतम बंदरगाह है। कच्चे तेल की वर्द्धित मात्रा की सम्भाल करने के लिए इण्डियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पूर्वी तट पर अतिरिक्त सुविधाएँ जुटाए जाने की आवश्यकता है। इस परियोजना के लागत, कार्य आरम्भ होने की तारीख जैसे ब्यौरों का अभी तक आकलन नहीं किया गया है।

विकलांग व्यक्तियों द्वारा ताजमहल का दौरा

5135. श्री अनादि साहू : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष ताजमहल देखने वाले विकलांग विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार 'व्हील चेयर' का उपयोग करने वाले विकलांग व्यक्तियों सहित अन्य विकलांगों के लिए ताजमहल की यात्रा को सुगम बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बधिर व्यक्तियों के साथ बातचीत कर सकने में सक्षम प्रशिक्षित गाइडों को रखने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) वर्ष 2000 के दौरान 25 भारतीय पर्यटकों ने ताजमहल देखने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग किया तथा किसी भी विदेशी पर्यटक ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से ताजमहल में ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए अनुरोध नहीं किया। कभी-कभी यह पाया गया है कि विदेशी पर्यटक अपनी ही व्हील चेयर अपने साथ लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। व्हील चेयरों की ताज के चमेली फ्लोर तक के लिए ही अनुमति है। विकलांग पर्यटकों को मुख्य गुम्बज तक परिचरों की सहायता से ले जाया जाता है।

(घ) बधिर व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कोई गाइड उपलब्ध नहीं है।

(ङ) निरर्थक मांग के कारण।

हैदराबाद मास रैपिड ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम

5136. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हैदराबाद मास रैपिड ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम' के अन्तर्गत मौजूदा उपनगरीय रेल स्टेशनों और बेगमपेट स्टेशन के साथ लगने वाली सम्पर्क सड़कों को सुधारने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना से सम्बन्धित कार्यों को कब तक शुरू किए जाने और पूरा कर लेने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) हैदराबाद और सिकंदराबाद की ट्विन सिटी में उपनगरीय गाड़ियों के परिचालन के लिए मौजूदा रेलवे की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात ही मौजूदा उपनगरीय रेल प्रणाली में सुधार के लिए विशिष्ट स्थानों को पहचाना जा सकता है।

(ख) परियोजना का अनुमोदन और कार्यान्वयन, रिपोर्ट की प्राप्ति और स्वीकृति तथा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने पर निर्भर करता है। और अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त की जा रही हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यात्रियों पर हमलों के मामलों को उठाना

5137. श्री पुष्प जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानवाधिकार आयोग ने 1 जनवरी, 1999 से अब तक रेलगाड़ियों में यात्रा के दौरान यात्रियों पर हुए हमलों के मामलों को उठाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) 1.1.1999 से 30.11.2000 के मध्य गाड़ियों में यात्रा के दौरान यात्रियों पर हुए हमले के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	शिकायतकर्त्ता का नाम	विषय
1.	श्री राजेन्द्र किशोर, जिला-भागलपुर	पटना-गया खण्ड पर रा.रे. पु. आर.बी.एम पी. द्वारा यात्रियों से कथित मारपीट/दुर्व्यवहार तथा धन का छीना जाना।
2.	श्रीमती पूजा देवी जिला-भागलपुर	11.8.2000 को जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस द्वारा यात्रा के दौरान रा.रे.पु. कर्मचारी द्वारा श्री नरेश साहा और श्री बसन्त पंडित की कथित हत्या।
3.	श्री के.एन. पाण्डे, भोपाल	झाँसी और ओरई के मध्य 14.4.2000 को कोचीन-बरौनी एक्सप्रेस गाड़ी में रा.रे.पु. द्वारा एक यात्री पर कथित हमला और दुर्व्यवहार।

[हिन्दी]

मेस्कोस एयरलाइन्स द्वारा नियुक्त नए निदेशक

5138. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मेस्कोस एयरलाइन्स लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए गए निदेशकों की संख्या कितनी है और इन निदेशकों के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त किए जाने में कितना समय लगा;

(ख) उन विमानन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके निदेशकों की सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृति के लिए आवेदन चार माह से अधिक समय से लम्बित है; और

(ग) उन्हें शीघ्र मन्जूरी दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान केवल एक निदेशक अर्थात एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) डेन्जिल कीलर को मैसर्स मैस्को एयरलाइन्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया था। ए.एम. कीलर और अन्य निदेशक श्री डी.के. सिंह (कम्पनी के निदेशक मण्डल में 1993 से) को सुरक्षा क्लीयरेंस लगभग छह महीनों के बाद दी गई थी।

(ख) और (ग) नई आवेदक कम्पनियों के निदेशकों तथा उन वर्तमान आपरेटरों जहाँ कहीं नए निदेशकों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है, सुरक्षा क्लीयरेंस प्राप्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। गैर-अनुसूचित प्रचालनों और उनके निदेशकों के लिए निम्नलिखित नई आवेदक कम्पनियों के सुरक्षा क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है :

		जिस तारीख को गृह मंत्रालय को भेजा गया
(1)	मैसर्स फ्यूचर ट्रेवल्स लिमिटेड	11.10.2000
(2)	मैसर्स आर.सी. एविएशन (इण्डिया)	21.11.2000
(3)	मैसर्स बिलाखिया होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड	21.11.2000

सुरक्षा सत्यापन में विभिन्न एजेंसियों और औपचारिकताओं की अन्तर्ग्रस्तता के कारण इस सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। सुरक्षा क्लीयरेंस में तेजी लाने के लिए सत्यापन प्राधिकारियों को आवधिक रूप से अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

विजाग विमानपत्तन पर रनवे का निर्माण

5139. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने विजाग विमानपत्तन पर 10,000 फीट लम्बी धावनपट्टी के निर्माण को मन्जूरी दिए जाने हेतु इस मंत्रालय से अनुरोध किया है क्योंकि यह विमानपत्तन रक्षा (नौसेना) मंत्रालय के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसके निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) विशाखापट्टनम विमानपत्तन को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार, रक्षा मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से एबी-300 श्रेणी के वायुयानों की संक्रियाओं के लिए उपयुक्त बनाने हेतु इस पर अन्य सहायक सुविधाओं के साथ एक नए रनवे का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कर रहा है।

पोत निर्माण राज-सहायता योजना

5140. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान पोत निर्माण राज-सहायता योजना में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार 'मल्टीनेशनल ट्रान्सपोर्टेशन आन गुडस एक्ट, 1993' में भी संशोधन करने का है;

(ग) क्या अगस्त, 1947 में बनाई गई पोत निमार्ण राज-सहायता योजना में पोत खरीद वित्त पोषण सम्बन्धी लचीली प्रणाली का प्रावधान करने हेतु परिवर्तन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या पोत विभाग ने इस सम्बन्ध में मार्गनिर्देश निर्धारित करने का निर्णय किया है जिससे के राज-सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों के निपटान को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक विधान बनाये जाने की सम्भावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) एम.एम.टी.जी. अधिनियम, 1993 के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को राज्य सभा द्वारा इस वर्ष के मानसून सत्र में पारित किया गया था जबकि लोक सभा ने इसे चालू शीतकालीन सत्र में पारित किया गया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) जहाज निर्माण सब्सिडी की स्कीम जिसे अगस्त, 1997 में कार्यान्वित किया गया था, को हाल में संशोधित किया गया है ताकि इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके और जलयान अधिग्रहण के लिए निधियाँ जुटाने की एक व्यावहारिक प्रणाली की व्यवस्था की जा सके। संशोधित स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी की पात्रता का एक समयबद्ध तरीके से निर्णय करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं।

घरेलू पोतों के लिए कोटा

5141. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु बाहर जाने वाले पोतभार में घरेलू पोतों के लिए कोई कोटा लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के कब तक लागू होने की सम्भावना है;

(ग) क्या बाहर जाने वाले पोतभार के लिए भारतीय पोतों को रुपए में भुगतान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या भुगतान की इस प्रणाली से भारतीय नौवहन के प्रति स्पर्द्धात्मक होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी बाहर जाने वाले कार्गो जिसमें सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से ले जाया गया कार्गो भी शामिल है, के लिए भारतीय नौवहन कम्पनियों को मालभाड़े का भुगतान पहले से ही भारतीय रुपयों में किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कंक्रीट के स्लीपरों की आवश्यकता

5142. श्रीमती निवेदिता माने : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंक्रीट स्लीपरों की वार्षिक आवश्यकता कुल कितनी है; और

(ख) इन स्लीपरों के क्रयादेशों और आपूर्ति के बीच कितना अन्तर है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कंक्रीट स्लीपरों की वार्षिक आवश्यकता को स्वीकृत कार्यों तथा बजट आबंटन के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया है। कंक्रीट स्लीपरों की आकलित वार्षिक आवश्यकता लगभग 60 लाख अदद है।

(ख) मौजूदा फर्मों से उत्पादन, आदेशों के जारी होने के एक महीने के भीतर प्राप्त होना प्रारम्भ हो जाता है। आदेश प्राप्त करने वाली नई फर्मों को सुविधाएँ स्थापित करने तथा उत्पादन शुरू करने के लिए 12 माह की अवधि का समय दिया जाता है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना

5143. श्री शिवाजी माने : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के उप सचिव और उससे ऊपर के संवर्ग के अधिकारियों के पास उनके मंत्रालय में समकक्ष और उससे उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव है;

(ख) यदि तैनात किया जाए तो क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारी उनके मंत्रालय में बेहतर निरन्तरता और विशेषज्ञता उपलब्ध करा सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो उन्हें यह अवसर न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रक्षा मंत्रालय में उनकी भागीदारी को अनुमति दिये जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय में उप सचिव और उससे ऊपर के ग्रेड के पद पर तैनात नहीं किया जाता है क्योंकि ये पद केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के जरिए भरे जाते हैं। सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत तीनों सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में विभिन्न प्रशासनिक पद धारण करने हेतु भर्ती किया जा रहा है। सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों की रक्षा मंत्रालय में अधिक भागीदारी के मुद्दे को समुचित स्तर पर उठाया गया है।

वारंगल स्थित ककातिया किले का विकास

5144. श्री राजैया मल्याला : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वारंगल स्थित काकातिया किले का विकास एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में किए जाने हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री(श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक स्थल के रूप में वारंगल किले का समग्र विकास करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस अनुरोध में किले के अन्दर एक संग्रहालय स्थापित करने तथा प्राचीन भवनों का पुनः निर्माण करने का प्रस्ताव है।

संसाधनों की तंगी होने के बावजूद, किले के प्राचीन भवनों का संरक्षण करने एवं उन्हें मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी जाती है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों के बीच असमानता

5145. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा एवं सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है;

(ख) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों को संयुक्त सचिव और इसके समान स्तर की नियुक्तियों को पाने का समान सेवा अवसर उपलब्ध है;

(ग) यदि हाँ, तो सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा एवं केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव एवं इसके समकक्ष पदों पर नियुक्त अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में संयुक्त सचिव के रैंक के समतुल्य दो पदों के मद्दे केन्द्रीय सचिवालय सेवा से 34 संयुक्त सचिव हैं।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में संयुक्त सचिव स्तर के पदों में वृद्धि करने संबंधी प्रयास लाभप्रद नहीं हुए हैं।

जूट उद्योग पर सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट

5146. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने दिनांक 30 जून, 1992 के आदेशों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव सहित सरकारी विभागों के 16 अन्य सदस्यों के साथ वस्त्र मंत्रालय के सचिव, श्री टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जूट उद्योग सम्बन्धी एक उच्चाधिकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 28 पर यह कहते हुए कि जूट उद्योग को इस विधान के द्वारा उदारीकृत अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चित अवधि के लिए कृत्रिम रूप से सहारा नहीं दिया जा सकता जब मुक्त बाजार व्यवस्था चल रही हो; इस अधिनियम को वर्ष 1994-95 तक पूरी तरह से खत्म करने/निरस्त करने की सर्वसम्मति से सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो 'जूट पैकेजिंग मेटेरियल' को खत्म करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) पटसन क्षेत्र पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने नवम्बर, 1992 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब मुक्त बाजार शक्तियाँ प्रचालन में हो तब जेपीएम अधिनियम 1987 के अन्तर्गत जारी अनिवार्य पटसन पैकेजिंग आदेश के द्वारा मुक्त अर्थव्यवस्था में पटसन उद्योग को अनिश्चित काल के लिए कृत्रिम रूप से सहारा/आश्रय नहीं दिया जा सकता है। उक्त समिति ने यह सिफारिश की कि अनिवार्य पटसन पैकेजिंग आदेश के प्रावधानों का दो या तीन चरणों में कम कर दिया जाना चाहिए तथा वर्ष 1994-95 तक इसे पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25 अप्रैल, 1996 के अपने निर्णय में अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगा दी थी। अनिवार्य पटसल पैकेजिंग आदेश के प्रावधानों का, इसके प्रारंभ से अब तक क्रमशः विलय किया गया है और जिसका संक्षेप नीचे दिया गया है:

अवधि	वस्तुओं के कुल उत्पादन का पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक किए जाने का प्रतिशत			
	खाद्यान्न	चीनी	सीमेंट	फर्टीलाईज़र
01.7.1987-30.6.1998	100%	100%	70%	50% (5 किस्में)
31.7.1998-14.3.1995	100%	100%	70%	100% (केवल यूरिया)
15.3.1995-30.6.1995	100%	100%	50%	65% (केवल यूरिया)
01.7.1995-30.6.1997	100%	100%	50%	50% (केवल यूरिया)
01.7.1997-14.12.1998	100%	100%	—	50% (केवल यूरिया)
15.12.1998-31.3.2000	100%	100%	—	20% (केवल यूरिया)
01.4.2000-24.10.2000	90%	90%	—	15% (केवल यूरिया)
25.10.2000 से अब तक	100%	100%	—	20% (केवल यूरिया)

अहमदाबाद में रसोई गैस की डीलरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

5147. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अहमदाबाद जिले में गत छः वर्षों के दौरान आबंटित ऐसे रसोई गैस डीलरशिप/डीजल/पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों का कम्पनी-वार ब्यौरा है जिन्हें आशयपत्र जारी किए जाने के बाद निर्धारित समय के अन्दर शुरू नहीं किया गया;

(ख) वे मामले कौन से हैं जिनमें निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाया गया है;

(ग) क्या सरकार प्रतीक्षा सूची में दर्ज प्रत्येक मामले में अगले व्यक्ति को परवर्ती आबंटन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) पिछले छह वर्षों के दौरान गुजरात के अहमदाबाद जिले में आबंटित पर आशय पत्र जारी करने के बाद से निर्दिष्ट समय के भीतर चालू न की गई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का कम्पनीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

कम्पनी का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्रों की सं.	एल.पी.जी. डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों की सं.
इण्डियन आयल कारपोरेशन लि.	1	—
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	1	—
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	5	5
आई.बी.पी. कम्पनी लि.	2	—

प्रक्रिया के अनुसार आशय पत्र (एल.ओ.आई.) धारक को आशय पत्र में निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं और निर्धारित अवधि के भीतर खुदरा बिक्री केन्द्र/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करनी होती है अन्यथा कम्पनी के पास आशय पत्र वापस लेने और इसे योग्यता सूची में अगले व्यक्ति को जारी करने का अधिकार होगा। तथापि, तेल कम्पनी, खुद संतुष्ट होने पर आशय पत्र धारक को समय में वृद्धि प्रदान कर सकती है।

इण्डियन आयल के 2000 करोड़ रुपए के मामले को मन्जूरी

5148. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 2000 के 'द इण्डियन एक्सप्रेस' में 'इण्डियन आयल्स् रुपीज 2000 करोड़ केस अपील आन मन्डे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन का विलम्ब शुक्ल और उस पर सम्भवतः लगने वाले 2000 रुपए के अर्थदण्ड से बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) कलकत्ता में सीमाशुल्क आयुक्त ने सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत 975.98 करोड़ रुपए की सीमाशुल्क राशि और इसके बराबर राशि में जुर्माने सहित शुल्क के रूप में मांग की गई धनराशि पर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की वसूली की मांग की पुष्टि करते हुए एक आदेश पारित किया था।

(ग) आई.ओ.सी. ने सी.ई.जी.ए.टी., नई दिल्ली की बृहत्तर पीठ के सामने सीमाशुल्क आयुक्त, कलकत्ता के आदेश के विरुद्ध अपील कर दी। इस पीठ ने अपने अन्तिम आदेश में सीमाशुल्क आयुक्त, कलकत्ता द्वारा पारित निर्णयादेश को निरस्त कर दिया।

कोयला क्षेत्र (बिहार) में कोल बेड मिथेन

5149. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बिहार के कोयला क्षेत्र में कोल बेड मिथेन का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में कोल बेड मिथेन (सिबीएम) निकलने की सम्भावना है;

(घ) क्या इसका निकाला जाना अर्थक्षम्य है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) ने कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) का अन्वेषण, अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) कार्य के रूप में आरम्भ किया है और झारखण्ड राज्य (पहले बिहार में) में झरिया बेसिन में चार कूपों का वेधन किया है। ओ.एन.जी.सी. द्वारा निष्पादित प्राथमिक अध्ययन और अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों से इस क्षेत्र में सी.बी.एम. की मौजूदगी का संकेत मिला है।

(ग) से (ङ) सी.बी.एम. भण्डार आधार का पता अन्वेषण के बाद ही लगाया जा सकता है और ऐसे भण्डारों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता उसके बाद सिद्ध की जा सकती है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश का निर्णय

5150. श्री भीम दाहाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में 'गेल' द्वारा कितना धन निवेश करने की सम्भावना है; और

(घ) 'गेल' के दूरसंचार व्यवसाय से कितना राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) उत्तर-पश्चिम भारत में फैली अपनी पाइपलाइन प्रणाली के आसपास तीन चरणों में विस्तार किए जाने वाले लगभग 1900 कि.मी. के मौजूदा आप्टिकल फाइबर नेटवर्क का उपयोग करके एक बुनियादी सुविधा प्रदाता श्रेणी 2 (आई.टी-2) के रूप में दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रही है। गेल का राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1999 के तहत विभिन्न दूरसंचार आपरेटरों को बैण्डविडथ क्षमता पट्टे पर देने का प्रस्ताव है।

(ग) नेटवर्क की कुल लागत 500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसका निवेश, चरणों में किया जाना है।

(घ) इस परियोजना के पूरा होने पर गेल को लगभग 800 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व का अर्जन करने की आशा है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों की मांगें

5151. श्री कोत्तुर बसवनागीड़ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमानों में मकान किराया भत्ता और वेतन वृद्धि की दर में कटौती करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सार्वजानेक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए लागू निदेशों के अनुसार कर्मचारियों को देय समान किराया भत्ता मूल वेतन का कुछ प्रतिशत होगा, किन्तु यह प्रतिशत शहर/नगर के वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग स्थान के लिए भिन्न-भिन्न होगा। चूँकि मकान किराया भत्ते की दरों की संख्या को पहले ही पांच से घटाकर चार कर दिया गया है तथा शहर/नगरों को भी पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि कतिपय शहरों/नगरों में रहने वाले कर्मचारी अब न्यून दरों पर मकान किराया भत्ता पाने के हकदार हों। कार्यपालकों के मामले में ये निदेश भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा लागू कर दिए गए हैं। गैर-कार्यपालकों के मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में इसी निदेश के आधार पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रबन्धन तथा वार्ताकार श्रम संगठनों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तथापि, दोनों मामलों में पहले की व्यवस्था के तहत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जा रहा वास्तविक मकान किराया भत्ता वही रहेगा, चाहे शहर/नगर, जिसमें वह रहता है, के वर्गीकरण में परिवर्तन ही क्यों न हो गया हो। पहले की व्यवस्था के अनुसार गैर-कार्यपालकों की वेतन-वृद्धि के मामले में, किसी वेतनमान में वेतनवृद्धि मूल वेतन के कुछ प्रतिशत के रूप में दी जा रही थी। अब गैर-कार्यपालकों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में, किसी वेतनमान में वेतन-वृद्धि एक निर्धारित राशि होगी। तथापि, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन-वृद्धि बनी रहेगी।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश

5152. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य निर्वाचत आयोग ने संसद् और राज्य विधान सभाओं के भावी उम्मीदवारों के लिए शिक्षा, पिछली पृष्ठभूमि आदि जैसे मानदण्ड और दिशानिर्देश स्थापित करने के सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने चुनाव सुधार के लिए एक मंत्री-समूह गठित किया है या इसके लिए एक आयोग का गठन करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार एक संसदीय आयोग के गठन हेतु आम सहमति बनाने के लिए संसद् के वर्तमान सत्र में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस आयोग की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की क्या समय-सीमा निश्चित की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने संसद और राज्य विधान सभा के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, निर्वाचन आयोग ने संसद्/राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन लड़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों को कुछ गम्भीर अपराधों के लिए उनके विरुद्ध विरचित किए

गए आरोपों के आधार पर निरर्हित किए जाने के लिए कुछ प्रस्ताव किए हैं। उन अभ्यर्थियों की बाबत जो कतिपय विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए हैं, निर्वाचन अधिकारी, उन अपराधों के बारे में जिनके लिए वे सिद्ध दोष ठहराए गए हैं, जानकारी प्राप्त कर सकता है, ऐसे अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अन्तर्गत आने वाले मामलों में अपनी दोषसिद्धि के बारे में शपथ पत्र फाइल करना आवश्यक है।

(ख) सरकार के पास इस समय संसद/राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन लड़ने वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ अनिवार्य करने के लिए विधि में परिवर्तन करने या अभ्यर्थियों को उनके विरुद्ध आरोपों के विरचित होने के आधार पर निरर्हित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हज प्रबन्धन

5153. श्री जी.एस. बसवराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज उड़ानों में असाधारण विलम्ब होने के कारण भारतीय हज यात्री कई दिनों तक जेद्दाह में फँसे हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत का एक उच्चस्तरीय दल सऊदी अधिकारियों से विचार विमर्श कर एक दोषरहित व्यवस्था का प्रबन्ध करने हेतु सऊदी अरब गया था;

(ग) क्या हज प्रबन्धन के मामले में दोनों देशों के बीच कोई सहमति बन पाई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) हज-2001 प्रचालन के लिए भारत से और वापिस भारत हज तीर्थ यात्रियों को ले जाने तथा लाने के लिए सऊदी अरब एयरलाइन्स के साथ एक समझौता किया जा रहा है। सऊदी अरब एयरलाइन के साथ समझौते/करार को अन्तिम रूप देने के लिए हवाई अड्डे के स्तरोन्नयित हैंडलिंग मदीना के लिए कुछ तीर्थ यात्रियों के लिए वापसी उड़ान और यात्रियों को सही समय पर उड़ान की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी द्वारा जेद्दाह का दौरा किया गया है।

प्रमुख बंदरगाहों द्वारा जमीन के उपयोग

5154. श्री रामजी मांझी : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख बंदरगाहों के पास उपलब्ध जमीन के उपयोग हेतु कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये बंदरगाह उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार जमीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना नुकसान हुआ है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हाँ। महापत्तन न्यासों के न्यासी मण्डल को पत्तन से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए 30 वर्ष की अवधि तक के लिए भूमि को पट्टे पर देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोरीवली में राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

5155. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से मुम्बई सेंट्रल के रास्ते में बोरीवली स्टेशन पर राजधानी और अगस्त क्रान्ति एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन दोनों रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री मुम्बई के उपनगरों में रहते हैं और उन्हें मुम्बई सेंट्रल, जो कि इस रेल मार्ग से काफी दूर है उतरकर वापस अपने गन्तव्य जाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार को बोरीवली में इन दोनों रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था कराने के लिए यात्रियों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) राजधानी की बोरीवली में ठहराव देने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। इनकी जांच की गई थी लेकिन यह ठहराव देना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि यह गाड़ियां प्रातःकाल व्यस्त समयावधि के दौरान मुम्बई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यदि इस गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था कर दी जाती है तो इससे संवेदनशील दैनिक यात्री गाड़ियाँ प्रभावित होंगी।

[हिन्दी]

जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए उड़ानों में कटौती

5156. श्री भेरूलाल मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स ने देश के प्रमुख पर्यटक स्थल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए अपनी उड़ानों में कटौती की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन स्थानों के लिए फिर से प्रतिदिन उड़ान शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिनांक 17 जुलाई 2000 को पटना में एक विमान दुर्घटना में एक बोइंग 737 विमान के क्षति होने और उपलब्ध क्षमता में परिणामी कमी के कारण जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के द्वारा प्रचालन कर रही उड़ानों को पुनः अनुसूचित किया गया था। दिनांक 8 अगस्त, 2000 से मुम्बई/उदयपुर/मुम्बई मार्गों पर पचालन की आवृत्तियों को 14 से 7 फ्लाइट प्रति सप्ताह और मुम्बई/जयपुर/मुम्बई मार्गों पर 10 से 7 फ्लाइट प्रति सप्ताह कम कर दिया गया था। मुम्बई से होकर जोधपुर को/से और उदयपुर के प्रचालन की आवृत्ति को प्रति सप्ताह 4 से 7 फ्लाइटें और दिल्ली तथा जयपुर से 3 से 7 फ्लाइटें प्रति सप्ताह वृद्धि कर दी गई थी। दिनांक 29 अक्तूबर 2000 से प्रभावी शरद कालीन अनुसूची में दिल्ली/उदयपुर और दिल्ली/जयपुर के बीच प्रचालन की आवृत्ति में पूर्व में से 7 फ्लाइट प्रति सप्ताह से 10 फ्लाइट प्रति सप्ताह की वृद्धि की गई है।

पटना विमानपत्तन पर अनियमितताएँ

5157. श्री नागमणि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च-स्तरीय टीम ने जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, पटना के रखरखाव में हुई अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) जी, नहीं। यद्यपि एक विमान के अवतरण के समय धावन पथ पर कुत्ते के होने की घटना की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जांच की गई थी। प्रभावी सर्वेक्षण की स्पष्ट कमी को देखते हुए पटना में पद स्थापित विमानपत्तन निदेशक, उप महाप्रबन्धक (विमान यातायात नियंत्रण) को स्थानांतरित और निरीक्षक को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को वापिस भिजवा दिया गया था और हवाई अड्डे की चारदीवारी को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई।

[अनुवाद]

सेना में महिला अधिकारी

5158. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना में कार्य कर रही महिला एस.एस.सी. अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपनी पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेना की नौकरी छोड़ दी है;

(ग) क्या उनके कार्य निष्पादन से सम्बन्धित कतिपय मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि के मामले में कोई नीति बनाई गई है;

(घ) क्या महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) इस समय सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त 1089 महिला अफसर हैं।

(ख) अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त 99 महिला अफसरों ने पांच वर्ष की सेवा के उपरान्त सेना सेवा छोड़ दी।

(ग) से (ङ) सेना चिकित्सा कोर, सेना दन्त चिकित्सा कोर तथा सैन्य परिचर्या सेवा में महिला अफसरों की भर्ती स्थायी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन दोनों ही आधारों पर की जाती है। अन्य चुनिन्दा शाखाओं में महिला अफसरों की भर्ती अल्पकालीन सेवा कमीशन के तहत आरम्भिक तौर पर पांच वर्ष के लिए की जाती है जिसे उनकी उपयुक्तता के अध्यधीन अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

महिलाओं को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान किए जाने की योजना वर्ष 1992 में आरम्भ की गई थी तथा शुरू में केवल पाँच वर्ष के लिए कमीशन प्रदान किया गया था। तथापि, वर्ष 1996 में महिला अफसरों के लिए कमीशन उन महिला अफसरों के सम्बन्ध में 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिए जाने योग्य पर दिया गया जो सेवा विस्तार का विकल्प देती हों और जिन्हें अफसरों के बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाया जाता है।

मुम्बई-कालीकट के बीच उड़ानों की अनुपलब्धता

5159. श्री के. मुरलीधरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई-कालीकट सेक्टर में शाम को उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण विमान यात्रियों को ही रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सेक्टर में विशेषकर शाम के समय, नई उड़ानें कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय, केवल इण्डियन एयरलाइन्स और जेट एयरवेज मुम्बई से निम्नलिखित प्रस्थान

समय के साथ मुम्बई-कालीकट सैक्टर पर अनुसूचित सेवाओं का प्रचालन मुम्बई से करती हैं :

उड़ान संख्या	आवृत्ति	प्रस्थान समय (मुम्बई से)
इण्डियन एयरलाइन्स		
आईसी-657	दैनिक	1140
आईसी-597	सोम, बुध और शुक्र	1330
आईसी-595	मंगल और शनि	1330
आईसी-593	वीर और रवि	1210
जेट एयरवेज		
9 डब्ल्यू-423	दैनिक	1230

(ख) और (ग) एयरलाइनों द्वारा सभी उड़ानों के प्रचालन के लिए समय का निर्धारण उनके स्वंय के द्वारा वाणिज्यिक लागत और प्रचालनात्मक साध्यता के आधार पर किया जाता है।

दक्षिण रेलवे के पूर्व महाप्रबन्धक के खिलाफ आरोप

5160. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के पूर्व महाप्रबन्धक के खिलाफ लगे आरापों की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और जाँच की मौजूदा स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) रेलवे श्री एन. कूथिवासन भूतपूर्व महाप्रबन्धक, दक्षिण रेलवे के खिलाफ चार प्रथम सूचना रिपोर्टों के विवरण प्राप्त हुए हैं। ये आरोप उनके ज्ञात स्रोत्रों से अधिक परिसम्पत्ति रखने और 1994 से 1998 की अवधि के दौरान उनके द्वारा कतिपय प्राइवेट ठेकेदारों को कुछ ठेके देने में पक्षपात करने, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को हानि हुई, के सम्बन्ध में हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच चल रही है।

[हिन्दी]

पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव

5161. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाश्चात्य संस्कृति के आगमन से गत कुछ वर्षों के दौरान भातीय संस्कृति में आए बदलाव के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि हजारों वर्षों के इतिहास वाली भारतीय संस्कृति के पास अपनी विशिष्टता कायम रखने के लिए मूलभूत लचीलापन और जीवन क्षमता है।

आई.बी.पी. का विनिवेश

श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक आई.बी.पी. के विनिवेश के सम्बन्ध में निर्यण लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) आई.बी.पी. कम्पनी लि. (आई.बी.पी.) में भारत द्वारा धारित इक्विटी में से केवल 26 प्रतिशत सरकार द्वारा अपने पास रखी जाएगी और शेष का विनिवेश एक कार्यनीतिक भागीदार के पक्ष में कर दिया जाएगा। ऐसे भागीदार को प्रबन्धन नियंत्रण का अधिकार भी होगा। विनिवेश की प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से होनी चाहिए।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर की निर्धारित उड़ान को रद्द किया जाना

5163. श्री के.पी. सिंह देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भुवनेश्वर की निर्धारित उड़ानों को बार-बार रद्द किए जाने से उस शहर को जाने वाले पर्यटकों को अनेक असुविधाओं व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। 29.10.2000 से प्रभावी शतिकालीन समयावली में, एलायंस एयर ने भुवेनश्वर के लिए अपनी विमान सेवाओं को निम्न प्रकार से पुनः अनुसूचित किया है :

- दिल्ली/भुवनेश्वर/विजाग और वापसी जिससे दिल्ली/ भुवनेश्वर विजाग/चेन्नई और वापसी का प्रचालन किया जा सके (प्रति सप्ताह 4 बार)
- कलकत्ता/भुवनेश्वर/विजाग/चेन्नई और वापसी जिससे कलकत्ता/ भुवनेश्वर/विजाग और वापसी सेवा का प्रचालन किया जा सके (प्रति सप्ताह 4 बार)

इण्डियन एयरलाइन्स/एलायंस एयर की अन्य विमान सेवाएँ निम्न प्रकार हैं :

- दिल्ली/भुवनेश्वर/दिल्ली (सप्ताह में 3 बार)
- कलकत्ता/भुवनेश्वर/हैदराबाद और वापसी (प्रति सप्ताह 3 बार)
- मुम्बई/रायपुर/भुवनेश्वर/मुम्बई (प्रति सप्ताह 3 बार)

मार्ग संवितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के आधार पर जिसमें कुछ विशिष्ट श्रेणी/मार्गों में कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है, एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तन पर सुरक्षा सम्बन्धी विधान

5164. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विमानपत्तनों पर सुरक्षा के सम्बन्ध में विधान का कोई प्रारूप तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व के विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबन्ध के मामले में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित विधान को कब तक संसद में पेश किए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क), (ख) और (ङ) एक नया व्यापक नागर विमानन अधिनियम तैयार किया जा रहा है। नए अधिनियम में नागर विमानन सुरक्षा पर भी एक अध्याय होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपारम्परिक गैस क्षेत्रों में किए गए खोज कार्य

5165. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में अपारम्परिक गैस क्षेत्रों में कतिपय खोज की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खोज कार्यों से कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश के कुछ नए अपारम्परिक गैस क्षेत्रों में खोज कार्य शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1. फिलहाल आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) के लिए अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड डी.) क्रियाकलाप नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार चला रहा है :

(i) झारखण्ड

वर्ष	पर्वतपुर ब्लाक में आर. एण्ड डी. कूप
1997-98	झरिया-1
1998-99	झरिया-2
1999-2000	झरिया-3 व 4
2000-2001	झरिया 2, 3 व 4 कूपों का परीक्षण और झरिया-1 का पुनः परीक्षण

(ii) पश्चिम बंगाल

भूवैज्ञानिक क्षेत्र कार्य वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उत्तरी रानीगंज के पश्चिमी भाग में किया गया है।

पश्चिम बंगाल में रानीगंज में एक ब्लाक ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। इस कम्पनी द्वारा 1996-97 के दौरान सी.बी.एम. के लिए परीक्षण करने हेतु दो पतले छिद्रों का बेधन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में कुछ और ब्लाकों का पता लगा है और सभी सम्बन्धित राज्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर अन्वेषण और दोहन के लिए इन्हें वैश्विक बोली के माध्यम से प्रास्तविक किए जाने का प्रस्ताव है।

गोदावरी रेल दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

5166. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद मण्डल में धानपुर और इप्पागंडा स्टेशनों के बीच 4 जून, 1999 को हुई गोदावरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के कारणों की जांच कराई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) रेल सुरक्षा आयुक्त, दक्षिणी मध्य परिमण्डल, सिकंदराबाद की जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार पूर्ववर्ती अथवा इस दुर्भाग्यशाली गाड़ी के गुजरने के दौरान कि.मी. 300/15-13 पर अप रेलपथ की बायी पटरी में सतत झली पटरियों में एक श्रांतिपूर्ण अल्यूमिनो-थर्मिक झलाई की विफलता के कारण गाड़ी पटरी से उतरी थी।

पटरियों अथवा झलाई में दरारों का पराश्रव्य दोष संसूचक प्रणाली, जिसकी कारगरता का इन्दिरा गाँधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम के डॉ. बलदेव राज और अन्य अधिकारियों के एक तकनीकी विकास दल द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, द्वारा पता लगाया जाता है। माल डिब्बों के दोषग्रस्त पहियों, जो पटरियों पर पड़ने वाले दबाव में वृद्धि करते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनमें खराबी आ जाती है, का पता लगाने और तत्पश्चात हटाने के लिए उपकरणों के विकास हेतु भी कार्रवाई आरम्भ की गई है। नाजुक मौसम परिस्थितियों के दौरान रेलपथों की गश्त द्वारा झलाई और पटरी की दरारों का पता लगाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

5167. श्री उत्तमराव पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों (कंपनीवार) के नाम क्या हैं; और

(ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्य में रसोई गैस बाटलिंग के कितने संयंत्र (कंपनीवार) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों के 125 एल.पी.जी. भरण संयंत्र हैं जिनकी कुल भरण क्षमता 5196 टी.एम.टी.पी.ए. है। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा 9वीं योजना के अन्त तक योजनागत भरण संयंत्रों की राज्यवार संख्या विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

1.1.0.2000 की स्थिति के अनुसार भरण संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य	भरण संयंत्रों की संख्या	भरण क्षमता (टी.एम.टी.पीए.)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	9	408
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	5	113
बिहार	4	179
दिल्ली	2	220
गोवा	1	22
गुजरात	8	432
हरियाणा	5	330
हिमाचल प्रदेश	1	22
जम्मू और कश्मीर	2	36
कर्नाटक	7	256
केरल	5	168
मध्य प्रदेश	5	232
महाराष्ट्र	14	793
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	0
उड़ीसा	3	118
पंजाब	4	278
राजस्थान	8	184
सिक्किम	1	5
तमिलनाडु	12	453
त्रिपुरा	1	5
उत्तर प्रदेश	18	572
पश्चिम बंगाल	9	358
योग	124	5184
संघ शासित प्रदेश		
अंडमान और नीकोबार	0	0
चंडीगढ़	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	0	0
लक्षदीप	0	0
पांडिचेरी	1	12
योग	1	12
अखिल भारत	125	5196

विवरण-II

भरण संयंत्रों की राज्यवार संख्या और नौवीं योजना (शेष) के अंत तक योजनागत क्षमता

राज्य	योजनागत नए भरण संयंत्रों की संख्या	भरण क्षमता में वृद्धि (टी.एम.टी.पी.ए.)
आन्ध्र प्रदेश	6	196
अरुणाचल प्रदेश	1	5
असम	3	34
बिहार	6	142
दिल्ली	0	0
गोवा	1	10
गुजरात	3	78
हरियाणा	2	32
हिमाचल प्रदेश	2	20
जम्मू और कश्मीर	2	33
कर्नाटक	7	218
केरल	1	66
मध्य प्रदेश	8	264
महाराष्ट्र	16	332
मणिपुर	1	10
मेघालय	1	5
मिजोरम	1	5
नागालैंड	1	5
उड़ीसा	2	32
पंजाब	2	54
राजस्थान	6	176
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	9	180
त्रिपुरा	0	0
उत्तर प्रदेश	16	542
पश्चिम बंगाल	5	164
योग	102	2623
संघ शासित प्रदेश		
अंडमान और निकोबार	1	5
चंडीगढ़	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	0	0
लक्षदीप	0	0
पांडिचेरी	0	0
योग	1	5
अखिल भारत	103	2628

[अनुवाद]

रियाद से एयर इंडिया की उड़ानें

5168. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से सऊदी अरब में रह रहे आंध्र प्रदेश के 4 लाख श्रमिकों की सहायता करने के लिए रियाद और दम्माम से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की उड़ाने आरम्भ करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाही की गयी है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय एयर इंडिया रियाद और मुम्बई के बीच प्रति सप्ताह 6 उड़ानों तथा दम्माम और भारत के बीच प्रति सप्ताह 7 उड़ानों का प्रचालन कर रही है जिसमें से प्रत्येक 3 उड़ानें हैदराबाद में सुविधाजनक सम्पर्क प्रदान करती हैं। सभी आगे जाने के लिए होने वाले सभी औपचारिकताएं इन उड़ानों पर हैदराबाद में ही पूरी की जाती हैं। विमानक्षमता की कमी के कारण एयर इंडिया इस समय हैदराबाद से इन स्टेशनों को सीधी उड़ानों को प्रचालन करने की स्थिति में नहीं है।

[हिन्दी]

विमान की बिक्री

5169. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या नागर विमानन मंत्री विमान की बिक्री के बारे में 4.4.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के उन 32 विमानों के जो चल नहीं रहे हैं खड़े रहने के क्या कारण हैं और वे कब से नहीं चल रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वार इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों को बेचने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, और दो विमानों की बिक्री से सम्बन्धित मैसर्स कैरी एयर लीजिंग एविएशन लिमिटेड के साथ किए गए समझौते की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स के 32 विमानों में से 28 एग्रो एविएशन विमानों का निपटान कर दिया गया है। 1990/1993 से चार डोर्नियर डी ओ-228 विमान बेकार पड़े हैं। इन विमानों की बिक्री के लिए टैण्डरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। दो विमानों की खरीद के लिए एयन इण्डिया ने मैसर्स कैरी एयर लिजिंग एविएशन लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। मैसर्स कैरी एयर लिजिंग एविएशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित समय के भीतर खरीद मूल्य का भुगतान न किए जाने के कारण एयर इण्डिया ने इस करार को समाप्त कर दिया है।

[अनुवाद]

ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क

5170. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितना लम्बा ऑप्टीकल फाइबार केबल नेटवर्क बिछाया गया;

(ख) महाराष्ट्र में अभी कौन-कौन से रूटों पर ऑप्टीकल फाइबर केबल नेटवर्क केबल बिछाया जाना शेष है; और

(ग) शेष क्षेत्रों में इसे कब तक बिछा दिए जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) महाराष्ट्र में कुल 621 मार्ग कि.मी. में ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाया जा चुका है।

(ख) और (ग) परिचालनिक आवश्यकता वाले मार्गों और धन की उपलब्धता के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिछाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 621 मार्ग कि.मी. जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल पहले से ही मौजूद है, के अलावा, अन्य 1691 मार्ग कि.मी. में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य स्वीकृत हो गया है और प्रगति पर है।

मदुरै में कार्गो सुविधाएँ

5171. डॉ. वी. सरोजा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै में कार्गो सुविधाएँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सभी हवाई अड्डों पर अन्तर्देशीय कार्गो को सम्बन्धित एयरलाइनों द्वारा हैंडल किया जाता है जिनके पास अपनी स्वयं की कार्गो हैंडलिंग सुविधाएँ होती हैं। एयरलाइनें इस प्रकार की सुविधाएँ अपने प्रचालनात्मक आवश्यकताओं और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर प्रदान करती हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास

5172. डा. बी.बी. रमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना क्षेत्र में करीम नगर, महबूबनगर, आदिलाबाद आदि जैसे रेलवे स्टेशनों का अन्य रेलवे स्टेशनों की तुलना में विकास नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तेलंगाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कराने के लिए क्या कार्यवाही प्रस्तावित है और यात्री सुविधाओं के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेलंगाना क्षेत्र सहित सभी रेलवे स्टेशनों में फील्ड इकाइयों द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षण किए जाते हैं। मौजूदा यात्री सुविधाओं की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है तथा कमियों को दूर कर दिया जाता है। स्टेशनों पर यातायात की वृद्धि के परिणामस्वरूप अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में निधियों की उपलब्धता तथा अन्य कार्यों की प्राथमिकता के मद्देनजर रेलवे के वार्षिक निर्माण कार्य कार्यक्रम में किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

अपारम्परिक स्रोत्रों से धनराशि जुटाना

5173. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री सुबोध राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में 'अपारम्परिक स्रोत्रों' से 1000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के लिए गैर-परम्परागत संसाधनों से 750 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें, आप्टिकल फाइबर केबलों को बिछाने के मार्गाधिकार के उपयोग से 500 करोड़ रुपये, भूमि और नभ क्षेत्र के वाणिज्यिक दोहन से 150 करोड़ रुपए और रेलवे परिसरों पर और चल स्टाकों पर वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार से 100 करोड़ रुपए शामिल हैं।

रेलवे ने आय के सृजन के लिए रेलपथों के साथ-साथ आप्टिकल फाइबर केबल बिछा कर राष्ट्रव्यापी ब्राड बैंड दूरसंचार तथा मल्टीमीडिया नेटवर्क के निर्माण के लिए निगम का निर्माण किया है। निगम के लिए व्यावसायिक योजना बनाने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया गया है। यह सलाहकार रेलों के मार्गाधिकार तथा अन्य दूरसंचार परिसम्पत्तियों का मूल्यकांन भी करेगा। निगम के वित्तीय संरचना के निर्धारण के पश्चात् इस वित्तीय वर्ष में रेलवे द्वारा इसके मूल्य के एक भाग की वसूली की जाएगी। जहाँ तक भूमि और नभ क्षेत्र के वाणिज्यिक दोहन का सम्बन्ध है, वाणिज्यिक विकास के लिए अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई है। आमदनी के आंकड़ों की जानकारी वित्तीय वर्ष के अन्त में ही पता चल सकेगी।

सिकन्दराबाद छावनी में अनियमितताएँ

5174. श्री राममोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवास और अन्य सिविल निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड में हुई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) क्या बोर्ड क्षेत्र में कुल मकानों की संख्या से सम्बन्धित कोई सर्वेक्षण कराया गया है और तदनुसार सरकारी रिकार्डो में सुधार किया गया है;

(ग) क्या बोर्ड क्षेत्र क निवासियों से सभी कर नियमित रूप से वसूल किए जा रहे हैं;

(घ) क्या विमानों के उड़ान भरने और उतरने में इमारतों की ऊँचाई से उत्पन्न हो रही बाधाओं से सम्बन्धित कोई आपत्तियाँ हैदराबाद एयरपोर्ट से प्राप्त की गई हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या सरकार छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने पर विचार कर रही है जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी नहीं है;

(छ) क्या कर्मचारियों द्वारा इंजन ऑयल खरीद में एक करोड़ रुपए से अधिक राशि की धोखाधड़ी की गई और बोर्ड के अधिकारियों ने बोर्ड कर्मचारियों के कदाचार के बारे में सी.बी.आई. द्वारा जाँच करने की माँग की; और

(ज) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) जी, हाँ। दिसम्बर, 1999 में मुख्य सम्पदा अधिकारी, सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और छावनी के विभिन्न भागों में आंशिक या पूर्ण रूप में अनधिकृत 242 इमारतों का पता लगया गया था। सिकन्दराबाद सहित छावनी बोर्डों द्वारा सम्पत्ति कर का आकलन और संग्रहण भी अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार नियमित रूप से किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कुछ ऐसी सम्पत्तियों की सूची भेजी थी, जिनसे रनवे सं. 27 के बढ़ाए गए भाग पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने में समस्याएँ पैदा होने की सम्भावना है। बाद में राज्य सरकार ने शमशाबाद में एक नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए वैकल्पिक स्थान का प्रस्ताव किया है। अतः बोर्ड द्वारा विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।

(च) जी, हाँ। एक नया कानून बनाने के लिए एक व्यापक-विधेयक पेश किए जाने का प्रस्ताव है।

(छ) और (ज) जी, हाँ। जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, मुख्यालय दक्षिण कमान, पुणे द्वारा गठित समिति के निष्कर्षों के आधार पर, सरकार द्वारा केंन्द्रीय जाँच ब्यूरो से जाँच शुरू करने का अनुरोध किया गया था। यह जाँच अभी चल रही है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटना

5175. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 नवम्बर, 2000 को ढेनथा रेलवे स्टेशन के निकट सूरत-भुसावल रेलवे लाइन पर कुछ रेल यात्री एक रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करने के कारण मारे गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लाइन पर यात्रियों को रेलगाड़ियों में जगह की अनुपलब्धता के कारण रेलगाड़ियों की छत पर बैठना पड़ता है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार इन रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) इन सवारी डिब्बों की संख्या में कब तक वृद्धि कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :(क) और (ख) जी, हाँ। गुजरात बिजली बोर्ड की ट्रांसमिशन लाइन जो टूट कर सूरत-भुसावल लाइन पर गाड़ी सं. 76 पर गिर गई थी, से बिजली का करंट लगने के कारण गाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले चार यात्री मारे गए तथा सात घायल हुए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) परिचालनिक व्यवहार्यता, सवारी डिब्बों की उपलब्धता तथा यातायात के औचित्य के दृष्टिगत गाड़ियों के भार में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

मालडिब्बों की खरीद

5176. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई क्षेत्रों में रेल के माल-डिब्बों की बढ़ती माँग की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान सरकार ने कम्पनीवार कितने माल-डिब्बे खरीदे हैं;

(घ) क्या निकट भविष्य में माल-डिब्बों की माँग बढ़ जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो माल-डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) श्रीमान, रेलवे महत्त्वपूर्ण और गैर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मालडिब्बों की माँग को पूरा करने में सक्षम है। यद्यपि मालडिब्बों की माँग बाजार शासित होती है तथापि मालडिब्बों की माँग का आकलन रेल उपयोगकर्ता महत्त्वपूर्ण और गैर-महत्त्वपूर्ण दोनों द्वारा करना एक सतत् प्रक्रिया है जो बड़े रेल

उपयोगकर्ताओं और उपयोगकर्ता मंत्रालय के परामर्श से वार्षिक और पचवर्षीय आधार पर की जाती है। मध्यवर्ती आशोधन, यदि अपेक्षित हो, आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। मालडिब्बों का प्रापण ऐसे आकलन के अनुसार किया जाता है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक कम्पनी-वार माल डिब्बों का प्रापण इस प्रकार है :

(आंकड़े चौपहिया इकाइयों में)

क्र. सं.	मालडिब्बा निर्माता	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	
					पूर्ववर्ती वर्ष की छुटपुट मात्र सहित पिछले वर्ष में कुल लदान	नवम्बर, 2000 तक प्रापण
1.	भारत वैगन इंजी. कं. लि. मुजफ्फरपुर	1342.5	1230	577.5	1192.5	690
2.	भारत वैगन इंजी. कं. लि. मोकामा	1195	895	502.5	1747.5	532.5
3.	ब्रेथवेट एण्ड कं. लि., कोलकाता	2697.5	2567.5	2040	2527.5	1235
4.	बर्न स्टैंडर्ड कं. लि. बर्नपुर	1870	2042.5	1190	2467.5	900
5.	बर्न स्टैंडर्ड कं. लि. हवड़ा	1775	1807.5	1782.5	1772.5	1037.5
6.	जेस्सपूस एण्ड कं. लि. कोलकाता	157.5	407.5	187.5	655	157.5
7.	सदर्न स्ट्रक्चरल लि. चैन्नै	380	475	370	502.5	92.5
8.	बिज रूफ, कोलकाता	0	0	52.5	305	30
9.	सिमको बिरला लि. भरतपुर, राजस्थान	4412.5	3012.5	1115	1817.5	360
10.	टैक्समैको लि. कोलकाता	5470	4245	2192.5	1995	1232.5
11.	माडर्न इंडस्टीज साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश	1325	1032.5	1457.5	1160	335
12.	हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पो. कोलकाता	4315	3190	1012.5	3265	535
13.	बेस्को लि. कोलकाता	540	1255	1247.5	2262.5	637.5
14.	टीटागढ़ स्टील्स लि. कोलकाता	412.5	1032.5	737.5	2642.5	1062.5
15.	बिन्नी इंजी. चैन्नै	70	27.5	57.5	27.5	25
16.	श्री रंगा, कोयम्बतूर	0	2.5	2.5	0	0
17.	भारत गोल्ड माइन्स लि. कोलार	0	0	7.5	97.5	25
	कुल उद्योग	25962.5	23222.5	14532.5	24437.5	8887.5
	रेलवे कारखाने	1902.5	2012.5	1930	2000	1197.5
	जोड़ उद्योग	27865	25235	16462.5	26437.5	10085

* 1817.5 चौपहिया इकाइयों में से 662.5 चौपहिया इकाइयां कनकोर संविदा के प्रति निष्पादन पर आदेश के लिए आरक्षित हैं।

** 3265 चौपहिया इकाइयों में से 1687.5 चौपहिया इकाइयाँ कनकोर संविदा के प्रति निष्पादन पर आदेश के लिए आरक्षित हैं।

विदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की तैनाती

5177. **श्रीमती रानी चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके सम्बद्ध संगठनों के अधीन विदेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की तैनाती से सम्बन्धित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) 1.1.1996 की तिथि के अनुसार उनके मंत्रालय और सम्बद्ध संगठनों से संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके सम्बद्ध संगठनों/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्ति तैनात किए गए और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक, जो सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित है।

ए.सी. 2-टियर कोचों की क्षमता में वृद्धि

5178. **श्री चिंतामन वनगा :**
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोन में उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें सरकार का विचार ए.सी. 2-टियर और प्रथम श्रेणी के कोचों की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों/जोनों से ए.सी./प्रथम श्रेणी के कोचों में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा कया है और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ए.सी. 2 टियर और प्रथम श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जी हाँ। गाड़ी में ए.सी. 2 टियर/प्रथम श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात के स्वरूप, सवारी डिब्बों की उपलब्धता और परिचालनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

स्क्रैग टैस्टिंग मशीनों का आयात

5179. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इंग्लैंड से काफमऊ की स्क्रैग टैस्टिंग मशीनों के आयात में व्यर्थ का निवेश किया है;

(ख) यदि हाँ, तो आपूर्ति आदेश किस तिथि को प्रदान किया और उक्त मशीनों की कीमत क्या है;

(ग) इस व्यर्थ निवेश के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे व्यर्थ के निवेश के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र/छावनियां

5180. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोई सैन्य छावनियां/प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो विशेषकर, जम्मू और कश्मीर के सन्दर्भ में तत्सम्बन्धी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों को स्थापित किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इनमें से प्रत्येक केन्द्र को कब तक स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तेल शोधक कारखानों का विस्तार

5181. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के मौजूदा तेल शोधक कारखानों का विकास और विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में राज्यवार अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जानी है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं योजना के दौरान कुछ तेल शोधक कारखानों का विकास और विस्तार करने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियों की वर्तमान शोधन क्षमता और अनुमानित परियोजना लागत के साथ उनकी विस्तार परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विस्तार किए जाने के लिए प्रस्तावित रिफाइनरियां	वर्तमान क्षमता (एमएमटीपीए)	विस्तार क्षमता (एमएमटीपीए)	विस्तार के बाद क्षमता (एमएमटीपीए)	अनुमोदित/ अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1.	आईओसी, बरौनी, बिहार	4.20	1.80	6.0	1,803.00
2.	आईओसी, पानीपत, हरियाणा	6.00	6.00	12.0	3,365.00
3.	सीपीसीएल, चेन्नई, तमिलनाडु	6.50	3.00	9.5	2,360.38
4.	केआरएल, कोच्चि, केरल	7.50	6.00	13.5	4,319.80

(ग) और (घ) 9वीं योजना के दौरान पूरे किए जाने के लिए तेल रिफाइनरी के निर्धारित विस्तारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सा.क्षे.उ. रिफाइनरी विस्तार परियोजनाएँ

	क्षमता मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) में
आईओसी, बरौनी विस्तार (चरण-1)	0.90
एचपीसी, विसाख विस्तार	3.00
आईओसी, कोयाली विस्तार	3.00
आईओसी, मथुरा विस्तार	0.50
संयुक्त उद्यम रिफाइनरी विस्तार परियोजनाएँ	
एमआरपीएल, मंगलौर	6.00

ऊपर वर्णित सभी 5 रिफाइनरी क्षमता विस्तार परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी हैं।

घरेलू मार्गों पर नई एयरलाइनें

5182. श्री नरेश पुगलिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू मार्गों पर नई एयरलाइनें आरम्भ करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अभ्यर्थियों को घरेलू मार्गों पर नई एयरलाइनें आरम्भ करने के लिए अनापत्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई एयरलाइनें आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने के लिए क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गयी हैं;

(च) क्या नई एयरलाइनें आरम्भ करने के लिए अनापित्त पत्र देने में कोई छूट दी गई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) एयरलाइन प्रचालन आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय देश में अनुसूचित विमान सेवाओं के प्रचालन क लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के लिए दो नई निजी कम्पनियों, अर्थात, मैसर्स क्राऊन एक्सप्रैस प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अहमदाबाद एविएशन एण्ड एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्राप्त आवेदनों पर, इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा रहा है। निम्नलिखित 4 आवेदन सूचना/स्पष्टीकरण के अभाव में लम्बित पड़े हैं :

(i) मैसर्स श्री राज ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स; (ii) मैसर्स रॉयल चिनार एयरलाइंस; (iii) मैसर्स एशियन एयरलाइंस; (iv) अरुणाचल प्रदेश सरकार –

इसके अतिरिक्त, मैसर्स स्टालियन एयरलाइंस को जिसे 8.4.1997 को अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया था, अनापत्ति प्रमाणपत्र में समयावधि में वृद्धि माँगी है जिसकी जाँच भी चल रही है। कुछ शर्तों के आधार पर 29.2.2000 को मैसर्स मोदीलुफ्त को भी अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया है।

(ङ) सीएआर खण्ड 3 सीरिज सी भाग 2 और 3, एआईसी संख्या 4/1998 और विमान परिवहन सलाहकार परिपत्र 1/1997 में इस सम्बन्ध में नियमों और विनियमों की व्यवस्था की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप

5183. श्रीमती हेमा गमांग : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खुदरा विक्रय केन्द्र डीलरों और रसोई गैस वितरकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से राज्यवार कितने लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अधिक डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) 1 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में 17925 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 6330 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं। इनमें से 1706 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 1038 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों की हैं। अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

बर्द्धित माँग को पूरा करने के लिए, 927 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 2078 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विपणन योजना 1996-98 में सम्मिलित की गई हैं। व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर और अधिक डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की जाएंगी।

दिल्ली से भुज के लिए सीधी उड़ान

5184. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से भुज के लिए सीधी उड़ान नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भुज में नई दिल्ली-जोधपुर-मुम्बई उड़ानों के ठहराव की व्यवस्था करने पर सरकार द्वारा विचार किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) मार्ग संवितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन के अनुसार जिसमें मार्गों को कुछ विशिष्ट श्रेणी में न्यूनम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है, एयरलाइन ऑपरेटर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

व्हीकल फैक्ट्री, द्वारा खरीदारी

5185. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रक्षा मंत्री व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर द्वारा सामग्रियों की खरीदारी के बारे में 24 फरवरी, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री द्वारा 1996 से 2000 तक की अवधि के दौरान 1417.07 करोड़ रु. मूल्य की सामग्री खरीदी गई थी;

(ख) उक्त सामग्री में से कितनी धनराशि के कलपुर्जे ऐसे हैं जिन्हें प्रयोग में लाया गया है;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी अन्तरण सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी 'शक्तिमान', 'जोंगा' इत्यादि जैसे पुराने वाहनों के लिए कलपुर्जे खरीदे गए;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर का निगमीकरण करने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो इस पर निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) वाहन निर्माणी, जबलपुर द्वारा 1995-96 व 1999-2000 के बीच 1417.07 करोड़ रुपए मूल्य की खरीद की गई थी। इसमें पुरानी पीढ़ी के वाहनों तथा अतिरिक्त इंजनों के उत्पादन के लिए अपेक्षित सामग्री (अतिरिक्त कलपुर्जे नहीं) शामिल थी। पुरानी पीढ़ी के वाहनों के लिए सामग्री की अधिप्राप्ति नई पीढ़ी के वाहनों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् भी जारी रही क्योंकि प्रयोक्ता से पुरानी पीढ़ी के वाहनों की मांग नई पीढ़ी के वाहनों के उत्पादन की स्थापना तक बनी रही।

इस समय वाहन निर्माणी जबलपुर के निगमीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाएँ

5186. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न रेल-स्टेशनों पर यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या महत्त्वपूर्ण रेल-स्टेशनों पर सामान्य रूप से और हजरत निमामुद्दीन स्टेशन पर विशेष रूप से किसी भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली के विभिन्न रेल-स्टेशनों पर चौबीसों घंटे चिकित्सकों को तैनात करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रेलें मूल रूप से रेलवे लाभार्थियों को सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराती हैं। बहरहाल, सौहार्द के प्रतीक के रूप में आपातकाल में यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं। भारतीय रेल के प्रत्यक रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक सहायता बक्सों की व्यवस्था है। इसके अलावा, प्रत्यक रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर स्टेशनों के निकट उपलब्ध सभी चिकित्सा सुविधाओं की एक सूची अपने पास रखता है। इस सूची में रेलवे डॉक्टरों और निजी डॉक्टरों, दोनों के नाम और निकटतम अस्पतालों के नाम उनके

पते और टेलीफोन नम्बरों के साथ शामिल होते हैं। इस सूची को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

आपातकाल के दौरान, स्टेशन मास्टरों को इस प्रयोजन के लिए 'ऑन काल' रेलवे चिकित्सा अधिकारी अथवा आपातकालीन चिकित्सा सहायता की अपेक्षा रखने वाले किसी यात्री की देखभाल के लिए उपर्युक्त सूची से यथाशीघ्र उपलब्ध गैर-रेलवे डॉक्टर को बुलाने के अनुदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, अधिक दवाइयों के साथ संवर्धित प्राथमिक सहायता बक्से मुहैया कराने के लिए 158 आदर्श 'ए' स्टेशन निर्धारित किए गए हैं जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

नौ रेलवे स्टेशनों यथा छतरपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटीएम), मुम्बई सेंट्रल, हवड़ा, सियालदाह, नई दिल्ली, गोरखपुर, गुवाहाटी, चेन्नई और सिकंदराबाद पर अनन्य कैमिस्ट दुकानों की व्यवस्था करने की एक पायलट परियोजना पर विचार किया जा रहा है।

इन कैमिस्ट दुकानों के अनुज्ञप्ति-धारकों से व्यस्त घंटों के दौरान उनकी स्थापनाओं में एक अर्हक डॉक्टर की व्यवस्था कराने की आशा है।

केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर बकाया विमान-यात्रा प्रभार

5187. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1995 में केरल के तत्कालीन पद नामित मुख्यमंत्री की विशेष विमान द्वारा दिल्ली से त्रिवेन्द्रम यात्रा, जिसकी अनुमति प्रधानमंत्री द्वारा दी गई थी, के यात्रा प्रभारों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितनी बकाया राशि की वसूली की जानी है; और

(घ) इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिल्ली-तिरुवनंतपुरम सेक्टरों में 21.03.1995 को हवाई यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। केरल सरकार ने इस प्रयोजनार्थ शुरू में 14.69 लाख रुपए की राशि का हवाई यात्रा बिल निर्मुक्त करने के लिए मन्जूरी जारी की थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा बाद में यह मन्जूरी वापस ले ली गई थी। राज्य सरकार को अब अपने निर्णय की समीक्षा करने और देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में कदाचार

5188. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को पुस्तकों और अन्य प्रकाशनों की खरीद के लिए प्रतिवर्ष कितनी अनुदान राशि प्रदान की जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस खरीद में हो रहे कदाचार, जिसमें इस लाइब्रेरी का वर्तमान निदेशक स्वयं भी लिप्त है, की जानकारी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी समिति द्वारा कोई जाँच कराई गई है;

(घ) यदि हाँ, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी;

(च) क्या सरकार का विचार जांच होने से पहले वर्तमान निदेशक को वहां से स्थानांतरित करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पुस्तकों और प्रकाशनों की खरीद के लिए अलग से कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को मिले योजनागत अनुदान में से, लाइब्रेरी ने गत 5 वर्षों के दौरान पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों की खरीद पर निम्नलिखित राशि व्यय की है :

1995-96	43,29,915.00
1996-97	44,26,581.00
1997-98	23,22,933.00
1998-99	52,18,654.00
1999-00	34,98,855.00

(ख) जी, नहीं। सरकार को पुस्तकों एवं प्रकाशनों की खरीद के मामले में वर्तमान निदेशक द्वारा तथाकथित कदाचार की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) से (छ) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

प्रमुख पत्तनों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु

5189. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों में सेवानिवृत्ति-आयु सम्बन्धी निर्णय लागू करने के दो वर्ष पश्चात् इसे 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का नीतिगत-निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह निर्णय एक समान रूप से सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के सभी उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों--जिनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारी भी शामिल हैं - में भी लागू किया गया है अथवा मात्र प्रमुख पत्तनों पर ही अलग से थोपा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो सेवानिवृत्ति-आयु के सम्बन्ध में प्रमुख पत्तन न्यास बोर्डों के संकल्प का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सेवानिवृत्ति-आयु के सम्बन्ध में जिन प्रमुख पत्तनों के अपने नियम नहीं हैं लेकिन उन्होंने सरकार के नियमों को अंगीकार किया हुआ है, के अधिकारियों और कर्मचारियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) महापत्तन न्यास बोर्डों ने अपनी फालतू जनशक्ति और अपने प्रचालनात्मक खर्च को कम करने की दृष्टि से महापत्तनों में सेवानिवृत्ति की आयु को पुनः कम करने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने की पहल महापत्तन न्यासों द्वारा की गई है चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और सरकारी निकायों में इस प्रकार के निर्णय लिए गए हों अथवा नहीं।

(ग) ब्यौरे संगग्न विवरण में दिए गए हैं

(घ) इस मामले में कलकत्ता पत्तन न्यास और पारादीप पत्तन न्यास के अपने विनियम नहीं हैं। तथापि, कलकत्ता पत्तन न्यास बोर्ड का संकल्प राज्य के राजपत्र में अधिसूचित हो चुका है। पारादीप पत्तन के सम्बन्ध में बोर्ड के संकल्प की सूचना उसके सभी कर्मचारियों को दे दी गई है।

विवरण

सेवानिवृत्ति की आयु के सम्बन्ध में महापत्तन न्यास बोर्डों के संकल्पों के ब्यौरे

1. मुम्बई पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31.3.2000 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 11.1.2000 का संकल्प सं. 9 पारित किया।

2. तूतीकोरिन पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने तूतीकोरिन पत्तन न्यास के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 30.6.2000 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने के लिए दिनांक 17.4.2000 का संकल्प सं. 21 पारित किया। यह भी अनुमोदन किया गया था कि श्रेणी 4 के जिन कर्मचारियों ने 1.4.79 से पहले सेवा शुरू की थी, वह उस महीने के अन्तिम दिन अपराह्न को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे जिसमें वह 60 वर्ष की आयु पूरी करते हों।

3. नव मंगलूर पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने श्रेणी I, II और III के अधिकारियों और कर्मचारियों और श्रेणी IV के भी उन कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु को कम करने और उसे 30.9.2000 से लागू करने के लिए दिनांक 28.4.2000 का संकल्प सं. 13 पारित किया जिन्होंने पत्तन सेवा 31.3.1980 के पश्चात् शुरू की है।

4. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 30.11.2000 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 25.9.2000 का संकल्प सं. 59 पारित किया।

5. कलकत्ता पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने श्रेणी IV के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें 30.10.1972 से पहले भर्ती किया गया था, पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31.12.2000 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 25.08.2000 का संकल्प सं. 128 पारित किया।

6. पारादीप पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने दिनांक 4.10.2000 के संकल्प सं. 38 यह अनुमोदन करने के लिए पारित किया कि श्रेणी I,II,III के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु जिसे बोर्ड के पहले के संकल्प द्वारा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था, दिनांक 31.1.2001 से परिवर्तित होकर 58 वर्ष होगी।

7. कांडला पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31.1.2001 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 20.10.2000 का संकल्प सं. 77 पारित किया।

8. चेन्नै पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31.1.2001 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 24.11.2000 का संकल्प सं. 133 पारित किया।

9. कोचीन पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने श्रेणी IV के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने बोर्ड की सेवा 21.7.1972 से पहले शुरू की थी, पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31.3.2001 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 18.10.2000 का संकल्प सं. 72 पारित किया।

10. मुरगांव पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 31.10.2000 का संकल्प सं. 72 पारित किया। इसे लागू करने की तारीख का अभी निर्णय किया जाना है।

11. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास

न्यासी बोर्ड ने पत्तन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु दिनांक 31.3.2001 से 60 वर्ष से कम करके 58 वर्ष करने का अनुमोदन करने के लिए दिनांक 24.11.2000 का संकल्प सं. 748 पारित किया।

बाल-विवाह

5190. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल-विवाह पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद कुछ राज्यों में बाल-विवाह की घटनाएँ हो रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कानून सिर्फ कागजों में ही है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की जानकारी में राज्यवार ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ङ) इस प्रकार के विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ङ) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 बाल विवाहों के अनुष्ठान को रोकने के लिए है। यह कहना सही नहीं है कि विधि मात्र कागज़ी विधि है। लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 138 के उत्तर में सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी तारीख 28 नवम्बर, 2000 को दी गई थी। उक्त उत्तर की एक प्रति संलग्न विवरण दी गई है।

विवरण

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 138

दिनांक 28.11.2000 को उत्तर के लिए

बाल विवाह

***138. श्री राम टहल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब भी बाल विवाह हो रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल विवाह को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह राज्य मंत्री (श्री आई.डी. स्वामी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। बाल विवाह की दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा अभी भी देश के कुछ भागों में जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान देश में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 78, 56 और 44 थी। इन आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(ग) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में 1978 में किए गए एक संशोधन के द्वारा विवाह के लिए न्यूनतम आयु, लड़कों के लिए बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय भी बना दिया गया था। तथापि, इस अधिनियम को लागू करना और इसका कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को भी 1976 में संशोधित किया गया था ताकि कोई लड़की बाल विवाह को नकारने में समर्थ हो सके, चाहे विवाह पक्का हुआ हो या नहीं।

ऊपर उल्लिखित कानूनी प्रावधानों के अलावा, बाल विवाह की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) राष्ट्रीय कार्य योजना, जो लड़कियों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के बारे में है, के अन्तर्गत, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता पैदा की जा रही है। स्वयंसेवी संगठनों और विश्वविद्यालयों के जरिए बाल विवाह और इसके परिणामस्वरूप जल्दी गर्भवती होने से लड़कियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरूकता भी पैदा की जा रही है।

(ii) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लड़कियों का दर्जा बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजना तैयार करने का कहा गया है, जिसका एक उद्देश्य लड़कियों के विवाह को, विवाह की कानूनी आयु से आगे बढ़ाने का होना चाहिए।

(iii) महिला और बाल विकास विभाग 'बालिका स्मृद्धि योजना' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अन्तर्गत, 15 अगस्त, 1997 को या इसके बाद पैदा हुई लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को धन दिया जाता है। वित्तीय सहायता प्रत्येक कक्षा में पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति सहित लड़कियों के खातों में सावधिक जमा के रूप में है। इस प्रकार से संचित धन राशि, लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु पूरी होने और अब तक अविवाहित रहने पर मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत, 8 लाख लड़कियों के लाभार्थ वर्ष 1999-2000 के दौरान 40 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है।

अनुबन्ध

वर्ष 1997 से 1999 तक की अवधि के दौरान बाल विवाह अवरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज घटनाएँ

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1997	1998	1999
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	23	5	0
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	29	30	14
7.	हरियाणा	0	3	0
8.	हिमाचल प्रदेश	6	4	3
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	1	2	0

1	2	3	4	5
11.	केरल	4	1	11
12.	मध्य प्रदेश	0	1	1
13.	महाराष्ट्र	0	0	7
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	1
19.	पंजाब	1	2	4
20.	राजस्थान	10	5	2
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1	0	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल (राज्य)	76	54	44
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	1	2	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दा. और न. हवेली	0	0	0
29.	दमन और दीव	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	0	0
	कुल (संघ शासित)	2	2	0
	कुल (समस्त भारत)	78	56	44

स्रोत :1. 1997, 1998 = भारत में अपराध आंकडे।

2. 1999 मासिक अपराध आंकड़े।

टिप्पणी : 1999 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

कर्मचारी की कथित पिटाई के विरुद्ध प्रदर्शन

5191. डॉ. सी. कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 दिसम्बर, 2000 के 'दि हिन्दू' समाचार पत्र में 'ट्रेन मूवमेंट हिट्ज ऐज स्टॉफ डिजर्ट पोस्टस' शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या आवश्यक सेवाओं को रोकने से पूर्व कोई सूचना अथवा पूर्व चेतावनी दी गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही शुरू की गई है;

(घ) इस विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप कितने यात्री तथा किन मार्गों का रेल आवागमन प्रभावित हुआ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :(क) जी हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (ङ) तथ्य अन्वेषण जाँच के लिए पहले ही आदेश दे दिया गया है।

(घ) पैसेंजर गाड़ियाँ क्रमशः 26 तथा 35 मिनट के लिए रोकी गई थी।

क्षमता से अधिक बुकिंग करने का कदाचार

5192. श्री वैको : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियाँ क्रिसमस और नववर्ष के व्यस्त पर्व पर क्षमता से अधिक बुकिंग करने जैसे कदाचार शुरू कर देती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एयर इण्डिया' भी इस तरह के कदाचार में लिप्त होती है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) त्रुटिकर्ता विमान कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) कुछ टिकटों की ओवर-बुकिंग करना इस उद्योग को सामान्य प्रक्रिया है जिसे सभी एयरलाइनें अपनाती हैं। चूँकि भारी भीड़ के कारण पिछली शरद ऋतु में, बहुत अधिक यात्रियों की ऑफ-लोडिंग हुई थी, सरकार ने ऑफ-लोडिंग से बचने के लिए वर्तमान शरद् ऋतु में यातायात माँग के अनुसार विमानों की क्षमता के कोटिउन्नयन के लिए एयरलाइनों की अतिरिक्त उड़ानें प्रचालित करने के लिए उदारपूर्वक अनुमति दे रही है।

[हिन्दी]

'कालिन्दी एक्सप्रेस' में और अधिक सवारी-डिब्बों का जोड़ा जाना

5193. श्री बलराम सिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "कालिन्दी एक्सप्रेस" में मैनपुरी रेलवे स्टेशन से टू टियर के और अधिक सवारी-डिब्बे जोड़ने तथा आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इस माँग को कब तक पूरा किया जाएगा;

(ङ) क्या इस रेलगाड़ी को विशेषकर दिल्ली और रेवाड़ी के बीच समय पाबंद बनाने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) मैनपुरी से कालिन्दी एक्सप्रेस में द्वितीय टियर डिब्बा जोड़ने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कालिन्दी एक्सप्रेस फर्रूखाबाद और दिल्ली के बीच चलती है और नकि दिल्ली-रेवाड़ी के बीच चलती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सी.एस.डी. में श्रमिकों की बहाली

5194. श्री जय प्रकाश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय (सी.ए.डी.) कैन्टीन को उन कुछ श्रमिकों की सेवाओं को पुनः बहाल करने का निदेश दिया है जिनकी पूर्व में छंटनी कर दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्णय की क्रियान्वित करने के लिए कितनी समय-सीमा दी गई है;

(ग) न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में, अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(घ) इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस मामले में तथ्य ये हैं कि सेना मुख्यालय कैंटीन, नई दिल्ली द्वारा आवश्यकतानुसार दैनिक आधार पर नियुक्त किए जाने वाले तीन दिहाड़ी मजदूरों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के रूप में अपने नियमितीकरण के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान खण्ड पीठ, नई दिल्ली में वर्ष 1997 की एक ओ.ए. सं. 2741 दायर की थी। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपने फैसले में प्रबन्धन को इन दिहाड़ी मजदूरों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान अस्थाई दर्जा दिलाने की सम्भाव्यता की जाँच कराने के निर्देश दिए थे।

उक्त निर्णय के विरुद्ध सेना मुख्यालय, कैंटीन, नई दिल्ली ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सी.डब्ल्यु.पी. संख्या 5009/98 दायर की। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब कभी आकस्मिक रिक्ति उपलब्ध हो, इन व्यक्तियों को रोजगार में तरजीह दी जाए। तथापि, उक्त श्रमिकों ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयानुसार रोजगार दिए जाने के लिए अनुरोध करते हुए पुनः उच्च न्यायालय में एक याचिका सी.एम. संख्या 3938/2000 दायर की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 10 अक्तूबर, 2000 को सी.डब्ल्यु.पी. संख्या 5009/98 और सी.एम. संख्या 3938/2000 को निपटाते हुए निर्णय दिया कि सेना मुख्यालय कैंटीन, नई दिल्ली ने उनमें से एक दिहाड़ी श्रमिक को ठेकेदार के माध्यम से दिनांक 7 जून, 2000 से पहले ही पुनः काम पर रख लिया है और वे अन्य दो श्रमिकों को भी पुनः काम पर रखने को तैयार हैं बशर्ते कि जब कभी उन्हें बुलाया जाए वे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें, अतः रिट याचिका पर आगे कोई कार्रवाई जारी रखना आवश्यक नहीं होगा और तद्नुसार उन्होंने इस याचिका का निपटान कर दिया है। चूँकि, इस निर्णय में कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, अतः यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

(ग) और (घ) माननीय न्यायालय के आदेश का सेना मुख्यालय कैंटीन, नई दिल्ली द्वारा पालन किया जा रहा है। चूँकि दिहाड़ी मजदूरों की नियुक्ति दैनिक आधार पर और आवश्यकता के आधार पर की जाती है, इसलिए उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने की समय-सीमा का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार की पर्यटन परियोजनाएँ

5195. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पर्यटक परिसर निर्मित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थानवार किन-किन परियोजनाओं को मन्जूरी दी गई है;

(ख) इसके लिए केन्द्र सरकार ने परियोजनावार कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ग) इन परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है, और इनके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्वीकृत पर्यटक परिसरों के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)	अवमुक्त राशि (रु. लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1.	रक्सौल में पर्यटक परिसर	45.00	13.50	बिहार सरकार के अनुरोध पर परियोजना रोक दी गई है।
2.	वैशाली में पर्यटक परिसर	44.00	14.00	उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा है।
3.	भागलपुर में पर्यटक परिसर	35.00	11.00	-वही-
4.	औरंगाबाद में पर्यटक परिसर	25.00	7.50	-वही-

[अनुवाद]

शुल्क-मुक्त दुकानों का पुनर्गठन

5196. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में वर्तमान शुल्क-मुक्त दुकानों के पुनर्गठन की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, इन दुकानों का कुल लाभार्जन कितना रहा; और

(घ) इन दुकानों को और अधिक बाजारोन्मुख बनाने हेतु अर्थोपाय विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शुल्क मुक्त दुकानों की लाभदायकता निम्न प्रकार है :

वर्ष	शुद्ध लाभ (कर पूर्व) (करोड़ रुपयों में)
1997-98	28.75
1998-99	26.98
1999-2000	23.27
2000-2001 (अनन्तिम)	15.21

(घ) शुल्क मुक्त दुकानों में बिक्री बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित हैं :

1. अद्यतन डिजाइनों के साथ उत्पाद रेंज को बढ़ाना;
2. विद्यमान दुकानों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए उनका नवीकरण/सौन्दर्यीकरण करना;
3. निर्माताओं से उनके उत्पादों को बाजार में लाने के लिए विशेष छूट माँगना।
4. अन्तर्राष्ट्रीय दरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना।

रेलवे कॉरीडोर परियोजना

5197. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के विकल्प के रूप में रेलवे कॉरीडोर परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रस्तावित परियोजना की तुलना में उक्त परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता की जाँच करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एगमोर संग्रहालय का आधुनिकीकरण

5198. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एगमोर संग्रहालय के आधुनिकीकरण की किसी योजना हेतु सहायता के लिए योजना सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हाँ, तो मामले के सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) योजना को मन्जूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) भारतीय प्रतातत्व सर्वेक्षण ने सूचित किया है कि तमिलनाडु सरकार ने योजना आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें एगमोर संग्रहालय के विरासती भवनों और दीर्घाओं के पुनरुद्धार के लिए 8.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की माँग की गई है। योजना आयोग ने अनुमानित राशि के औचित्य के सम्बन्ध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उनके विचार भेजने के लिए अनुरोध किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में उपयुक्त कार्रवाई हेतु योजना आयोग को अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं।

आन्ध्र प्रदेश में 'हथकरघा प्रदर्शनी-2000'

5199. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर-अक्तूबर, 2000 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी, 'एक्सपो-2000' आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर आए व्यय सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान उक्त 'एक्सपो-2000' प्रदर्शनी ने रिकार्ड व्यवसाय किया;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रदर्शनी में किन-किन राज्यों ने भाग लिया; और

(च) इस 'एक्सपो-2000' प्रदर्शनी ने कहाँ तक एक महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के अंशदान के अतिरिक्त राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो के आयोजन के लिए 38.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को प्रदान करती हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक्सपो में 345 लाख रुपए की बिक्री हुई।

(ङ) एक्सपो में 14 (चौदह) राज्यों ने भाग लिया।

(च) एक्सपो में भाग लेने वालों को उन के हथकरघा उत्पादों के निर्धारण हेतु एक्सपो ने सहायता की।

सशस्त्र बलों के जवानों के लिए पदोन्नति के अवसर

5200. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में जवानों की तुलना में अधिकारियों के लिए पदोन्नति की सम्भावनाएँ अधिक हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पदोन्नति के सम्बन्ध में सभी कर्मियों को समान अवसर उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं में अफसर और अफसर रैंक से नीचे के रैंक के कार्मिकों के पदोन्नति अवसरों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उन पर सेवा की अलग-अलग शर्तें और निबन्धन लागू होते हैं।

(ख) और (ग) सभी सफसरों और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को उनके अपने-अपने संवर्ग की पदोन्नति नीति, जो प्रत्येक श्रेणी के कार्मिकों पर लागू होती है, के अनुसार पदोन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

पश्चिम रेलवे को कैसरोल की आपूर्ति

5201. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी और पश्चिम रेलवे के बीच 'हिंडाल्को इंडस्ट्रीज' द्वारा आपूर्ति किए गए फोइल कैसरोल को लेकर कोई विवाद है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सामग्री-खेप को पूर्व में राइट्स (आर.आई.टी.ई.एस.) के निरीक्षण अभियंता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो सामग्री-खेप को पश्चिम रेलवे क्षेत्र में आपूर्ति हेतु स्वीकृति देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एक ऐसी कम्पनी को निविदा देने में पक्षपात और तरफदारी बरती गई है जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इस कार्य को प्राप्त करने की होड़ में ही नहीं थी;

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस घोटाले में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :(क) और (ख) जी नहीं। हिंडैल्को इंडस्ट्रीज द्वारा आपूर्ति किए गए फोयल कैसरोल्स को लेकर पश्चिम रेलवे तथा गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी के बीच कोई विवाद नहीं है। बहरहाल, मैसर्स हिंडैल्को इंडस्ट्रीज द्वारा 12.5.2000 को खोली गई निविदा के सम्बन्ध में उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के पश्चात की गई आपूर्तियां अस्वीकार कर दी गई थीं क्योंकि वे आकार की विशिष्टियों को पूरा करने में विफल रहे थे और इस तथ्य के कारण भी कि कैसरोल्स पर भारतीय रेल का लोगो अंकित नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पश्चिम रेलवे ने निर्धारित मानदण्डों, नियमों और विनियमों का पालन करने के बाद यह ठेका प्रदान किया है। इस प्रकार पक्षपात का प्रश्न नहीं उठता। इस परेषण को रद्द करते समय रेलवे ने पश्चिम रेलवे सहित आपूर्तिकर्त्ता फर्म तथा राइट्स के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त जाँच कराकर सभी निर्धारित मानदण्डों का पालन किया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भगवान महावीर का 2600वां जयंती समारोह

5202. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री भगवान महावीर का 2600वां जयंती समारोह के बारे में 23 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय समिति की संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रारूपण समिति में मनोनीत सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) राष्ट्रीय समिति और प्रारूपण समिति में किन-किन सदस्यों को लिया अथवा हटाया गया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय समिति और प्रारूपण समिति की अब तक कोई बैठक हुई है;

(ङ) यदि हाँ, तो अब तक आयोजित बैठकों की तिथियाँ और उनके प्रयोजन क्या थे;

(च) इस सम्बन्ध में समारोह सम्बन्धी क्या प्रारूप-कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(छ) प्रस्तावित समारोह के लिए जैन-समुदाय अथवा किसी अन्य संगठन या व्यक्ति की ओर से क्या सुझाव हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (छ) प्रारम्भ में, 59 सदस्यों की एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। इस समिति में 8 और सदस्यों को शामिल किया गया है। सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। समारोहों को आयोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर, 2000 को आयोजित की गई। भारत सरकार, राज्य सरकारों और जैन समुदाय के संयुक्त प्रयासों से बैठक के दौरान कई सुझाव प्राप्त हुए। किसी प्रारूपण समिति का गठन नहीं किया गया है।

विवरण

तीर्थंकर महावीर के जन्मकल्याणक के 2600 वर्ष मनाने हेतु गठित राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की सूची

1.	भारत के प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	केन्द्रीय विदेश मंत्री	सदस्य
4.	केन्द्रीय गृह मंत्री	सदस्य
5.	केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य
6.	केन्द्रीय संचार मंत्री	सदस्य
7.	श्री सुन्दर लाल पटवा, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
8.	केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री	सदस्य
9.	केन्द्रीय सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता राज्य मंत्री	सदस्य
10.	श्री धनन्जय कुमार, केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री	सदस्य
11.	श्री सुन्दर सिंह भण्डारी, राज्यपाल, गुजरात	सदस्य
12.	मुख्य मंत्री पंजाब	सदस्य
13.	मुख्य मंत्री, बिहार	सदस्य
14.	मुख्य मंत्री, कर्नाटक	सदस्य
15.	मुख्य मंत्री, गुजरात	सदस्य
16.	मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	सदस्य
17.	मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	सदस्य
18.	मुख्य मंत्री, राजस्थान	सदस्य
19.	मुख्य मंत्री, दिल्ली	सदस्य
20.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
21.	डॉ. एल.एम. सिंघवी, सांसद	सदस्य
22.	श्री दीपचन्द गारडी	सदस्य
23.	श्री एम.सी. शाह	सदस्य
24.	श्रीमती इन्दू जैन	सदस्य
25.	श्री साहू रमेश सी. जैन	सदस्य
26.	श्री श्रेनिकभाई कस्तूरभाई	सदस्य
27.	श्री राज कुमार जैन	सदस्य
28.	श्री वीरेन्द्र हेगडे	सदस्य
29.	श्री एस.पी. जैन	सदस्य
30.	डॉ. सरयू दोषी	सदस्य
31.	श्री हुलासचन्द गोलेचा	सदस्य
32.	श्री हस्तीमल मनोट	सदस्य
33.	डॉ. महेन्द्र पाण्डे, अप्रवासी भारतीय	सदस्य
34.	श्री सी.के. जैन, पूर्व महासचिव, लोक सभा	सदस्य
35.	श्री मांगीलाल सेतिया	सदस्य
36.	श्री के.एल. जैन	सदस्य
37.	श्री बानेचन्द मालू	सदस्य
38.	श्री एल.एल. अच्छा	सदस्य
39.	श्री प्रदीप कुमार काशलीवाल	सदस्य
40.	श्री चारूकीर्ती भट्टारका	सदस्य
41.	श्रीमती कमला हम पा. नागारिजीह	सदस्य
42.	श्री लक्ष्मी चन्द कोठारी	सदस्य
43.	श्री संकलचन्द बागरेचा	सदस्य
44.	श्री निरमल चन्द जैन	सदस्य
45.	श्री संपत राज गधिया	सदस्य
46.	श्री ज्ञान राज मेहता	सदस्य
47.	श्री मनोहर चज्जेद	सदस्य
48.	डॉ. एम.आर. थांगा, एम.एल.सी.	सदस्य
49.	श्री डी.आर. मेहता	सदस्य
50.	प्रो. रिनपोचे	सदस्य
51.	डॉ. रफीक जकारिया	सदस्य
52.	भाई जोध सिंह	सदस्य

53.	डॉ. कर्ण सिंह	सदस्य
54.	डॉ. बी.के. मोदी	सदस्य
55.	श्री वी.एच. डालमिया	सदस्य
56.	मौलाना वहीदीद्दीन जामिया	सदस्य
57.	आर्क बिशप, दिल्ली	सदस्य
58.	श्री विजय दरदा, सांसद	सदस्य
59.	श्री ललित मेहता, सांसद	सदस्य
60.	श्री दिलीप गाँधी, सांसद	सदस्य
61.	श्री पुष्प जैन, सांसद	सदस्य
62.	श्री नरेश पुगलिया, सांसद	सदस्य
63.	श्री धीरूभाई शाह, स्पीकर, गुजरात विधान सभा	सदस्य
64.	श्री प्रकाशभाई जावेरी, मुम्बई	सदस्य
65.	श्री वसन्तभाई खोखानी, राजकोट	सदस्य
66.	संस्कृति-सचिव	सदस्य
67.	संयुक्त सचिव-संस्कृति	सदस्य-सचिव

रेशम उत्पादों का निर्यात

5203. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, देश-वार तथा उत्पाद-वार कितनी मात्रा और मूल्य के रेशम-उत्पाद का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अविध के दौरान इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ग) क्या 1999-2000 के दौरान रेशमी गलीचों के निर्यात में गिरावट आई;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए;

(च) क्या रेशमी गलीचों के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एसोचैम ने तत्काल उपाय करने का कहा है; और

(छ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) से (छ) रेशम उत्पादों के कुल निर्यात तथा रेशम कालीनों के निर्यात में पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के लिए मूल्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	रेशम निर्यात के लिए लक्ष्य (करोड़ रुपए में)	** रेशम कालीनों के निर्यात की उपलब्धियां (करोड़ रुपए में)	** रेशम कालीनों के निर्यात, मिलियन वर्ग मीटर में	# कुल रेशम निर्यात (करोड़ रुपए में)
1997-98	1050	109.62	0.31	1116
1998-99	1050	136.44	0.38	1134
1999-2000	1260	153.93	0.43	1721
2000-2001	1386	56.75 (सितम्बर 2000 तक)	0.16 (सितम्बर 2000 तक)	913 (सितम्बर 2000 तक)

** स्रोत कालीन निर्यात संवर्द्धन परिषद # स्रोत डी.जी.सी.आई.एस.

रेशम उत्पादों का देश-वार निर्यात निम्नानुसार हैं :

सारणी-II @

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सं.रा. अमरीका	जर्मनी	यू.के.	इटली	फ्रांस	हांगकांग	अन्य सभी राष्ट्र	कुल रेशम का सामान
1997-98	354.41	147.13	105.51	67.58	59.31	57.41	324.65	1116
1998-99	333.03	168.49	104.69	62.65	66.24	48.52	340.38	1134
1999-2000	609.69	133.54	191.06	106.37	79.45	111.40	489.49	1721
2000-01 अगस्त 2000 तक	341.15	73.97	64.82	51.41	39.90	43.71	682.04	913

@ स्रोत डी.जी.सी.आई.एस.

आंकड़े रेशम कालीन के निर्यात में कोई गिरावट नहीं दर्शाते।

भारतीय नौवहन का हिस्सा

5204. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री मार्ग से विदेशों को होने वाले भारतीय कार्गो के व्यापार में भारतीय नौवहन का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या भारतीय पोत भारत से बाहर जाने वाले कार्गो के 30% से भी कम की ढुलाई करते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारतीय नौवहन क्षेत्र की क्षमता, भारत के समुद्रपारीय-व्यापार के विकास की दर के अनुपात में नहीं बढ़ी है;

(घ) क्या बाहर जाने वाले कार्गो और भारतीय पोतों की क्षमता के बीच बेमेलता को कम करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री मार्ग से विदेशों को होने वाले व्यापार में भारतीय नौवहन का हिस्सा इस प्रकार है :

वर्ष	व्यापार (मिलियन टन में)
1997-98	63.53 (31.4%)
1998-99	62.61 (30.8%)
1999-2000	70.85 (31.5%)

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार भारतीय नौवहन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है और भारतीय नौवहन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर इस समय कार्रवाई की जा रही है:

(i) भारतीय नाविकों को कर राहत।

(ii) पोतों की मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ाकर 40% करना।

(iii) तटीय नौवहन को अवसंरचना का दर्जा देना।

(iv) नैगम कर के बदले में टनभार कर शुरू करना।

पटसन की बोरियों का उपयोग

5205. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अधिसूचित किया है कि 31 मार्च, 2000 से 24 अक्टूबर, 2000 की संक्षिप्त अवधि के अलावा मई, 1987 से आज तक खाद्यान्न और चीनी की 100% पैकिंग पटसन की बोरियों में ही की जाएगी;

(ख) यदि हाँ, तो उपयोग की जा रही पटसन की बोरियां खाद्यान्न की पैकिंग के अनुकूल नहीं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जूट बैचिंक आयल युक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटसन की बोरियों का देश में प्रयोग किए जाने और खाद्यान्न हेतु अनुकूल पटसन की बोरियों के विदेशी बाजारों में प्रयोग हेतु भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि खाद्यान्न की पैकिंग के लिए अनुपयुक्त पटसन बोरियों को खाद्य सामग्री के लिए प्रयोग में न लाया जा सके?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) भारत सरकार ने पटसन पैकेजिंग सामग्री में खाद्यान्नों तथा चीनी दोनों के 100 प्रतिशत उत्पादन की पैकिंग के लिए 1.6.1987 से इसे अनिवार्य बनाते हुए पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत दिनांक 29.05.1987 को एक आदेश जारी किया। इस पटसन पैकेजिंग सामग्री में खाद्यान्न और चीनी दोनों के 100 प्रतिशत उत्पादनों की यह अनिवार्य पैकिंग 1.6.1987 से आज तक जारी है। तथापि, 31.3.2000 से 24.10.2000 तक की संक्षिप्त अवधि के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री द्वारा अनिवार्य पैकिंग को खाद्यान्न और चीनी दोनों के उत्पादन को घटाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ख) खाद्यान्न और चीनी दोनों की अनिवार्य पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त पटसन बोरे भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन के अनुरूप हैं। खाद्यान्न और चीनी की पैकिंग में प्रयुक्त सम्बद्ध बी.आई.एस. मानकों के अनुरूप पटसन के बोरों में मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जूट बैचिंग आयल (जे.बी.ओ.), एक विशिष्ट श्रेणी का पेट्रोलियम उप उत्पाद, को पटसन के बोरों के विनिर्माण हेतु कच्चा पटसन के प्रसंस्करण के लिए प्रायः विश्व भर में उपयोग किया गया है। विशिष्ट स्वास्थ्य खतरा के साथ किसी प्रकार के सम्बन्ध होने का कोई अन्तिम साक्ष्य नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय पटसन संगठन (आई.जे.ओ.) द्वारा बैचिंग आयल के रूप में वेजीटेबल आयल संजातो का प्रयोग करते हुए गन्धहीन हाइड्रोकार्बन मुक्त पटसन के बोरों का नाम खाद्य श्रेणी पटसन बोरों के रूप में रखा गया है तथा अब यह आई.जे.ओ. मानक 98/01 है। आई.ओ.सी.सी.सी (अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी, कोको व चॉकलेट संगठन) ने कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया है तथा ये आई.जे.सी. के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन बोरों को कोको बीन्स, काफी बीन्स और छिलके वाली गिरियों जैसी चुनिन्दा वस्तुओं की पैकिंग के लिए निर्यात किया जाता है। इस समय, लगभग 1.8 लाख मी.ट. गन्धहीन हाइड्रोकार्बन मुक्त पटसन बोरों के भारतीय निर्यात, कुल पटसन सामान निर्यात में से लगभग 10-15,000 मी.ट. प्रति वर्ष हैं।

(घ) जे.बी.ओ. द्वारा प्रसंस्कृत पटसन बोरों को अन्तिम रूप से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित नहीं किया गया है। तथापि माँग किए जाने पर किसी भी उपभोक्ता को हाइड्रोकार्बन मुक्त पटसन के बोरों की आपूर्ति करना सम्भव होगा।

दाहेज स्थित एल.एन.जी. परियोजना

5206. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोनेट दाहेज (गुजरात) में 5 मिलियन टन की क्षमता वाले तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की परियोजना स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की लागत कितनी है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी ठेकेदार का चयन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हाँ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दहेज टर्मिनल दिसम्बर, 2003 तक चालू करने का कार्यक्रम है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पद

5207. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96, इस्टैबलिस्टमेंट (रिजर्वेशन) खण्ड-ii, दिनांक 3 अक्तूबर, 2000 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण न्यूनतम अर्हता अंको में कमी/मूल्यांकन स्तर में कमी किए जाने के सम्बन्ध में जारी अनुदेशों को 82वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 335 में प्रावधान हतु रेलवे द्वारा क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे विभिन्न श्रेणियों के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा इसे भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी हां। संविधान (82वां संशोधन) अधिनियम, 2000 के तहत संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधान के अनुसार और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.10.2000 का कार्यालय ज्ञापन प्राप्त होने पर, 27.3.2000 से पहले विद्यमान न्यूनतम अर्हता अंकों में कमी/मूल्यांकन स्तर में कमी के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पदोन्नति के मामले में छूट/रियायत को यथावत बनाए रखने के लिए रेलवे बोर्ड के नियंत्रण के अधीन सभी जोनल रेलों/उत्पादन इकाइयों और संगठनों को रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.12.2000 के पत्र के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार छूट/रियायत के लिए पात्र अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को 3.10.2000 को या उसके पश्चात होने वाले चयन में लाभ प्राप्त होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संपीड़ित प्राकृतिक गैस

5208. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्रदूषण मुक्त ईंधन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश में इस गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल, 2001 से सभी सरकारी वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के उपयोग से अन्य ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण होता है।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सी.एन.जी. एक प्रदूषणरहित ईंधन है, केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 2000 में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करके मोटर वाहनों में सी.एन..जी. का उपयोग प्राधिकृत कर दिया है।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) को 31.3.2001 तक बस का अपना सारा बेड़ा सी.एन.जी. के एकल ईंधन माध्यम में परिवर्तित करने का निदेश दिया है। इस प्रकार आरम्भ में इसकी उपलब्धता दिल्ली में सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा मुम्बई और गुजरात में इसकी आपूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

सियाचिन भत्ता

5209. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन ग्लेशियर में तैनात रक्षा कार्मिकों के लिए सियाचिन भत्ता में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सियाचिन भत्ता सियाचिन क्षेत्र में तैनात रक्षा कार्मिकों के लिए स्वीकार्य है। इस भत्ते की दरें 1 अगस्त, 1997 से बढ़ाकर अधिकारियों के लिए 7000 रुपए प्रतिमाह और अधिकारी रैंक से निचले रैंकों के कार्मिकों के लिए 4667 रुपए प्रतिमाह कर दी गई थी। उक्त भत्ते में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद विमानपत्तन पर खर्च की गई राशि

5210. श्री हरिभाई चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अहमदाबाद विमानपत्तन से वर्ष में औसतन कितनी आय होती है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा अहमदाबाद विमानपत्तन के विकास के लिए कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या उक्त विमानपत्तन पर यात्रियों की भीड़भाड़ को मद्देनजर रखते हुए वहाँ कुछ बुनियादी सुविधाओं की कमी है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अहमदाबाद विमानपत्तन पर यात्रियों के ठहरने और कलॉक रूम की सुविधा प्रदान करने के बारे में नई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान सरादर वल्लभ भाई पटेल अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से औसतन महीनेवार 121.57 लाख रुपए की आय अर्जित की गई थी।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के विकास पर वर्ष 2000-2001 के दौरान (नवम्बर 2000 तक) लगभग 13.66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ग) अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी मूल यात्री सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बढ़े हुए यात्री यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 45.91 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक समय में 600 यात्रियों को सम्भालने के लिए एक नए अन्तर्देशीय प्रस्थान टर्मिनल की योजना है।

(घ) और (ङ) प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रस्थान भवन में विश्राम कक्ष के रूप में अमानती सामान और आवास सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद 30 महीनों के भीतर परियोजना के पूर्ण होने की आशा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएँ

5211. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नई लाइनों के निमार्ण, आमान परिवर्तन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किन-किन रेल लाइनों के निर्माण कार्य को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया था लेकिन संसाधनों के अभाव में तत्सम्बन्धी कार्य आरम्भ किए जाने हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सका; और

(ग) इन लाइनों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांस्कृतिक साज-सामान का रिकार्ड

5212. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के सभी संग्रहालयों में रखी गई मुद्रा-तत्व संग्रहों और भारत में पाए गए परन्तु विदेशों में विभिन्न संग्रहालयों में रखे गए प्राचीन सिक्कों तथा भारत और विदेशों में निजी रूप से संग्रहित प्राचीन सिक्कों की कैटलोग तैयार करने हेतु कोई कदम उठाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में पाए गए खजानों, जो राज्य कोषागारों अथवा स्थानीय उप कोषागारों में रखे गए हैं, के संग्रहण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) देश में मुद्रा तत्व संग्रहों सहित मूर्त विरासत के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है। प्रथम चरण में, रजिस्टर में 'एए' और 'ए' श्रेणी के संग्रह शामिल होंगे।

जहाँ तक देश के बाहर रखे गए संग्रहों का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पूर्व, सिक्कों सहित अनेक सांस्कृतिक कृतियाँ भारतीय उपमहाद्वीप से विश्व के विभिन्न भागों में ले जाई गई थीं। ये कृतियाँ असंख्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखरी पड़ी हैं। ऐसी कृतियों की पुनर्प्राप्ति के लिए कोई अन्तरराष्ट्रीय समझौता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के कारण इन कृतियों के मूल देश के बारे में परस्पर विरोधी दावे होंगे। इसे देखते हुए, ऐसी कृतियों का

रिकार्ड तैयार करना न केवल समय लेने वाला और समस्या मूलक है बल्कि जहाँ तक कृतियों की पुनर्प्राप्ति का सम्बन्ध है, इसके कोई व्यावहारिक परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना भी नहीं है।

(ग) संविधान में 'बहुमूल्य संग्रहों' (ट्रिजर ट्रॉव) विषय राज्य सूची को सौंपा गया है। सरकार का राज्य कोषगारों में पड़ी बहुमूल्य वस्तुओं को संग्रहीत करने को कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

टिकट-बिक्री एजेण्टों के स्थान पर आयोजकों को नियुक्त करना

5213. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एयर इण्डिया' का विचार, ब्रिटेन जैसे अन्य देशों की भाँति टिकट बिक्री एजेण्टों के स्थान पर आयोजकों (आग्रेनाइजर्स) को नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक नियुक्त किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) एयर इण्डिया कुछ देशों में सामान्य विक्रय एजेण्टों के स्थान पर समन्वयकर्ताओं की नियुक्ति करने की कार्रवाई कर रही है। उनके द्वारा अभी तक 10 जुलाई, 2000 को यू.के. और आयरलैण्ड में तीन समन्वयकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार, 8 अगस्त, 2000 को कनाडा में चार समन्वयकर्ताओं को नियुक्त किया गया है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं हेतु निधियों का आबंटन

5214. श्री के.पी. सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई रेल लाइनों हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) नई परियोजनाओं हेतु वर्ष-वार और जोनवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इस अवधि के दौरान किन-किन नई रेल लाइनों को शुरू किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1997-98 से 2000-2001 से नौवीं योजना के पहले चार वर्षों में नई लाइन परियोजनाओं के लिए 2097.65 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। पाँचवें वर्ष में मुहैया कराई जाने वाली राशि का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) वांछित सूचना इस प्रकार है:

जोन	बजट में शामिल होने का वर्ष	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	अब तक नौवीं योजना में आवंटित धन राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5
मध्य	1997-98	ललितपुर-सिंगरौली	मध्य प्रदेश	5.51
		बारामती-लौनाड	महाराष्ट्र	0.20
पूर्व		आरा सासाराम	बिहार	18.55
		गिरिडिह-कोडरमा के बीच गिरिडिह-बरखाना-राँची नई लाइन	बिहार	9.00
उत्तर		तरनतारन-गोइंदवाल	पंजाब	6.05
		चंडीगढ़-लुधियाना	हरियाणा/पंजाब	40.17
पूर्वोत्तर		मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	बिहार	1.21
पूर्वोत्तर सीमा		दिफू-करोंग	मणिपुर	25.29
		डिब्रुगढ़ और उत्तर तट लाइन के बीच लाइनों को जोड़ते हुए बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र पुल	असम	10.00
दक्षिण		बैंगलूरु-सत्यमंगलम	कर्नाटक/तमिलनाडु	2.10
		धर्मावरम-पेनुकोंडा बरास्ता पुट्टापारथी	आन्ध्र प्रदेश	35.20
		अंगामाली-सबरीमाला	केरल	6.00
दक्षिण मध्य		मुनीरबाद-महबूबनगर	कर्नाटक/आन्ध्र प्रदेश	8.96

1	2	3	4	5
पूर्व	1998-99	राजगीर-हिसवा-तिलैया	बिहार	16.16
		कोडरमा-राँची	बिहार	39.00
		देवगढ़-दूमका	बिहार	3.00
		फतूआ-इस्लामपुर	बिहार	27.10
दक्षिण मध्य		गढ़वाल-रायचूर	आन्ध्र प्रदेश	9.22
मध्य	1999-2000	आगरा-इटावा बरास्ता फतेहाबाद और बाह	उत्तर प्रदेश	10.19
दक्षिण मध्य		काकीनाड़ा-पीठापुरम	आन्ध्र प्रदेश	0.10
पूर्व	2000-2001	देवगढ़-सुल्तानगंज	बिहार	6.00
		ताड़केश्वर-विष्नुपुर	प. बंगाल	22.00
पूर्वोत्तर सीमा	2000-2001	न्यू, मायनगुड़ी-नरसापुर	असम	6.00
दक्षिण मध्य		कोटापल्ली-नरसापुर	आन्ध्र प्रदेश	1.00
पश्चिम		गांधीनगर-कलोल	गुजरात	2.00
		अजमेर-पुष्कर	राजस्थान	1.00
		रामगंज मंडी-भोपाल	राजस्थान/मध्य प्रदेश	1.00

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

5215. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में और अब तक दोहरीकृत की गई रेल लाइनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जोनवार और राज्यवार किन-किन रेल लाइनों पर दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने हेतु क्या सयम-सीमा निर्धारित की गई है और अब तक क्या प्रगति हासिल हुई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) उन रेल लाइनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य कराया गया है;

(ङ) उन रेल लाइनों का जोनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका निकट भविष्य में दोहरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार ने चालू वर्ष में कुछ रेल लाइनों के दोहरीकरण से भी सम्बन्धित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग में नई प्रौद्योगिकी

5216. श्री जी.एस. बसवराज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयन कार्पोरेशन ने सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग में क्षमता के विस्तार और नई प्रौद्योगिकी को लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कम्पनी क्षमता में विस्तार करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी को लाने हेतु आपूर्तिकर्ताओं की सहायता करने पर सहमत है;

(ग) यदि हाँ, तो कम्पनी आरम्भिक निवेश करने के लिए किस सीमा तक सहमत हुई है; और

(घ) पोशाकों की निरन्तर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : (क) और (ख) जी, हाँ। इंडियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लि. निजी कम्पनी है। मैसर्स मदुरा गारमेंट्स, बंगलौर (इंडियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लि. का एक प्रभाग) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, इंडियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लि. अपनी क्षमता का विस्तार कर ही है तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल कर रही है।

(ग) और (घ) कम्पनी ने अभी तक निवेश/सहायता की मात्रा के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सी.एन.जी. स्टेशन

5217. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 23 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 762 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कार्यरत 21 सी.एन.जी. स्टेशनों का स्थानवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) अगले वर्ष स्थापित किए जाने वाले 14 स्टेशनों का स्थानवार/जिलेवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

विवरण-I

मुम्बई, महाराष्ट्र में स्थित प्रचालित संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) स्टेशन

1. महानगर गैस लिमिटेड, सिटी गेट स्टेशन, सायन
2. अनिक बस डिपो, बी.ई.एस.टी. सायन
3. गुजरात सर्विस सेन्टर, आर्थर रोड
4. कौसर आटो, सर्विस अग्रीपाडा
5. माडनं आटो, मुम्बई सेन्ट्रल
6. अमेरिकन आटो सप्लाई कम्पनी, विक्टोरिया रोड, बाईकुला
7. यूनिवर्सल मोटर्स, मझगाँव
8. अमर आटो, पी. डिमेलो रोड, वादी बन्दर (सी.एस.टी. के निकट)
9. चेंबूर सर्विस स्टेशन, चेंबूर
10. विजय आटो मोबाइल्स, एल.बी.एस. मार्ग, कुरला (पश्चिम)
11. मुम्बई टैक्सी एसोसिएशन, एल.बी.एस. मार्ग, कुरला (पश्चिम)
12. नेशनल हाईवे ट्रकिंग सेन्टर, जी.एम. रोड, चेंबूर
13. हाईवे आटोमोबाइल्स, एल.बी.एस. मार्ग दरगा के सामने, घाट-को-पार (पश्चिम)
14. पारेख पेट्रोलियम सर्विसिस, एस.वी. रोड, विले पार्ले (पश्चिम)
15. रायल सर्विस स्टेशन, होटल लीला केमिन्सकी के निकट, अंधेरी (पूर्व)
16. श्रीसेवा इंटरप्राइजिज, खेरनी रोड, साकी नाका
17. जोगेश्वरी पेट्रोल सप्लाई, एस.वी. रोड डाकघर के सामने, जोगेश्वरी (पश्चिम)
18. ग्लोबल आटोमोबाइल्स, वीर सम्भाजी रोड, बम्बई आक्सीजन लि. के सामने, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुंद (पश्चिम)
19. महानगर गैस लि., आई.सी.आई.सी.आई. बिल्डिंग के सामने, एमबान्द्रा कुर्ला परिसर बान्द्रा (पूर्व)
20. मस्ताकर आटो सर्विस, न्यू लिंक रोड, आदर्श नगर के निकट, ओशीवारा (पश्चिम)
21. युगांडा सर्विस स्टेशन, आर.ए.किदवई रोड, वदाला।

विवरण-II

मुम्बई में आगामी वर्ष स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित 14 संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) स्टेशनों की स्थानवार सूची

1. न्यू भारत आटोमोबाइल्स (बी.पी.सी.एल. पेट्रोल पम्प) मुम्बई सेन्ट्रल
2. ए.डी. अदजानियाँ (एच.पी.सी.एल. पेट्रोल पम्प) ग्रान्ट रोड
3. छगन मीठा (एच.पी.सी.एल. पेट्रोल पम्प) बर्द्धन रोड

4. रायल आटो (एच.पी.सी.एल. पेट्रोल पम्प) भिंडूडी बाजार

5. एक्सप्रेस पेट्रोलियम (बी.पी.सी.एल. पेट्रोल पम्प) कोलाबा

6. इण्डिया गेराज (एच.पी.सी.एल. पेट्रोल पम्प) वर्ली

7. इन्टेल कारपोर्ट (आई.ओ.सी.एल. पेट्रोल पम्प) सहार एअरपोर्ट अंधेरी (पूर्व)

8. घाटकोपर बी.ई.एस.टी. डिपो, घाटकोपर (पूर्व)

9. मैसर्स सबरबन सर्विस (एच.पी.सी.एल.) बान्द्रा (पश्चिम)

10. ओमीश ट्रेडर्स (प्राइवेट) डब्ल्यू.ई. हाईवे-कंदीवली (पूर्व)

11. मैसर्स फेमस आटो (बी.पी.सी.एल.) बोरीवली (पश्चिम)

12. महालक्ष्मी/वर्ली स्थिति भूखण्ड (महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवंटित होना है)

13. शेतगरी संघ (बी.पी.सी.एल.) परेल

14. सचदेवा आटो (एच.पी.सी.एल.) मलाद (पश्चिम)

[अनुवाद]

आई.टी.डी.सी. के फ्लैटों का किराया

5218. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री के. येरननायडू :

क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) प्रबन्धन ने दिल्ली के कनाट प्लेस् क्षेत्र में कार्यालयी उद्देश्य से निजी मालिकों से पट्टे पर लिए गए विभिन्न फ्लैटों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो जनवरी, 1999 और जून 2000 के दौरान प्रत्येक फ्लैट मालिक को भुगतान की गई पुराने किरायों और नए किरायों का फ्लैटवार ब्यौरा क्या है और कितनी बकाया धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या बताया राशि का भुगतान किए जाने के बाद भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अधिकांश फ्लैटों को खाली कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण और औचित्य हैं;

(ङ) क्या सभी पक्ष फ्लैटों को खाली कराने की माँग को लेकर न्यायालय में थे; और

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

ट्रैवल एजेंटों का कमीशन

5219. डॉ. बी.बी. रमैया : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के सभी ट्रैवल एजेन्टों/टूर ऑपरेटरों/आई.टी.डी.सी. इकाइयों/व्यावसायिक प्रभागों को कारोबार उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो आई.टी.डी.सी. को ऐसे व्यवसाय के लिए उन्हें कितना कमीशन दिया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सूचीबद्ध ट्रैवल एजेन्टों/टूर ऑपरेटरों द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) को इकाईवार/डिवीजनवार कितना कारोबार दिया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ट्रैवल एजेन्टों/टूर ऑपरेटरों को आई.टी.डी.सी. द्वारा कितना कमीशन दिया गया; और

(ङ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय से 20,000 रुपए से अधिक राशि का कितना कमीशन बकाया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) अधिकांश यात्रा अभिकर्ता/यात्रा प्रचालक भारत पर्यटन विकास निगम के होलकों को कारोबार उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें ऐसे कारोबार पर 10% की कमीशन दी जाती है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा ऐसा कोई देय बकाया नहीं था।

विवरण

यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा दिया गया कारोबार और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिए गए कमीशन का ब्यौरा

क्रम सं.	होटल	1997-98 (लाख रुपयों में)			1998-99 (लाख रुपयों में)			1999-2000 (लाख रुपयों में)			अप्रैल 2000 से सितम्बर 2000 (लाख रुपयों में)		
		यात्रा अभिकर्ताओं की संख्या	यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा दिया गया कुल कोराबार	यात्रा अभिकर्ताओं को दिया गया कुल कमीशन	यात्रा अभिकर्ताओं की संख्या	यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा दिया गया कुल कारोबार	यात्रा अभिकर्ताओं को दिया गया कुल कमीशन	यात्रा अभिकर्ताओं की संख्या	यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा दिया गया कुल कारोबार	यात्रा अभिकर्ताओं को दिया गया कुल कमीशन	यात्रा अभिकर्ताओं की संख्या	यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा दिया गया कुल कारोबार	यात्रा अभिकर्ताओं को दिया गया कुल कमाशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	81	606.0	38.20	70	264.77	20.21	81	236.89	5.28	46	29.79	1.28
2.	होटल सम्राट	54	160.66	7.81	42	75.55	5.73	39	32.99	1.42	23	8.42	0.07
3.	एल.एम.पी. डब्लू मैसूर	157	298.80	11.15	153	323.52	8.90	150	262.52	7.02	76	38.04	0.60
4.	के.ए.बी.आर कौवेलम	144	237.43	6.96	135	204.66	4.80	102	109.64	3.38	44	12.53	.053
5.	होटल एयरपोर्ट अशोक क्लकता	73	41.13	0.53	58	31.98	1.41	37	15.92	0.33	28	3.87	0.47
6.	होटल बैंगलोर, अशोक	65	32.38	1.32	47	26.12	0.26	57	16.23	1.10	28	22.04	0.86
7.	होटल कनिष्का	143	521.63	5.58	113	315.25	2.18	79	206.49	3.47	48	38.32	0.78
8.	होटल कुतुब	67	150.85	0.44	32	68.05	0.63	21	23.58	0.04	11	3.28	—
9.	होटल जनपथ	223	146.29	4.89	243	98.70	4.60	119	94.02	2.63	57	23.84	0.30
10.	होटल आगरा अशोक	80	39.84	1.77	79	34.59	2.48	65	35.77	1.90	47	12.95	0.36
11.	होटल वाराणसी अशोक	19	66.51	1.49	45	45.72	0.63	77	43.85	0.12	37	6.84	0.06
12.	एल.वी.पी.एच. उदयपुर	109	202.93	2.04	97	92.18	1.04	96	80.70	0.46	17	22.26	—
13.	होटल जयपुर अशोक	84	52.71	1.36	63	37.20	1.43	54	23.90	0.91	21	3.64	0.06
14.	होटल पाटलिपुत्रा अशोक	32	19.35	—	33	21.22	—	52	16.04	—	18	2.95	—
15.	होटल बोधगया अशोक	68	43.70	2.45	68	50.61	2.72	66	38.88	1.02	22	4.94	—
16.	होटल कालिंगा अशोक	34	4.31	0.08	25	4.65	0.11	21	1.60	0.11	15	0.67	0.03
17.	भरतपुर फौरस्ट लौज	136	59.48	3.96	156	60.65	3.36	181	63.71	3.39	50	10.09 (लगभग)	0.48
18.	होटल मनाली अशोक	6	2.73	0.02	7	0.47	0.05	5	0.35	0.02	06	0.85	0.10
19.	होटल जम्मू अशोक	17	1.84	0.11	14	3.22	0.18	14	2.13	0.10	09	2.00	—
20.	होटल मदुरै अशोक	77	50.44	—	59	47.08	—	57	47.75	—	51	10.99	0.02
21.	टी.ए.बी.आर. म्मालपुरम	98	66.53	0.30	85	55.16	1.73	83	52.03	0.21	43	12.31	0.08
22.	होटल खजूराहो अशोक	56	15.33	0.09	38	13.51	0.18	40	8.42	0.08	11	2.71	—
23.	होटल रनजीत	68	20.49	0.35	49	15.34	4.44	43	15.72	0.06	29	7.19	—
24.	लोधी होटल	106	38.75	0.96	93	37.89	0.98	84	32.23	0.94	37	7.37	0.39
25.	होटल हसन अशोक	148	72.64	0.86	139	74.08	0.46	121	38.65	0.11	35	3.85	0.05
26.	होटल औरंगाबाद अशोक	60	8.44	0.65	44	6.44	0.79	38	6.47	0.63	15	1.79	0.04
27.	होटल इन्द्रप्रस्थ	9	2.56	0.26	7	4.26	0.43	17	7.17	0.72	06	1.12	0.11

कर्नाटक की पर्यटन परियोजनाएँ

5220. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पर्यटन से संबन्धित परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इसके लिए परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और जारी की गई है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जोग जलप्रपात के समग्र विकास हेतु कोई ब्लूप्रिंट भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके अन्तर्गत कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मन्त्री तथा संस्कृति मन्त्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) कर्नाटक के लिए पर्यटन विकास की वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 की परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जोग फाल्स (जल प्रपात) के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्यटन विभाग ने 10.00 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसमें से प्रथम किश्त के रूप में 5.00 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।

विवरण

कर्नाटक के लिए वर्ष 1999.2000 के दौरान स्वीकृत योजनाएँ/ परियोजनाएँ तथा उनके लिए दी गई धनराशि

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	उडुपी जिले के पजाका क्षेत्र में पर्यटक गृह	49.00	15.00
2.	हनुमन्तनगर में पर्यटक गृह	10.00	4.30
3.	सागर, जिला शिमोगा में यात्री निवास	48.00	14.40
4.	यात्री निवास, सिरसी	48.00	14.40
5.	सिद्धरूढ़ा स्वामीमठ में यात्री निवास	38.27	0.01 (टोकन)
6.	गुलबर्गा में पर्यटक सूचना केन्द्र	22.40	6.72
7.	गडबा/लकुंडी में मार्गस्थ सुविधाएँ	30.00	0.01
8.	कुडलिगी बेल्लारी में मार्गस्थ सुविधाएँ	26.00	7.80
9.	धारवाड़ जिले के कंगापुर क्रास पर मार्गस्थ सुविधाएँ	25.00	7.50
10.	बीजापुर जिले के जाल की क्रास पर मार्गस्थ सुविधाएँ	25.00	7.50
11.	बंगलौर स्थित बन्नरघट्टा नेशनल पार्क में मार्गस्थ सुविधाएँ	27.35	8.35
12.	मुथाइलमाडु में नया पर्यटक कुटीर	44.66	13.40
13.	श्री रंगपटनम में अतिरिक्त पर्यटक कुटीर	27.50	8.00
14.	नदीहिल्स पर अतिरिक्त आवास सुविधा	14.30	4.50
15.	जोगफाल जाने वाले आरासीकीरी–हैनओवर मार्ग पर जनसुविधाएँ	8.00	2.40
16.	शिवनासमुद्र (दार्गा के निकट) में जन सुविधाएँ	8.00	2.40
17.	रामदेवर कट्टे में जन सुविधाएँ	8.00	2.40
18.	बांदीपुर के निकट मलेकमन्नहाली में जन सुविधाएँ	8.00	2.40
19.	गुलबर्गा जिले के गानिकपुरा (मन्दिर के निकट) में जन सुविधाएँ	8.00	2.40
20.	हम्पी में जन सुविधाएँ (चार)	32.00	9.60
21.	टुमकुर-हौनोवर रोड पर जन सुविधाएँ	8.00	2.40
22.	बादामी में (गुफा के पास) जन सुविधाएँ	8.00	2.40
23.	श्रीरंगपटनम में (गुम्बज के निकट) जन सुविधाएँ	8.00	2.40
24.	होरानाडु में (कलासा के निकट) जन सुविधाएँ	8.00	2.40
25.	मंगलौर के निकट पिलीकुला निसर्ग धाम में जन सुविधाएँ (दो)	16.00	4.80
26.	जंगल लाजेज टूरिज्म रिजार्ट, हम्पी	49.00	14.70
27.	संके बोट क्लब, बंगलौर में जैट्टी का निर्माण (कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रस्ताव)	5.50	0.04
28.	डोडा मकाली, मंडिया जिले में कावेरी फिशिंग कैम्प यूनिट II में लॉग फौरस्ट का निर्माण	45.40	13.63
29.	चिकमगलूर जिले के केमनगुण्डी में पारिस्थतिकी पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	45.45	13.63
30.	बन्नरघट्टा नेशनल पार्क में स्टुडेन्ट नेचर कैंप फेसिलिटीज का निर्माण	32.00	0.10

1	2	3	4
31.	बंगलौर के निकट बन्नरघट्टा नेशनल पार्क में इको टूरिज्म रिजार्ट	48.00	0.01
32.	मैसूर बेलगाँव में ओवीएम की खरीद	13.62	6.80
33.	देवबाग बीच रिजार्ट के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण की अधिप्राप्ति	5.00	2.50
34.	विभिन्न बोट क्लबों के लिए जल-क्रीड़ा उपकरण	8.67	3.00
35.	चित्रदुर्ग किले की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	18.55	5.56
36.	टिप्स समर प्लेस गुलमर्ग की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	17.23	0.04
37.	हम्पी फेस्टीवल	2.50	1.25
38.	जोग फाल से सम्बन्धित संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट	10.00	5.00
	योग	856.40	214.14

कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	कारबार समुद्रतटों पर जनसुविधा एवं पेयजल सुविधा	7.20
2.	गोकरना, कुमटा तालुका में जनसुविधा एवं पेयजल सुविधा	7.20
3.	कोंडाजी (दावनगेरे जिला) में जनसुविधा एवं पेयजल सुविधा	7.20
4.	गोलगुम्बज तथा इब्राहिम रोजा में जन-सुविधा एवं पेयजल सुविधा	14.40
5.	शिरडी हासन जिले में जनसुविधा एवं पेयजल सुविधा	7.20
6.	नानकझारा के निकट बीदर में जनसुविधा एवं पेयजल सुविधा	7.20
7.	वनवासी में जनसुविधा एवं पेयजल सुविधा	7.20
8.	बसावन बागेवाडी में जनसुविधा एवं पेयजल सुविधा	14.40
9.	करंजी टैंक बर्ड सेंचुरी, मैसूर का विकास	48.00
10.	बिलगिरी, रनगाना हिल्स, मैसूर जिले में यात्री निवास का निर्माण	56.00
11.	तालाकाडु, मैसूर जिले में यात्री निवास का निर्माण	56.00
12.	कर्नाटक के पाँच पर्यटन परिपथों पर सी डी रोम्स का निर्माण	25.00
13.	कैम्पावुडी टैंक, बैंगलौर का नवीकरण एवं विकास	76.00
14.	गुलबर्गा टैंक में संगीतमय फुव्वारों तथा बोटिंग सुविधा का प्रावधान	8.00
15.	हम्पी में विद्यमान सुविधाओं में सुधार सहित पर्यटन का विकास	78.00
16.	मण्डया में पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण	32.00
17.	दत्तापीठ, गनिगापुरा, गुलबर्गा जिले में यात्री निवास का निर्माण	56.00
18.	मलैय्या मन्दिर, मन्सूली गाँव, अथानी, बेलगाँव जिले में यात्री निवास का निर्माण	56.00
19.	पिलिकुल्ला निसर्गधाम मंगलौर में आयुर्वेदिक इलाज एवं कायाकल्प थैरेपी केन्द्र की स्थापना	40.00
20.	देवबाग समुद्रतट रिजार्ट, कारबार में आयुर्वेदिक इलाज एवं कायाकल्प थैरेपी केन्द्र की स्थापना	56.00
21.	मुलवागल, कोलार जिले में होटल मयूर अपूर्वा का उन्नयन	7.50
22.	फोर्ट, चित्रदुर्ग में रेस्तराँ/कैफेटेरिया का निर्माण	24.00
23.	बागलकोट में हैरिटेज ग्राम का विकास	74.00
24.	बनवासी का विस्तृत विकास	76.00
25.	मैसूर में दशहरा उत्सव	5.00
26.	हम्पी में हम्पी उत्सव	5.00
27.	मारावैंथे समुद्रतट, उडुपी जिले में परिप्रदीप्ति का प्रावधान	32.00
28.	मालपे समुद्रतट, उडुपी जिले में परिप्रदीप्ति का प्रावधान	32.00
29.	दरगाह परिसर, मुराग, मल्ला, चितामणि तालुक, कोलार जिले में यात्री निवास का निर्माण	56.00
	कुल	960.50

रेल दूरसंचार निगम की स्थापना

5221. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति :**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत भारतीय रेल दूरसंचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस निगम के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या निगम ने अपने कार्यालय से पूर्णरूपेण कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह निगम किस स्थान पर स्थित है;

(ङ) क्या निगम के लिपिकीय, तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को बाहर से नियुक्त किया जाएगा;

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में श्रेणीवार क्या मानदण्ड अपनाया जाएगा; और

(छ) भर्ती प्रक्रिया कब तक शुरू की जाएगी?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ। निगम की स्थापना इन उद्देश्यों से की गई है :

(i) रेलों की संचार आवश्यकता को पूरा करना; (ii) राष्ट्रव्यापी ब्रांड-बैंड दूरसंचार अवसंरचना का सृजन; (iii) रेलों के लिए अतिरिक्त राजस्व का सृजन।

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिलहाल निगम रेलवे बोर्ड में अस्थाई रूप से मुहैया कराए गए स्थान से कार्य कर रहा है।

(ङ) से (छ) निगम के लिए लिपिकीय तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। यदि रेलों से उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे तो खुले बाजार से भी कर्मचारियों को लिया जा सकता है।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

5222. श्री राम मोहन गाइडे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्तूबर, 2000 को उलवपाडु-नेट्टू रेलवे स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी रेल पटरी से उतर गई थी जिससे 20 मालडिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितने मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच कराई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) गाड़ी के पटरी से उतरने का कारण पटरी में दरार का होना है। रेल परिसम्पत्ति की हुई हानि की लागत 40,70,710 रुपए है।

(ग) जी हाँ,

(घ) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार गाड़ी पटरी में दरार होने के कारण उतरी थी। इस दुर्घटना में किसी रेलकर्मी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। बहरहाल, पराश्रव्य दोष संसूचक तथा गश्त लगाने पर काफी जोर दिया गया है।

[हिन्दी]

विलायक बनाने वाले संयंत्र

5223. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नैफ्था से विलायक बनाने वाले छोटे और बड़े संयंत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत दो महीनों के दौरान ये सभी संयंत्र बन्द हो गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बन्द पड़े संयंत्रों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध विक्रेता

5224. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर अवैध कुलियों और अवैध विक्रेताओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक डिवीजन में निवारात्मक जाँच कराई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अप्राधिकृत कुलियों और फेरीवालों की गतिविधियों के कारण यात्रियों द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर जाँच के दौरान अप्राधिकृत रूप से कुलियों और फेरी वालों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति पकड़े गए थे उनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई थी। वर्ष 1997, 1998, 1999 और 2000 (नवम्बर तक) के दौरान क्षेत्रीय रेलों में इस प्रकार पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

रेलवे	1997	1998	1999	2000 (नवम्बर तक)
1	2	3	4	5
मध्य	6462	7125	9078	10842
पूर्व	1202	1805	2585	1207

1	2	3	4	5
उत्तर	1294	899	1174	1398
पूर्वोत्तर	176	198	211	258
पू मो	50	80	50	90
दक्षिण	8620	11136	10578	9373
दक्षिण मध्य	4049	4009	6948	8686
दक्षिण पूर्व	1041	1357	1459	1987
पश्चिम	5591	6914	6955	6456

खिलाड़ियों को नौकरी

5225. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे में जोनवार और खेलवार कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है; और

(ख) इनमें से कितने खिलाड़ियों का प्रदर्शन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों में संतोषजनक रहा है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल समन्वयन समिति द्वारा पूर्व कर विवरण के लिए गणना

5226. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समन्वयन समिति ने वास्तविक भुगतान का सत्यापन किए बिना 12 प्रतिशत का पश्चात विवरण के बजाय 23.10 प्रतिशत कर पूर्व निर्धारण की अनुमति देते हुए धारण मूल्य की गणना की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1995-96 के दौरान तेल कम्पनियों को भुगतान किए गए वास्तविक कर के सत्यापन से पता चला है कि उन्हें कम से कम 2154.75 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तेल कम्पनियों को ऐसे अतिरिक्त भुगतान किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन कम्पनियों से इस राशि की वसूली और अपराधी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) तेल समन्वय समिति (ओ.सी.सी.) ने तेल लागत पुनरीक्षा समिति (ओ.सी.आर.सी.) की सिफारिशों के सम्बन्ध में दिनांक 23 अक्तूबर, 1986 के सरकारी निर्णयों के आधार पर ऋणों पर ब्याज सहित नेट वर्थ पर करोपरान्त 12 प्रतिशत की दर से प्रत्याय दर की अनुमति दे दी है। सरकार द्वारा 1996 में इस निर्णय की पुनः पुष्टि की गई कि नेट वर्थ पर प्रत्याय दर की अनुमति नैगम कर की प्रचलित दर पर ग्रास्ड अप 12 प्रतिशत की दर से दी जानी है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में तेल के भण्डार

5227. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम राजस्थान में भारी मात्रा में तेल और गैस के भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार राजस्थान में पेट्रोरसायन उद्योग और तेल शोधनशाला की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार मथुरा तेल शोधनशाला या पंजाब में कपूरथला से कच्चे तेल की ढुलाई करने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने वाले पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) और (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने राजस्थान के जैसलमेर जिलान्तर्गत प्राकृतिक गैस की कुल 11.73 बिलियन घनमीटर स्थानिक मात्रा प्रमाणित की है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रतिदिन 0.463 मिलियन मीट्रिक घनमीटर की दर पर की जा रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के अन्तर्गत बाधेवाल तेल क्षेत्र में भारी तेल की विद्यमानता प्रमाणित की है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुडामलानी में एक निजी प्रचालक के द्वारा भी तेल की खोज की गई है। यहाँ प्रचालक के द्वारा अनुमानित, प्रारम्भिक स्थानिक तेल भण्डार 0.19 मिलियन टन है। इन तेल खोजों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। इसलिए इन क्षेत्रों से कच्चे तेल के परिवहन के सम्बन्ध में वर्तमान में विचार नही किया गया है।

(ख), (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान युद्ध-1965

5228. श्री विजय गोयल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न समाचार पत्रों में हाल ही में प्रकाशित 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध सम्बन्धी समाचार रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने पहले उक्त रिपोर्ट को न छापने का फैसला किया था;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी सेवानिवृत्त सेना अधिकारी द्वारा 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान के युद्ध की एक रिपोर्ट को कुछ समाचार पत्रों में छपवाया गया है;

(ङ) क्या ये दोनों रिपोर्टें एक दूसरे की विरोधाभाषी हैं;

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अभिलेखों में तथ्यपरक सूचना रखे जाने के मद्देनजर सही और अधिप्रमाणित रिपोर्ट को छापने और जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) क्या सरकार का विचार इसी तरह से 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के इतिहास को छापने का है?

रक्षा मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पुस्तक की अन्तर्वस्तु तथा पाकिस्तान के साथ जारी सम्बन्धों को देखते हुए विगत में भारत-पाक युद्ध के आधिकारिक पाठ का सामान्य प्रकाशन टाल दिया गया था।

(घ) से (च) वर्ष 1991 में पश्चिमी कमान के तत्कालीन जी.ओ. सी-इन-सी. ले. जनरल (सेवानिवृत्त) हरबक्श सिंह ने 'वार डिस्पैचेज इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट, 1965' शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। 'इन लाइन ऑफ ड्यूटी—ए सोल्जर रिमेम्बर्स' नाम से एक दूसरी पुस्तक भी हाल ही में प्रकाशित हुई है। ऐसा लगता है कि 1965 के युद्ध के आधिकारिक इतिहास में शामिल इस सेक्टर की लड़ाई की घटनाएँ और रणनीतियाँ भी निजी प्रकाशनों में छपी हैं। युद्ध सम्बन्धी निजी प्रकाशनों और आधिकारिक इतिहास के बीच कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है।

(छ) 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध के इतिहास के प्रकाशन के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

जेनरल सेल्स एजेन्ट, लन्दन को कमीशन का भुगतान

5229. श्री भीम दाहाल :
श्री सुनील खां :
प्रो. आई.जी. सनदी :
श्री विनय कुमार सोराके :
कर्नल (सेवा निवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के प्रबन्ध निदेशक ने लन्दन के जेनरल सेल्स एजेन्ट को 3 करोड़ रुपए के कमीशन का भुगतान किए जाने का पक्ष लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाया गया है;

(घ) क्या इस मामले की जाँच कराई गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअर इंडिया से एक प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि लन्दन में एयर इंडिया के सामान्य विक्रय एजेन्ट, मैसर्स बैलकम ट्रेवल्स को वर्ष 1997-1998 में उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन के स्लेबों में परिवर्तन करके 3 करोड़ रुपए का लाभ पहुँचाया गया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया के अधिकारियों द्वारा मैसर्स बैलकम ट्रेवल्स के प्रति दिखाई गई पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के सम्बन्ध में आरोपों की सच्चाई की मन्त्रालय में छानबीन की जा रही है।

नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती

5230. श्री सुनील खां : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों की भर्तियाँ हो रही हैं जबकि खड़गपुर डिवीजन गैंगमैन के प्रशिक्षु सूची से बाहर हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) :(क) जी, नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आग से क्षतिग्रस्त कैफ्टेरिया

5231. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 सितम्बर, 2000 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर आग से क्षतिग्रस्त हुए एक कैफ्टेरिया से यह तथ्य फिर से उजागर हुआ है कि यह विमानपत्तन ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों से पूर्णतया सुसज्जित नहीं है;

(ख) क्या के.एल.एम. की एक उड़ान जो कैफ्टेरिया के नजदीक एअरोब्रिज से टकराने वाली थी उसे पथपरिवर्तित करके किसी दूसरे एयरोब्रिज के पास उतारा गया था;

(ग) क्या अग्निशमन कर्मचारी के पहुंचने पर वहां कोई आपातकालीन लाइट उपलब्ध नहीं थी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। दिनांक 27 सितम्बर, 2000 को 2200 बजे टर्मिनल-II में अशोका कैफ्टेरिया के रसोईघर में आग लग गई थी। अग्निशमन के कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई की और 10 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया था। इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरी तरह से आग बुझाने वाले यन्त्र मौजूद हैं।

(ख) जी, हाँ। के.एल.एम. की उड़ान को पूर्वोपाय के रूप में दूसरे एरोब्रिज पर परिवर्तित कर दिया गया था। वस्तुतः कैफ्टेरिया के निकट एरोब्रिज को कोई क्षति नहीं पहुँची।

(ग) और (घ) घटना-स्थल पर जब अग्निशमन अधिकारी पहुँचे तो उनके पास आपातकालीन लाइट उपलब्ध थी।

'एच.पी.सी.एल.' के खिलाफ शिकायतें

5232. श्री सईदुज्जमा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 सोरेन्टो माउन्ट प्लैजेन्ट रोड, मुम्बई स्थित 'एच. पी. सी. एल.' के पट्टे पर लिए गए मकान के पट्टे का निर्धारित अवधि से पहले समाप्त होने और तत्पश्चात निगम के पूर्व निदेशक (विपणन) के निकट सम्बन्धी द्वारा बहुत ही कम कीमत पर इसकी खरीद के बारे में शिकायतें हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड का कार्यभार संभालना

5233. श्री बी.वी एन. रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मन्त्रालय ने हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए उनके मन्त्रालय से सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया।

कपास का निर्यात कोटा

5234. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र आयुक्त मुम्बई कपास-निर्यात के सम्बन्ध में हुए समझौते की शर्तों को लागू करने में असफल रहने और निर्यात बाध्यता को पूरा न करवाने के कारण वर्ष 1995-96 के दौरान बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई और 24% बैंक गारंटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा साथ ही 3.82 करोड़ रुपए के अर्थदण्ड की वसूली भी नहीं हो पाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस मामले की जाँच की गई है और इस सम्बन्ध में कोई जायाबदेही तय की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. धनन्जय कुमार) : (क) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई वर्ष 1995-96 के कपास मौसम में निर्यात के चार मामलों में बैंक गारण्टी को जब्त नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप 3.82 करोड़ रुपए के जुर्माने की प्रतिपूर्ति नहीं हुई। जुर्माने के साथ-साथ उस पर 24 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए, वस्त्र आयुक्त ने उच्च न्यायालय पीठ, मुम्बई में संक्षिप्त मुकद्दमा दायर किया है।

(ख) से (घ) इसके लिए दायित्व निर्धारित करने के लिए, एक प्राथमिक जाँच आयोजित की गई और प्राथमिक जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगामी कार्यवाही शुरू की गई है।

नदी पर पुल के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. द्वारा धन जारी करना

5235. श्री राजैया मल्याला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय एवं तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी

नदी की वशिष्ट शाखा पर 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले एक पुल के निर्माण के लिए आपस में सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पुल की लागत में वृद्धि होने के कारण पुल की सम्पूर्ण लागत 59 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने पुल का कार्य पूरा करने के लिए 29.5 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. को दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो मामले की क्या स्थिति है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। आँध्र प्रदेश सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय, भारत सरकार और आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी की वशिष्ट शाखा के आरपार लागत भागीदारी आधार पर सेतु का निर्माण करने के लिए परस्पर सहमति प्रदान नहीं की है। तथापि, ओ. एन. जी. सी. ने सेतु निर्माण की कुल लागत के अपने 50 प्रतिशत हिस्से के रूप में 6 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान करने के लिए सहमति प्रदान कर दी थी। आँध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आरम्भ में इस लागत के 12 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उक्त सेतु की लागत अब बढ़कर लगभग 59 करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ओ.एन.जी.सी. अपने हिस्से के अंशदान के रूप में इस परियोजना के लिए पहले ही 6.00 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है।

'स्टैण्ड एलोन' तेल शोधक कारखाने

5236. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रशासनिक मूल्य निर्धारित तन्त्र (ए.पी.एम.) को समाप्त करने के पश्चात 'स्टैण्ड एलोन' तेल शोधक कारखानों का भविष्य क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे तेल शोधक कारखानों की मदद करने हेतु नीति बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन 'स्टैण्ड एलोन' तेल शोधक कारखानों की उपेक्षा के कारण छोटे शेयर धारकों की बचत खतरे में पड़ गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रशासनिक मूल्य निर्धारण तन्त्र (ए.पी.एम.) की समाप्ति के बाद के परिदृश्य में 'स्टैण्ड एलोन' तेल शोधक कारखानों के पुनरुद्धार हेतु एक निर्धारित समयावधि में अध्ययन करने के लिए एक कृतिक बल गठित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने अपनी तरह की अकेली रिफाइनरियों को सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कम्पनियों के साथ एकीकरण करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त व्यवस्था के तहत चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.) तथा बोंगाई गाँव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी. आर.पी.एल.), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) की सहायता कम्पनियां बनाई जाएंगी तथा कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (के.आर.एल.) एवं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन.आर.एल.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) की सहायक कम्पनियां बनाई जाएंगी।

इस व्यवस्था से अपनी तरह की अकेली रिफाइनरियों को नियंत्रण मुक्ति की चुनौतियों का और अच्छी तरह सामना करने में सहायता मिलेगी साथ ही साथ इससे विशेषतया दक्षिणी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में वृद्धि होगी।

तेल के उत्पादन पर निर्देशित कीमत निर्धारण तन्त्र का प्रभाव

5237. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र के निर्देशित कीमत निर्धारण तन्त्र को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से देश में तेल के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) के तहत स्वदेशी कच्चे उत्पादक अपने क्रूड के लिए तेल के उत्पादन की वास्तविक लागत से सम्बद्ध मूल्य प्राप्त कर रहे थे। प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति पर स्वदेशी कच्चा तेल उत्पादकों को देय मूल्य कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध कर दिया गया है। इस परिवर्तन से अन्वेषण और उत्पादन कम्पनियों के पास और अधिक अधिशेष होने की सम्भावना है। इससे अन्वेषणात्मक और विकासात्मक प्रयासों में और अधिक तेजी आने की सम्भावना है।

हवाई कार्गो में वृद्धि

5238. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि देश में बुनियादी ढांचे की कमियां और लम्बी प्रक्रियाओं के कारण अधिक समय लगने से हवाई कार्गो के फैलाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनलों की कुल बुनियादी सुविधाओं का एक तिहाई हिस्सा ऐसे कार्गो में फँसा रहता है जिनका कोई दावेदार नहीं होता; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने आज की तारीख में ऐसे कार्गो के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की है, जिसका कोई दावेदार नहीं है?

नागर विमानन मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन में हवाई कार्गो में बुनियादी सरचना सम्बन्धी कतिपय कमियों के बारे में उल्लेख किया गया है। किन्तु सीमा शुल्क और क्लियरिंग एजेन्टों की एसोसिएशन के साथ मिलकर मुम्बई और दिल्ली में स्वतन्त्र अध्ययन किया गया है क्योंकि क्लियरेंस दस्तावेज फाइल करने और आयातकों द्वारा सीमा शुल्क प्रभार की प्राप्ति में विलंब के लिए आयात कार्गो को जिम्मेदार ठहराया गया। यद्यपि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने ठहरने का समय कम करने के लिए सिस्टम शुरू किया है ताकि बुनियादी संरचना की सुविधाओं की अनुकूलतम उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) महानगरों के चारों हवाई अड्डों में बिना क्लियर किए गए बिना दावे के आयात कार्गो का संग्रहित स्टॉक दो विशेष परियोजनाओं– 'ऑपरेशन इन्स्टैन्ट कार्गो-I' और 'ऑपरेशन इन्स्टैन्ट कार्गो-II को समाप्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर गत तीन वर्षों में 81 नीलामी हुई जिसमें 1,11,134 पैकेजों की बिक्री हुई और इससे राष्ट्रीय खजाने में 31.52 करोड़ रुपए की बिक्री आय प्राप्त हुई जिससे इन पैकेजों से भरी हुई जगह को खाली किया गया।

एयर इन्डिया की उड़ाने बन्द करना

5239. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एयर इन्डिया ने कई अन्तर्राष्ट्रीय राजधानियों के लिए अपनी उड़ानें बन्द कर दी हैं और राजनायिक दर्जे के अधिकारियों को सप्ताह में कई बार नई दिल्ली कोरियर के रूप में भेजा जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे फालतू खर्च से बचने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

नागर विमानन मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए केवल मास्को से दूतावास के अधिकारियों को ही नई दिल्ली कोरियर के रूप में भेजा जाता है।

त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर चौबीस घण्टे प्रचालन

5240. श्री वी. एस. शिवकुमार : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के निर्माण-कार्य का उद्घाटन करते हुए, माननीय मन्त्री महोदय ने घोषणा की है कि त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर चौबीसों घंटे प्रचालन शुरू किया जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) 1 सितम्बर, 2000 से त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से चौबीसों घण्टे प्रचालन आरम्भ कर दिए गये हैं।

प्रधान मन्त्री के दौरों पर एयर इन्डिया के व्यय

5241. श्री एस. पी. लेपचा : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया के जिस विमान से प्रधान मन्त्री अमेरिका गए थे, उसे अमेरिका में पूर्णतया खड़ा रखा गया था और भारत में एअर इंडिया के एक अन्य विमान को तैयार रखा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो प्रधान मन्त्री के अमेरिका दौरे की पूरी अवधि के दौरान दोनों विमानों के लिए विमान भाड़े का कितना घाटा होने का आकलन किया गया; और

(ग) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की तुलना में एयर इंडिया की परिचालन लागत, अनुरक्षण, लाभ-हानि और उससे हुए घाटे से संबन्धित तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं?

नागर विमानन मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) भारत सरकार एअर इंडिया की अति महत्त्वपूर्ण उड़ानों के लिए विमान चार्टर करती है और विमान का प्रचालन भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। भारत में कोई भी विमान (विमानों) को वैकल्पिक विमान के रूप में नहीं रखा जाता है।

(ख) एयर इन्डिया की अनुसूचित उड़ानों के पुनः मार्ग परिवर्तन अथवा रद्द न होने के कारण विमान-भाड़े की कोई हानि नहीं हुई थी।

(ग) एयर इन्डिया अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए उड़ानों का प्रचालन न-लाभ-न-हानि के आधार पर करती है। दूसरे शब्दों में, एअर इन्डिया द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए उड़ानों पर किए गए व्यय के बिल सरकार को भेज दिए जाते हैं।

गैस आधारित बिजली संयंत्र

5242. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का गैस पर आधारित कुछ बिजली संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गैस पर आधारित कितने बिजली संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने तरल एवं गैस दोनों विकल्पों के साथ संयुक्त उद्यम के तहत दोहरी ईंधन विद्युत परियोजना के विकास के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया है।

360 मेगावाट क्षमता वाली इस विद्युत परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य के अन्तर्गत हजीरा में किए जाने की योजना है।

ड्यूटी में लापरवाही

5243. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2000 के अन्तिम सप्ताह में एयर इन्डिया को मुम्बई, चेन्नई, कुआलालमपुर-सिंगापुर एयरबस को उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही चूहों के कारण वापिस उतारना पड़ा था;

(ख) हवाई जहाजों में चूहों द्वारा उत्पन्न संकट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ानों के जाने से पहले जहाजों में नियमित रूप से धुंआ नहीं छोड़ा जाता; और

(घ) लापरवाही के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मन्त्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, हाँ। एअर इन्डिया के विमान ए आई-488 में केबिन कमोंडल को जब चूहा दिखाई दिया, विमान को मुम्बई वापस लौटा लिया गया और धूमन भी किया गया। फल सब्जियाँ और अन्य कच्ची खाद्य सामग्री वाले कन्टेनरों में घुस कर चूहे विमान में प्रवेश कर जाते हैं। वे कैटरिंग हाई-लिफ्ट्स, एयरोब्रिज इत्यादि पर चढ़कर विमान में घुस आते हैं। एयर इन्डिया अपने नियन्त्रणाधीन सभी क्षेत्रों के लिए चूहा उपद्रव नियन्त्रण के लिए कार्यक्रम चला रही है। विमान में चूहा दिखाई देने पर समय-समय पर धुआँ छोड़ा जाता है।

अल्प सूचना प्रश्न

पुरानी प्रौद्योगिकी का आयात

1. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए पुरानी प्रौद्योगिकी का आयात किया है, जैसा कि 10 दिसम्बर, 2000 के 'दि पायनियर' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो पुरानी प्रौद्योगिकी के आयात पर भारतीय रेल ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं जो इस समय व्यर्थ हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और इसके लिए किस पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई?

रेल मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) जी, नहीं। इस मन्त्रालय द्वारा मालगाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली (एफ.ओ.आई.एस.) के लिए कभी भी किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का आयात नहीं किया गया है जो इसकी खरीद के समय पुराना था। समाचार पत्र में भारतीय रेलों द्वारा 1980 के दशक में खरीदे गए ट्रैफिक रिपोर्टिंग एण्ड कंट्रोल सिस्टम (ट्रैक्स) सॉफ्टवेयर का हवाला दिया गया है जो बाद में अप्रचलित हो गया था। अब इस अनुप्रयोग को मौजूदा प्रौद्योगिकी के अनुरूप विकसित कर लिया गया है तथा उक्त खरीद के सन्दर्भ में सृजित अवसंरचना का पूरी तरह उपयोग करके चरण-I को भारतीय रेलों के 15 मण्डलों पर कार्यान्वित कर दिया गया है। अतः उस समय किया गया खर्च न तो फिजूलखर्च था और न ही इसमें किसी प्रकार की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न उठता है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपरान्ह 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 1105 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न् 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न् 2.00 बजे पुनः समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपराह्न् 2.01¼ बजे

(इस समय श्री रवि प्रकाश वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। *देखिए* संख्या एल.टी. 3054/2000]

रेल मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 3055/2000]

(ख) (एक) रेल इन्डिया टेक्निकल एण्ड एकनोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल इन्डिया टेक्निकल एण्ड इकनोमिक सर्विसिज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3056/2000]

(3) (एक) रेलवे स्पोर्टस प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्टस प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 3057/2000]

(4) (एक) इन्डियन रेलवे वेलफेयर आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डियन रेलवे वेलफेयर आर्गनाइेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3058/2000]

रक्षा मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3059/2000]

(2) हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3060/2000]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री तथा पोत परिवहन मन्त्री (श्री अरूण जेटली) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य परिवहन (कोयम्बटूर डिवीजन-I) लिमिटेड और तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (कोयम्बटूर डिवीजन-III) लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2000 जो 7 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 991(अ) में प्रकाशित हुए थ, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3061/2000]

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1999 से 31 दिसम्बर, 1999 की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित 29वें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3062/2000]

(3) (एक) इंटरनेशनल सेन्टर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेन्टर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3063/2000]

(4) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) जैव विविधता विधेयक, जनवरी 2000, के बारे में एक सौ इकहत्तरवाँ प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 3064/2000]

(दो) बलातसंग विधि समीक्षा, मार्च 2000 के बारे में एक सौ बहत्तरवाँ प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3065/2000]

(तीन) आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000, अप्रैल, 2000 के बारे में एक सौ तेहत्तरवाँ प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 3066/2000]

(चार) हिन्दू विधि, के अन्तर्गत महिला सम्पत्ति अधिकार: प्रस्तावित सुधार, मई, 2000 के बारे में एक सौ चौहत्तरवाँ प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल. टी. 3067/2000]

(5) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 3068/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं, श्री सुन्दर लाल पटवा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 886(अ) जो 22 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें यह घोषणा की गई है कि आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में 31 माच, 2002 तक कोई सर्वेक्षण अनुमति अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है।

(दो) सा.का.नि. 887(अ) जो 22 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें यह घोषणा की गई है कि कर्नाटक के माण्डिया जिले में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में 31 मार्च, 2002 तक कोई सर्वेक्षण अनुमति अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3069/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): मैं, श्रीमती मेनका गांधी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3070/2000]

(ख) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3071/2000]

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 3072/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3073/2000]

(ख) (एक) आइ.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनी, कलकत्ता, के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड और उसकी सहायक कम्पनी, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3074/2000]

(ग) (एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल. टी. 3075/2000]

(2) (एक) तेल एद्योग विकास बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3076/2000]

खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3077/2000]

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी. धनंजय कुमार) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3078/2000]

(ख) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3079/2000]

(ग) (एक) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.3080/2000]

(घ) (एक) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-1999 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3081/2000]

(3) (एक) इन्डिया जूट इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डिया जूट इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3082/2000]

(4) (एक) साउथ इन्डिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, कोयंबतूर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इन्डिया टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, कोयंबतूर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3083/2000]

(5) (एक) बाम्बे टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाम्बे टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3084/2000]

(6) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3085/2000]

(7) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3086/2000]

(8) (एक) पावरलूम डेवलपमेन्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेन्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थाल में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3087/2000]

(9) (एक) सेन्ट्रल वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3088/2000]

(10) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3089/2000]

(11) (एक) जूट विनिर्माण विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट विनिर्माण विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3090/2000]

(12) (एक) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3091/2000]

(13) (एक) नार्दन इन्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोशिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्दन इन्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोशिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3092/2000]

(14) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3093/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ई. पोन्नुस्वामी) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 3094/2000]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 3095/2000]

(ग) (एक) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बइ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3096/2000]

(घ) (एक) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3097/2000]

(ङ) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इन्डिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3098/2000]

(च) (एक) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3099/2000]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 786 (अ) जो 16 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 843 (अ) जो 31 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 846(अ) जो 3 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (अध्यापन शुल्क की प्रतिपूर्ति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 887(अ) जो 3 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें मुरमूगाँव पत्तन कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 2000 का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(पांच) सा.का.नि. 851(अ) जो 7 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (अवकाश) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा. का. नि. 857(अ) जो 9 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 874(अ) जो 17 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जेएनपीटीई (अवकाश) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 899(अ) जो 28 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति, आदि) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा.का.नि. 896(अ) जो 24 नवम्बर 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 26 सितम्बर, 2000 की अधसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ) का शुद्धि पत्र अन्तर्विष्ट है।

(दस) सा.का.नि. 912(अ) जो 11 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडाला पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2000 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3100/2000]

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वार्षिक लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3101/2000]

(3) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वार्षिक लेखे।

(दो) विशाखपत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3102/2000]

(4) (एक) अर्स्टवाइल, मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अर्स्टवाइल, मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3103/2000]

(5) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3104/2000]

(6) (एक) मद्रास डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3105/2000]

(7) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3106/2000]

(8) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3107/2000]

(ख) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3108/2000]

(ग) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3109/2000]

(घ) (एक) विशाखापत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3110/2000]

(ङ) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3111/2000]

(9) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3112/2000]

(10) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3113/2000]

अराह्न 2.01½ बजे

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने शुक्रवार 15 दिसम्बर 2000 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा की अनूसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ श्री के. जी. भूटिला, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर समिति शेष कार्यकाल के लिए राज्य सभा के एक सदस्य को सहबद्ध करने के लिए नाम-निर्दिष्ट करने की सिफारिश से सहमत हुई और प्रस्ताव करती है कि सभा उक्त समिति में कार्य करने के लिए एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार सभा के सदस्यों में से एक सदस्य का निर्वाचन करें।"

2. मुझे लोक सभा को यह सूचना भी देनी है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में श्री पाल्देन त्सेरिंत्र ग्यामत्सो, सदस्य, राज्य सभा को उक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है।

(ii) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2000 को पारित किए गए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(iii) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 दिसम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2000 को पारित किए गए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2000 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक लेखा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का सर्किल स्टाम्प डिपुओं के कार्यकरण के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 2.02¼ बजे

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 2.02½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. बी.बी. रमैया (एलूरू) : मैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय का "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देशों में संशोधन के प्रस्ताव" के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

आराह्न 2.02¾ बजे

विदेशी मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति

(एक) चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : मैं विदेशी मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के "विदेश मन्त्रालय की वर्ष 2000-2001 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(दो) विवरण

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : मैं विदेश मन्त्रालय की 1999-2000 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी पहले प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 2.03¼ बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : मैं शहरी तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति का दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 2.03¾ बजे

उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति

तैंतालीसवां और चवालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

(एक) श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : मैं उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति के लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के बारे में तैंतालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(दो) डा. बी.बी. रमैया (एलरू) : मैं उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति का बायनल ग्रुप ऑफ कम्पनीज की निष्पादन समीक्षा के बारे में चौवालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 2.04 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वन (संरक्षण) अधिनियम के कारण विभिन्न राज्यों में विकासात्मक परियोजनाओं को मन्जूरी न देना

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं पर्यावरण एवं वन मन्त्री का ध्यान अविलम्बलीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

> "वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण विभिन्न राज्यों में जनोपयोगी विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, सबसे पहले मैं इस सम्मानित सभा को हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहने की स्वस्थ परम्परा की याद दिलाना चाहता हूँ।

मानव की दीर्घकालिक उत्तरजीविता और प्राकृतिक वनों के अनुरक्षण के बीच निकट सम्बन्ध को हमारे समाज ने सदैव समझा है।

फिर भी, स्वतन्त्रता के बाद एक ही लक्ष्य से प्रेरित विकास नीति के फलस्वरूप विभिन्न गैर वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का अत्यधिक उपयोग किया गया है।

वर्ष 1950 से 1980 की अवधि के दौरान अन्य प्रयोजन हेतु वन भूमि की दर प्रतिवर्ष 1.5 लाख हेक्टेयर थी और इससे गम्भीर राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हुई।

यह जानकर कि वन क्षेत्र में कमी एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है, जिसमें केन्द्र और राज्य को सक्रिय भूमिका अदा करनी है, "वन" विषय को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया।

"वन" को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद संघ के विधान मण्डल के इस समवर्ती क्षेत्र के केवल एक पहलू अर्थात् "वनों का संरक्षण" पर ध्यान दिया है और इसके लिए इस सम्माननीय सभा ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया है जब कि वनों के संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित दूसरे मुद्दों को राज्स सरकार के लिए छोड़ दिया गया है।

इस अधिनियम ने कुछ सीमा तक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है क्योंकि वन भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग की दर 1980 के पूर्व के 1.5 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष से घटकर 20,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष तक कम हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, सभा पटल पर वक्तव्य रख सकते हैं।

श्री. टी. आर. बालू : जी, हाँ।

*इस लक्ष्य को हासिल करते समय केन्द्र सरकार विकास की आवश्यकताओं के प्रति भी संवेदनशील रही है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रगति की हम निरन्तर समीक्षा कर रहे हैं।

समय-समय पर नियमों एवं दिशानिर्देशों को सुव्यवस्थित और सरल और उद्यतन बनाया गया है ताकि इस अधिनियम की भावना से समझौता किए बिना किसी प्रस्ताव पर निर्णय शीघ्रता से लेना सुनिश्चित हो सके।

वर्ष 1980 से इस अधिनियम के अन्तगत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 4.93 लाख हेक्टेयर वन भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए 6080 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 1977 से 1999 तक 2953 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 2016 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 247 प्रस्ताव गुणावगुणों के आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए और 91 प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

शेष प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा या तो वापस ले लिए गए हैं अथवा राज्य सरकारों से आवश्यक जानकारी के अभाव में इन पर निर्णय नही लिया जा सका है।

जिन परियोजनाओं पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है उनका प्रतिशत लगभग 75 है।

विभिन्न परियोजनाओं के समय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परियोजनाओं की मन्जूरी में विलम्ब मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से है :

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी परियोजना की अर्जी देने और केन्द्र सरकार द्वारा इसकी प्राप्ति के मध्य समय विलम्ब।

2. आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने में राज्य सरकार द्वारा लिया गया समय।

3. चरण-एक में निर्धारित शर्तों विशेषकर वनेत्तर भूमि वन विभाग के नाम करने के अनुमोदन का अनुपालन और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत का प्रमाण।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसियों ने विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम वन भूमि का पता लगाने हेतु मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

वन भूमि के विकल्प न ढूँढ़ने की भी समस्या है। परियोजना के अनेक विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों के कारण अनेक बार हमारे लिए समस्या पैदा हो जाती है।

इन समस्याओं को दूर करने सम्बन्धी प्रस्तावों के संशोधन में बहुत अधिक समय लगता है।

---

*वक्तव्य का कुछ लिखित अंश सभा पटल पर भी रखा गया।

परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं :

1. राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए देश में छह क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। और उन्हें पांच एकड़ तक वन भूमि (खनन और अतिक्रमण के नियमन के अलावा) के मामलों में निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। पूर्ण रूप से प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों पर उनकी प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाना चाहिए।

2. मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकारों और प्रयोक्ता एजेंसियों के पास लंबित मामलों की आवधिक समीक्षा करते हैं ताकि विसंगतियों को दूर किया जा सके। कभी-कभी वन सलाहकार समिति चर्चा और स्पष्टीकरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को आमंत्रित भी करती है ताकि परियोजना अविलम्ब अन्तिम निर्णय लिया जा सके।

3. राज्य सरकार को प्रतिपूरक वनरोपण के उद्देश्य हेतु भूमि बैंक बनाने के लिए कहा गया है ताकि वनेतर भूमि की पहचान करने और उसे वन विभाग के नाम करने के प्रस्तावों में विलम्ब न हो।

4. क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्माण स्थल का जहाँ कहीं शीघ्र अपेक्षित हो, निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि मन्त्रालय सभी प्रकार के पूर्ण रूप से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी प्राप्ति से 90 दिन के भीतर निर्णय लिया जा सके।

5. सभी संबद्ध लोगों को यह बता दिया गया है कि सम्पूर्ण अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों से एक साथ मांगी जाए। थोड़ी-थोड़ी जानकारी न मांगी जाए।

मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे सहयोगियों द्वारा मेरे नोटिस में लाए गए सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में हुई प्रगति की निगरानी करता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि इन परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए।

पर्यावरण और वन मन्त्री का कार्यभार सम्भालने के पश्चात्, सरकार को 1284 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

इस 880 प्रस्तावों पर अन्तिम स्वीकृति और 590 प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे पाए हैं।

इस अवधि के दौरान 167 मामलों को गुणावगुणों के आधार पर रद्द कर दिया गया है।

मैं इसी गति से काम करके बैकलॉग को यथा शीघ्र निपटाना चाहता हूँ।

राज्य-सरकारों को इस स्थिति को समझना चाहिए और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत इन प्रस्तावों से सम्बद्ध आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

परियोजना-निर्माण के चरणों से ही प्रयोक्ता एजेंसियों को वन विभाग से परामर्श करने का मशविरा दिया जाना चाहिए ताकि बाद में उठाए जाने वाले प्रश्नों और आपत्तियों से बचा जा सके।

हम अपनी ओर से उसमें नयापन लाने का प्रयास करेंगे तथा संरक्षण और विकास उद्देश्यों में पूरा तालमेल सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करेंगे।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएँ।

(व्यवधान)

(एक) दिल्ली के झुग्गी वासियों का दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, दिल्ली के विभिन्न भागों से झुग्गी-बस्तियों को उठा कर नरेला विधान सभा क्षेत्र के टीकरी खुर्द गांव, गौतम कालोनी तथा भलस्वा में बसाया जा रहा है जिससे यहाँ के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके यहाँ बसने से न तो गांव वालों को फायदा होगा और न ही झुग्गी वालों को, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार नहीं हैं और न ही इनके लिए यहां बिजली व पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। इससे अच्छा तो यह होता कि इन झुग्गी वालों को शहर के पास ही किसी जगह पर जगह विकसित कर बसाया जाता जिससे इन्हें दूर न जाना पड़ता और काम-धंधा भी उपलबध हो जाता क्योंकि जिस जमीन पर इन्हें बसाया जा रहा है, वह पार्क, स्कूल व अस्पताल बनाने के लिए सुरक्षित थी। इन झुग्गियों के बसने से यहाँ के लोग इन नागरिक सुविधाओं से वंचित रह जाएँगे।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि इन झुग्गी बस्तियों को नरेला विधान सभा क्षेत्र के देहाती क्षेत्रों में न बसाकर इन्हें शहर के पास ही जगह विकसित कर बसाया जाए।

(दो) राजस्थान में अलवर और हरियाणा में नारनौल के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

डॉ. जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : मान्यवर, अलवर राजस्थान का एक महत्त्वपूर्ण जिला है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अलवर में उद्योग, शिक्षा संस्थान, कालेज विभिन्न अनुसधान केन्द्र स्थापित हैं। दूध की यहाँ नदियाँ बहती हैं, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा। ऐसा देखा गया है कि अलवर में मजदूर वर्ग, छात्र वर्ग, किसान तथा अन्य गरीब लोग रोज अपने काम हेतु अलवर आते हैं। यहाँ हजारों लोग नारनौल (हरियाणा) से, तथा बीच के गाँवों तथा शहरों से आते तथा जाते हैं। अलवर और नारनौल के बीच रेलपथ नहीं है। लोग सड़क द्वारा अलवर आते जाते हैं अलवर तथा नारनौल के बीच की सड़क भी बहुत खराब है जिससे दुर्घटनाओं का डर मँडराता रहता है। लोग बस के ऊपर तथा बीच

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

में लंट रहत हैं। इसके अतिरिक्त सड़क यातायात का पर्यावरण पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि गरीब जनता के कल्याण हेतु अलवर तथा नारनौल के बीच सरकार रेल पथ के लिए सर्वेक्षण करवाए जिससे जल्द से जल्द रेलगाड़ी चल सके, क्योंकि रेल यात्रा अधिक आरामदायक, सस्ती तथा सुखदाई होती है।

(तीन) देश में जाली करेंसी नोटों के मुद्रण/पालन के सम्बन्ध में श्वेत पत्र निकाले जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : गुजरात एवं देश के विभिन्न स्थानों में हाल में जाली नोट का व्यापार हो रहा है एवं जाली नोटों के कार्य में जुटे गिरोह पकड़े गए।

इन जाली नोटों से देश के आर्थिक प्रगति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एवं देश की आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती है।

इन जाली नोट बनाने छापने तथा वितरण व्यवस्था में पाकिस्तान के आई. एस. आई. एवं अन्य देशों का भी हाथ होता है। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए तथा मेरी सरकार से पुरजोर माँग है कि पूरे तथ्यों के साथ सरकार एक श्वेतपत्र जारी करे ताकि इस काण्ड में शामिल सब भण्डा फूटे एवं दश के सामने सारी परिस्थिति आए।

(चार) राजस्थान में रणथम्भौर बाघ अभयारण्य के विकास के लिए आवंटित धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर) : भारत वर्ष में राष्ट्रीय बाघ परियोजनाएँ हैं, जिनमें एक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में है, जिसका नाम रणथम्भौर बाघ अभयारण्य है। भारत सरकार ने इको डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत इस परियाजना को समृद्ध बनाने के लिए वर्ष 1997 में चुना था। इस परियोजना का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बाघ अभयारण्य से प्रभावित गाँवों के विकास के लिए किया जाना था और इस परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिनका व्यय गाँवों में ई डी सी कमेटी का गठन कर गाँव वासियों की सहभागिता से गाँव के विकास पर किया जाना था, लेकिन देखने में आया है कि इसमें गाँववासियों की भागीदारी नगण्य है।

अतः मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि रणथम्भौर बाघ अभयारण्य के कारण लगभग 110 गाँव प्रभावित हुए थे, उन गाँवों के विकास के लिए भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा जो राशि स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(पांच) राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति हेतु आरक्षण का प्रावधान करने वाले कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल (माँडवी) : कुछ वर्षों से आदिवासी लोगों की सेवाओं में प्रोन्नति और अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी परन्तु वर्तमान सरकार ने आदिवासी लोगों के विकास के इन सेवाओं में प्रोन्नति और अन्य सुविधाओं को पुनः लागू किए जाने हेतु सदन से एक बिल पास हुआ। परन्तु कई राज्य सरकारों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है, जिसके कारण आदिवासी लोगों को अन्य वर्गों के समक्ष विकास करने में कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि माननीय न्यायालय और सदन से बिल पास होने के बीच अन्तराल में कई आदिवासी लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। इस अन्तराल में कइ आदिवासी लोगों को लाभ स वंचित होना पड़ा इसके लिए भरपाइ होनी चाहिए।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि सदन के द्वारा बिलों को सभी राज्यों से लागू करवाएँ और कुद समय आदिवासियों को लाभ नहीं मिल सका उसकी भरपाई करवाएँ।

(छह) राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक लि. सहित सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों में विनिवेश न किए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : महोदय, भारत सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में देने से लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों के कर्मचारियों के सामने भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। यदि कोई उपक्रम लाभ में नहीं हैं, रुग्ण हैं, बीमार है तथा कोई कम्पनी उसे लेना चाहती है तो वह कुछ हद तक सही है। किन्तु जो उपक्रम लगातार लाभ अर्जित कर रहे हैं, उनको निजी कम्पनियों को नहीं सौंपना चाहिए। परन्तु, केन्द्र सरकार देश के 20 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिसंख्य हिस्सेदारी 31 मार्च, 2001 तक बेचकर 10,000 करोड़ रुपए का विनिवेश करने का निर्णय न्यायसंगत नहीं है। हिन्दुस्तान जिंक लि. राजस्थान में मात्र एक लाभ अर्जित करने वाली ऋण-रहित बहु-इकाई सरकारी उपक्रम है, जो कि आदिवासी क्षेत्र में है तथा इसकी उक्त इकाइयों में कार्यरत ज्यादातर श्रमिक आदिवासी हैं। यदि हिन्दुस्तान जिंक लि. का निजीकरण कर दिया जाता है तो आदिवासियों को रोजगार एवं आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। कम्पनी का पिछले तीन वर्षों का सकल लाभ क्रमशः 201, 251, एवं 182 करोड़ रुपए रहा है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों के साथ-साथ हिन्दुस्तान जिंक लि. का विनिवेशीकरण नहीं किया जाए। सरकार का यह कदम देश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के हित में होगा।

[अनुवाद]

(सात) कर्नाटक में मैसूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार (मैसूर) : मेरे निवाचन क्षेत्र मैसूर के कई गाँवों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये गाँव एच. डी. कोटे, हनसूर और के. आर. नगर तालुकों के अन्तर्गत आते हैं। टेलीफोन एक्सचेन्ज न होने के कारण लोगों को आवश्यक संचार सुविधा के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। इस मामले को कई बार सम्बन्धित प्रधिकारी के नोटिस में लाया गया है। जब तक टेलीफोन एक्सचेन्ज और

आप्टिकल फाइबर प्लांट के. आर. नगर, हिरेक्याथनाहल्ली, एन. बेगूर और डाडाडूहल्ली में स्थापित नहीं किया जाता तब तक मैसूर जिले के एच. डी. कोटे हनसूर और के. आर. नगर तालुकों के अन्तर्गत आने वाले गाँवों में टेलीफोन कनेक्शन देना सम्भव नहीं हो पाएगा। हेब्बल मुख्यालय में जिनमें चण्डगोल, डी. आर. कप्पल और सिदापिसा गाँव शामिल हैं, केबल बिछाने का काम तत्परता से होना चाहिए। हनसूर-गाराडागेरे आप्टिकल फाइबर योजना 1999-2000 जो मीडिया लिंक की सुविधा देने के लिए बनाई गई थी, भी शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हड़पोस्ट और बियनहल्ली के मध्य अतिरिक्त चैनल की सुविधा प्रदान की जाए।

(आठ) उड़ीसा में जेपोर-मोट्टू सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) : महोदय, भारतीय सड़क विकास योजना 1981-2000 के हिसाब से उड़ीसा में सड़क यातायात साधन अखिल भारतीय औसत से बहुत पीछे है। राज्य की योजनाओं के मुताबिक उड़ीसा के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 2001 तक 3114 कि.मी. होनी चाहिए। अभी तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2752 कि.मी. है। कुछ राज्य सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव केन्द्रीय भूतल परिवहन मन्त्रालय को भेज दिए हैं। उनमें से कुछ विशेष मार्ग गोपालपुर-रायपुर ओर चेयरपोर से मोट्टू हैं। जेयपोर से मोट्टू सड़क की लम्बाई 208 कि.मी. है जो मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरती है, यह कोरापुट और मलकानगिरी के आदिवासी जिले हैं। यह सड़क राज्य के अधिकांश अविकसित इलाके के उपयोग हेतु एकमात्र साधन है जो कि आन्ध प्रदेश राज्य को भी जोड़ती है। यह क्षेत्र खासतौर पर आदिवासी बाहुल्य है और नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित है। इन सड़कों को उच्च स्तर का बनाने से आतंकवाद पर काबू पाया जा सकेगा।

अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जेयपोर से मोट्टू सड़क को उच्च स्तर का बनवाकर राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया जाए।

[अनुवाद]

(नौ) पश्चिम बंगाल में अहमदपुर-कटवा सेक्शन पर रेल सेवाओं में कमी करने सम्बन्धी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : रेल मन्त्रालय ने पिछले सितम्बर से अहमदपुर-कटवा-सेक्शन में ट्रेन चलानी बन्द कर दी है और लम्बे समय से पूर्व रेलवे के बर्दवान-कटवा मार्ग के छोटी लाइन सेक्शन में चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में भारी कमी की है। रेल विभाग के इस निर्णय के कारण पश्चिम बंगाल के बर्दवान और बीरभूम जिलों के हज़ारों गरीब यात्रियों को अत्याधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस के अतिरिक्त इन सेक्शनों के स्टेशनों को निजी व्यापारियों को सौंपा जा रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि रेल सेवाओं को बन्द करने और कम करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और इस सेक्शन की रेलवे सेवाओं के निजीकरण को तत्काल बन्द करें। मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य का आरम्भ करें।

[हिन्दी]

(दस) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी लाए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, गत सितम्बर माह के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की कीमत 37 डालर प्रति बैरल हो गई थी जो मार्च, 2000 में, जब सरकार ने बजट बनाया था तो ये कीमतें 28 डालर प्रति बैरल थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने देश के उपभोक्ताओं के लिए पैट्रोल, डीजल, एल.पी.जी. केरोसिन अर्थात् प्रायः सभी पट्रोलियमों की कीमतें बढ़ा दी थीं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण बतलाकर भारतीय उपभोक्ता से अधिक मूल्य लेना सरकार ने न्यायोजित ठहराया था। आज ये कीमतें मार्च, 2000 के मूल्य से नीचे 27 डालर प्रति बैरल आ गई हैं। हमारी माँग है कि पेट्रोल, डीजल, एल. पी. जी, एवं कैरोसिन की कीमतें मार्च, 2000 की कीमतों से नीचे लाई जाएँ। तेल पूल का घाटा 23000 करोड़ रुपए बतलाकर कीमतें बढ़ाई गई थीं। आज यह घाटा मात्र 13000 करोड़ रुपए का है जिसे पूरा करने के लिए सरकारी तन्त्र में सुधार कर पूरा किया जा सकता है।

अतः हमारा आग्रह है कि तत्काल देश में सरकार पैट्रौल, डीजल, कैरोसिन एवं एल.पी.जी. की बढ़ी कीमतें वापिस लें।

(ग्यारह) वाशिम जिले में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली (वाशिम) : विनम्र शब्दों में कहना है कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र में चुनकर आई हूँ, इस वर्ष वह सूखे की चपेट में आ गया है। महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर वासिम (विदर्भ) जिले की स्थिति यह है कि वहाँ लोग भूखों मरने के कगार पर आ गए हैं।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वासिम जिले में अलग से विशेष जांच दल भेजकर राज्य सरकार को इस जिले के लोगों की सहायता हेतु अधिक से अधिक राशि दी जाए ताकि लोगों की हालत में सुधार हो। यही मेरी विनती है।

(बारह) उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : महोदय, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, जिसमें चित्रकूट, बाँदा, महोबा, ललितपुर, झाँसी, हमीरपुर, जालौन, इलाहाबाद, जिले में शंकरगढ़, बारा-जसरा क्षेत्र मिर्जापुर एवं सोनभद्र आदि जिले शामिल हैं, सूखा, अल्पवृष्टि व सामयिक वृष्टि नहीं होने के कारण पीड़ित

हैं। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और मध्य प्रदेश का यह भू-भाग भी सूखे से पीड़ित है। किसानों की फसलें सूख गई हैं। बड़े पैमाने में क्षतिग्रस्त हुई हैं। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण फसलों को बचाया नहीं जा सका। बुन्देलखण्ड नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र में नहरों की सिंचाई वाले थोड़े से भू-भाग को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र असिंचित हैं और अक्सर सूखा से प्रभावित होता हैं। धान की फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचा है। खेत सूख जाने के कारण रबी की फसलों की बुवाई में भी बाधा पड़ रही है। बिजली की कमी के कारण सरकारी लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ व नलकूप तथा गैर-सरकारी नलकूप ठप्प हैं। नए नलकूपों के विद्युतीकरण पर रोक लगा दी गई है। किसान तबाही के कगार पर पहुँच गया है। पेयजल के अभाव की समस्या गम्भीर होती जा रही है। जनता में रोष व असंतोष व्याप्त है।

सरकार को सूखा पीड़ित किसानों की फसलों को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए तथा प्रभावित लोगों को राहत देने हेतु राज्य सरकार को उपयुक्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(तेरह) बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, गत वर्षों की भाँति इस वर्षा काल में फिर बिहार राज्य के 24 जिले बाढ़ के पानी से तबाह हुए, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मोतीहारी, बेतिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मटिहार, सीवान, गोपालगंज इत्यादि जिले कोशी, बूढ़ी गंडक, बागमति, अधवारा समूह नदियों की बाढ़ के कारण अपार जन-धन की हानि के शिकार बने हैं। इन सभी प्रायः नदियों का उद्गम स्थान नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र से उत्तर बिहार के सीधे मैदानी भाग में इनका प्रवेश हो जाता है। अतः बिहार के मैदानी भाग की हानि को रोकने के लिए नेपाल का सहयोग समस्या समाधान में आवश्यक है। नेपाल से वार्ता कर शीशापानी एवं कोशी नदी पर सप्तकोशी में बांधों का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि नदियों के प्रवाह को रोका जा सके, साथ ही साथ इन नदियों को गहरा किया जाए। साथ ही इन नदियों के बेसिनों को परस्पर एक दूसरे नहरों के माध्यम से जोड़ा जाए तथा इन नदियों पर पुराने तटबन्धों को मजबूत किया जाए और नए तटबन्ध बनाए जाएँ ताकि नदियों के प्रवाह के कारण भूमि कटाव पर अंकुश लगे।

[अनुवाद]

(चौदह) मणिपुर के जनजाति बहुल पहाड़ी जिलों के लिए जिला परिषदों की व्यवस्था करने हेतु मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री होलखोमांग हौकिप (बाह्य मणिपुर) : पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत मणिपुर के साथ मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा देते समय राज्य अधिनियम के अन्तर्गत 6 स्वायत्तशासी जिला परिषदों को इस पैकेज का हिस्सा बनाया गया था।

मणिपुर की सभी राज्य सरकारों ने भारत सरकार से छठी अनुसूची को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए सिफारिशें की हैं। विस्तृत जांच और विचार-विमर्श के बाद, पर्वतीय क्षेत्र समिति ने छठी अनुसूची में मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल करने की सिफारिश की है।

मणिपुर के लोग, जिनमें मैथली, नागा और कूकी जातियां शामिल हैं, और भी आपस में मिल कर भाईचारे और शान्ति से रहना चाहते हैं। तथापि, भारत सरकार जनजातीय और पर्वतीय लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन द्वारा मणिपुर राज्य को शामिल करके मणिपुर के जनजातीय बहुल पर्वतीय जिलों के लिए जिला परिषद का गठन करने के बारे में विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

(पन्द्रह) महाराष्ट्र में दाभोल विद्युत परियोजना में एनरान कम्पनी को गारंटी प्रदान करने सम्बन्धी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : दाभोल पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो एनरान कम्पनी के साथ पावर परचेज एग्रीमेन्ट सन् 1993 में किया वह जल्दबाजी में किया गया। गारन्टी के सम्बन्ध में देने वाली केन्द्र तथा महाराष्ट्र दोनों सरकारों के सम्बन्ध में जो भी व्यवस्थाएँ बनीं वह परिस्थिति के विपरीत बनी जिसके कारण किसानों व आम जनता पर भारी बोझ पड़ेगा क्योंकि उन्हें बिजली अधिक दर पर खरीदनी पड़ेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि गारन्टी की व्यवस्थाओं से यह प्रतीत होता है कि यह पूर्णतः देश हित तथा लोकहित में नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सम्पूर्ण गारन्टी एग्रीमेन्ट को फिर से रिन्यू किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो निकट भविष्य में इसके और भी विपरीत प्रभाव सामने आने लग जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर जाइए। यहाँ से कैसे बोलेंगे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2000/1 पौष, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
नैशनल प्रिंटर्स, 20/3, वैस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008 द्वारा मुद्रित।